रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 285] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 11, 2016/आषाढ़ 20, 1938
No. 285] NEW DELHI, MONDAY, JULY 11, 2016/ASADHA 20, 1938

## विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2016

**मि0 सं0 1–2/2016 (पी0 एस0/संशोधन).–** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) के अनुभाग 26 के उप–अनुभाग (1)की धारा (ई) एवं (जी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एतद्द्वारा निम्न संशोधित विनियम सृजित कर रहा है, नामतः

### 1. लघु शीर्ष, अनुप्रयोग एवं प्रारम्भ

**1.1** ये विनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (शिक्षकों एवं अन्य अकादमिक स्टॉफ की विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नियुक्ति संबंधी न्यूनतम अर्हताएँ एवं उच्च शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण संबंधी उपाय) **(चतुर्थ संशोधन)** विनियम, 2016 कहलायेंगे।

**1.2** ये ऐसे प्रत्येक विश्वविद्यालय पर लागू होंगे जो किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित अथवा निगमित हैं तथा साथ ही ऐसे प्रत्येक संस्थान, संघटक अथवा संबद्ध महाविद्यालय पर लागू होंगे जो सम्बद्ध विश्वविद्यालय के परामर्श से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अनुभाग 2 की धारा (एफ) के अन्तर्गत एवं उक्त अधिनियम के अनुभाग 3 के अन्तर्गत प्रत्येक मानित विश्वविद्यालय, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।

**1.3** ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तुरन्त प्रभावी रूप से लागू होंगे।

**2.** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में (विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य अकादमिक स्टॉफ़ की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएँ एवं उच्च शिक्षा मानकों के अनुरक्षण के अन्य उपाय) विनियम 2010 के निम्नलिखित विनियम निम्नवत् पठनीय एवं संशोधित माने जाएँगेः–

| विनियम | शिक्षकों एवं अकादमिक स्टॉफ की विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नियुक्ति संबंधी एवं उच्च शिक्षा के मानकों के अनुरक्षण के उपाय विनियम 2010 के मौजूदा प्रावधान | शिक्षकों एवं अन्य अकादमिक स्टॉफ की विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नियुक्ति संबंधी न्यूनतम अर्हता एवं उच्च शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण संबंधी उपाय विनियम 2010 के संशोधित प्रावधान |
|---|---|---|
| 3.4.1 | अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विभिन्न शारीरिक विकलांगताओं वाली (शारीरिक एवं चाक्षुष तौर से पृथक् रूप से विकलांग) श्रेणियों के व्यक्तियों को स्नातक स्तर पर तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 5 प्रतिशत की छूट उपलब्ध कराई जा सकती है शिक्षण संबंधी स्थानों/पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में पात्रता एवं श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड को निर्धारित करने के उद्देश्य से होगी। पात्रता के लिए आवश्यक 55 प्रतिशत अंक (अथवा ऐसी कोई स्थिति जहाँ ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है, वहाँ पर किसी भी "पॉइन्ट स्केल" की समकक्ष श्रेणी में) तथा 5 प्रतिशत की छूट जिन उपरोक्त श्रेणियों के लिए व्यक्त की गई है–वे अनुमत होंगी–जो कि अर्हकारी अंकों पर आधारित रहेगी–और जिनमें अनुग्रहांक के सम्मिलित करने की विधि लागू नहीं होगी। | अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ पृथक रुप से सक्षम (शारीरिक एवं चाक्षुष तौर से पृथक रूप से सक्षम)अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) (गैर समृद्ध श्रेणियों)में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर पात्रता एवं श्रेष्ठ अकादमिक रिकार्ड के उद्देश्य से शैक्षिक पदों पर प्रत्यक्ष भर्ती के दौरान 5%तक की छूट प्रदान की जा सकती है। पात्रता संबंधी 55% अंक (अथवा एक समस्तरीय ग्रेड एक प्वाइंट स्केल में जहॉ भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो) तथा उपरोक्त श्रेणियों के लिए दी जाने वाली 5% की छूट की अनुमति केवल अर्हकारी अंकों पर आधारित, अनुग्रहांक सम्मिलित किये बिना, होगी। |
| 8.2.1जोकि धारा6.8.0 की अनुसूची का है | कुलपति के पदों पर रु075,000/–के नियत वेतन के साथ रु0 5,000/–प्रतिमाह का विशेष वेतन देय होगा। वेतन के अतिरिक्त कुलपति की अन्य समस्त पात्रता एवं सुविधाएं सम्बद्ध विश्वविद्यालय के अधिनियम/सांविधियों के प्रावधानों के अनुसार लागू होंगी। | कुलपति के पदों पर रु075,000/–के नियत वेतन के साथ रु0 5,000/–प्रतिमाह का विशेष भत्ता देय होगा। वेतन के अतिरिक्त कुलपति की अन्य समस्त पात्रता एवं सुविधाएं सम्बद्ध विश्वविद्यालय के अधिनियम/सांविधियों के प्रावधानों के अनुसार लागू होंगी। |

| | | |
|---|---|---|
| 5.1.6 (डी) | महाविद्यालय के प्राचार्य की नियुक्ति अवधि **पाँच** वर्ष की होगी तथा समतुल्य चयन समिति की प्रक्रिया के पश्चात ही वे एक और सत्र के लिए पुनः नियुक्ति के पात्र होंगे। | महाविद्यालय के प्राचार्य की नियुक्ति अवधि 5वर्ष की होगी तथा समतुल्य चयन समिति की प्रक्रिया के पश्चात ही वे एक और सत्र के लिए पुनः नियुक्ति के पात्र होंगे,जिस प्रक्रिया के अन्तर्गत वाह्य समकक्षों के पुनरीक्षण को तथा उसकी अनुशंसाओं एवं उसके परिणामों को ध्यान में रखा जाएगा। वाह्य समकक्ष पुनरीक्षण के ढाँचे को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा। |
| 6.0.5(i) | विभिन्न विशिष्ट विषयों के डाटाबेस द्वारा प्रलेखीकृत सूचीबद्ध प्रकाशनों के अतिरिक्त, सम्बद्ध विश्वविद्यालय अपने विषय विशेषज्ञों एवं ISBN/ISSN विशेषज्ञों की सहायता से (a) सम्बद्ध विषयों में गुणवत्तायुक्त राष्ट्रीय/क्षेत्रीय स्तर की पत्रिकाओं की सुविस्तृत सूची जारी करेगा एवं (b) विभिन्न भाषा निकायों की भारतीय भाषाओं की पत्रिकाओं जर्नल/पाक्षिक/सरकारी प्रकाशन के खण्डों को तैयार करेगा तथा उन्हें विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करेगा तथा उन्हें आवधिक रूप से अद्यतन कराएगा। | विश्वविद्यालय विषय विशेषज्ञ समितियों के माध्यम से पत्रिकाओं को विषयवार रूप से चिन्हित करेगा तथा अनुशंसायें यूजीसी द्वारा निर्धारित प्रारुप में यूजीसी की स्थायी समिति की स्वीकृति हेतु अग्रसारित करेगा। यूजीसी स्थायी समिति द्वारा जिन पत्रिकाओं को ऐसी सूची में से स्वीकृत किया जाए, उन्हें यूजीसी की अधिसूचित ''पत्रिका सूची'' में सम्मिलित किया जाएगा। विश्वविद्यालय से ऐसी सूची प्राप्त होने के 60 कार्यकारी दिवसों के भीतर यूजीसी स्थायी समिति उसकी अनुशंसायें प्रस्तुत कर देगी। ''पत्रिका सूची'' में सम्मिलित किये जाने के लिए यूजीसी स्थायी समिति अपने आपसे भी पत्रिकाओं की अनुशंसा कर सकती है। |

3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता एवं उच्च शिक्षा मानकों के अनुरक्षण के अन्य उपाय)(तृतीय संशोधन) विनियम 2016 के अन्तर्गत विनियम 3.3. 1,4.4.1,4.4.2,4.4.2.2, 4.4.2.3, 4.5.3 एवं 4.6.3 में निर्धारित प्रावधान जो 11 जुलाई, 2009 से पूर्व पीएच0डी0 पाठ्यक्रमों में पंजीकृत अभ्यर्थियों को छूट दिये जाने के विषय में हैं, वे निम्नवत् संशोधित एवं पठनीय माने जाएँगेः–

बशर्ते, दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व एम. फिल./पीएच0डी0 हेतु पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को प्रदान की जाने वाली डिग्री, संबंधित संस्थान के तत्कालीन अध्यादेश/उपबंधों/विनियमों के द्वारा अभिशासित होगी और पीएच0डी0 डिग्रीधारक

अभ्यर्थियों को निम्नवत् शर्तों पर खरा उतरने के अध्याधीन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थानों में सहायक आचार्य अथवा समकक्ष पदों पर भर्ती एवं नियुक्ति हेतु उन्हें नेट/स्लैट/सैट की न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट प्राप्त होगीः—

**(क)** अभ्यर्थी को केवल नियमित (Regular)पद्धति से पीएच0 डी0 डिग्री प्रदान की गई हो।

**(ख)** कम से कम दो बाहरी परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया हो।

**(ग)** अभ्यर्थी का मुक्त मौखिक साक्षात्कार किया गया हो।

**(घ)** अभ्यर्थी ने अपने पीएच0डी0 शोध कार्य में से दो शोध पत्र प्रकाशित किये हैं जिनमें से कम से कम एक पत्र संदर्भित (Refereed) पत्रिका में प्रकाशित हुआ हो।

**(ड़)** अभ्यर्थी ने अपने पीएच0डी0 शोध कार्य में से दो प्रस्तुतियां सम्मेलनों/संगोष्ठियों में दीहैं।

उपरोक्त (क) से लेकर (ड़) कुलपति/सम कुलपति/अध्यक्ष (अकादमिक मामले)/अध्यक्ष(विश्वविद्यालय अनुदेश) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (शिक्षकों एवं अन्य अकादमिक स्टॉफ की विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नियुक्ति संबंधी न्यूनतम अर्हताओं एवं उच्च शिक्षा के मानकों के अनुरक्षण के उपायों) (**द्वितीय संशोधन**) विनियम 2013 के विनियम 6.0.1 का द्वितीय प्रावधान निम्न द्वारा प्रतिस्थापित होगाः—

**"बशर्ते श्रेणी III (शोध एवं अकादमिक योगदान) के अन्तर्गत इन उप—श्रेणियों में, लैक्चर्स/पेपर्स की उप श्रेणी के अलावा, प्रत्येक की एपीआई (API) प्राप्तांक की दावेदारी पर सीमा नहीं होगी।**

परिणामतः, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (शिक्षकों एवं अन्य अकादमिक स्टॉफ की विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नियुक्ति संबंधी न्यूनतम अर्हता एवं उच्च शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण संबंधी उपायों) (द्वितीय संशोधन) विनियम 2013 के विनियम 6.0.1 की तालिका विलोपित मानी जायेंगी।

5. गुणवत्ता पोषित करने के लिए, छात्र "फ़ीडबैक", उच्च शैक्षिक संस्थानों के अकादमिक विकास का एक अभिन्न अंग है। छात्र "फ़ीडबैक" एवं शिक्षकों द्वारा दिया गया अनुत्तर, अध्यापन—शिक्षा प्राप्ति एवं संस्थागत विकास में सुधार के प्रति एक उत्प्रेरक की भूमिका अदा करते हैं। संकल्पनाओं की स्पष्टता, विषयगत एवं अकादमिक विषयों में रुचि को विकास एवं गहन रुप से सवंर्धित करने के लिए छात्र फ़ीडबैक जो अध्यापन, संप्रेषण, प्रविधि एवं शिक्षा शास्त्र से संबद्ध है, वह प्रमुख है। विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अध्यापन— अधिगम पर रचनात्मक फ़ीडबैक उपलब्ध कराने में छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा सवंर्धित हो सके तथा फ़ीडबैक पर अनुक्रिया प्राप्त हो सके।

6. परिशिष्ट III की तालिका—I, II(A), II(B), III, IV, V(A), V(B), VI, VII, VIII(A), VIII(B) एवं IX जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य अकादमिक स्टॉफ की नियुक्ति संबंधी न्यूनतम अर्हताएँ एवं उच्च शिक्षा के मानकों के अनुरक्षण संबंधी अन्य उपाय) (**तृतीय संशोधन**) विनियम 2016 के विषय में है, वह परिशिष्ट—III: तालिका- I, II(A), II(B), III, IV, V(A), V(B), VI, VII, VIII(A), VIII(B) एवं IX जो कि इन चतुर्थ संशोधन विनियमों से संलग्न है, उनके द्वारा प्रतिस्थापित होंगी।

प्रो. (डा.) जसपाल सिंह सन्धू, सचिव

[ विज्ञापन III/4/असा./113(165)]

**परिशिष्ट—III: तालिका—I**

**विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सहायक आचार्य, सह—आचार्य, और आचार्य के लिए करियर प्रगति योजना (सीएएस) पदोन्नति हेतु अकादमिक प्रदर्शन संकेतांक (एपीआई) तथा सह—आचार्य और आचार्य की सीधी भर्ती हेत प्रास्तावित अंक**

**शिक्षकों के विभिन्न स्तरों के लिए प्रत्यक्ष शिक्षण कार्यभार और अधिमान दिया जाए**

| प्रति सप्ताह प्रत्यक्ष शिक्षण घंटे | |
|---|---|
| सहायक आचार्य | 16 |
| सह—आचार्य | 14 |
| आचार्य | 14 |

शिक्षक के स्व—आकलन पर आधारित, एपीआई अंकों को निम्नलिखित के लिए प्रस्तावित किया जाता है (क)शिक्षण संबंधित क्रियाकलाप कार्यक्षेत्र की जानकारी (ख) परीक्षा और मूल्यांकन में भागीदारी और (ग) नवोन्मेषी शिक्षण, नये पाठ्यक्रमों के प्रति योगदान आदि। इस श्रेणी के शिक्षकों द्वारा जरूरी न्यूनतम एपीआई अंक पदोन्नति के विभिन्न स्तरों हेतु अलग—अलग हैं। स्व—आकलन अंक तटस्थ रूप से सत्यापनीय अभिलेख पर आधारित होने चाहिए। इसे छानबीन सह मूल्यांकन/चयन समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा। विश्वविद्यालय क्रियाकलापों का ब्यौरा अथवा, यदि संस्थानिक विनिर्दिष्टता की आवश्यकता हो, इस श्रेणी के अंतर्गत आवश्यक न्यूनतम कुल एपीआई अंकों को परिवर्तित किए बिना अधिमानों को समायोजित कर सकते हैं।

**श्रेणी I: शिक्षण, ज्ञानार्जन और मूल्यांकन संबंधी क्रियाकलाप**

| श्रेणी | क्रियाकलाप की प्रकृति | सहायक आचार्य | | सह–आचार्य | | आचार्य | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अधिकतम अंक | वास्तविक अंक | अधिकतम अंक | वास्तविक अंक | अधिकतम अंक | वास्तविक अंक |
| 1. | क. प्रत्यक्ष शिक्षण | 70 | प्रति शैक्षिक वर्ष व्यतीत वास्तविक घंटे ÷7.5 | 60 | प्रति शैक्षिक वर्ष व्यतीत वास्तविक घंटे ÷7.75 | 60 | प्रति शैक्षिक वर्ष व्यतीत वास्तविक घंटे ÷7.75 |
| | ख. परीक्षा ड्यूटी (प्रश्न पत्र तैयार करना, पर्यवेक्षण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन) आबंटन अनुसार | 20 | प्रति शैक्षिक वर्ष व्यतीत वास्तविक घंटे ÷10 | 20 | प्रति शैक्षिक वर्ष व्यतीत वास्तविक घंटे ÷10 | 10 | प्रति शैक्षिक वर्ष व्यतीत वास्तविक घंटे ÷10 |
| | ग. नवोन्मेषी शिक्षण–ज्ञानार्जन प्रणालियां, विषय वस्तु/पाठ्यक्रमों आदि को अद्यतन करना, परामर्श इत्यादि | 10 | प्रति शैक्षिक वर्ष व्यतीत वास्तविक घंटे ÷10 | 15 | प्रति शैक्षिक वर्ष व्यतीत वास्तविक घंटे ÷10 | 20 | प्रति शैक्षिक वर्ष व्यतीत वास्तविक घंटे ÷10 |

*नोटः

1. प्रति सप्ताह 16/14/14 घंटे में व्याख्यान/अनुशिक्षण/प्रैक्टिकल्स/प्रोजेक्ट पर्यवेक्षण/क्षेत्रीय कार्य शामिल हैं।

2. विश्वविद्यालय न्यूनतम 75% कट–ऑफ निर्धारित कर सकता है, जिसके नीचे इन उप–श्रेणियों में कोई भी प्राप्तांक सम्मिलित नहीं किये जा सकते हैं।

3. स्थापित अकादमिक एवं शिक्षण परम्पराओं के अनुरूप तथा छात्र केन्द्रित, देख–रेख को प्रतिपुष्ट करने के उद्देश्य से अध्यापकों को, कक्षागत अध्यापन की संरचना के अतिरिक्त, छात्रों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रत्यक्ष रूप से इस प्रक्रिया में छात्रों की सुरक्षा, मार्गदर्शन एवं परामर्श को सम्मिलित किया जा सकता है। पृथक रूप से अशक्त छात्रों की आवश्यकताओं को चिन्हित करने के लिए अथवा उनकी आवश्यकताओं एवं उनके अकादमिक निष्पादन के लिए अथवा उनकी असमर्थता दूर करने के लिए अध्यापकसर्वाधिक उपयुक्त हैं। ऐसे प्रयासों के लिए कोई समय अवधि निर्धारित नहीं है और न ही उसे एपीआई प्राप्तांकों के परिप्रेक्ष्य में अथवा परिकलन में सप्ताहों अथवा महीनों के रूप में आंकलित किया जा सकता है। तथापि अध्यापकों द्वारा ऐसे कार्यों द्वारा आवश्यक एवं महत्वपूर्ण गतिविधियों को पूरा किया जाना चाहिए।

### श्रेणी II: व्यावसायिक विकास, सह–पाठ्यक्रम और विस्तारण क्रियाकलाप

शिक्षक के स्व–आकलन पर आधारित, श्रेणी दो एपीआई अंकों को व्यावसायिक विकास, सह–पाठ्यक्रम और विस्तारण क्रियाकलापों और संबंधित योगदानों के लिए प्रस्तावित किया जाता है। पदोन्नति की पात्रता हेतु शिक्षकों द्वारा आवश्यक न्यूनतम एपीआई को तालिका II– ए में निर्धारित किया गया है। मदों और अंकों की एक सूची नीचे दी गई है। स्व–आकलन अंक तटस्थ रूप से सत्यापनीय अभिलेखों पर आधारित होने चाहिए और इसे छानबीन सह मूल्यांकन समिति द्वारा सहायक आचार्य से उच्चतर पदों हेतु तथा चयन समिति द्वारा सहायक आचार्य से सह–आचार्य और सह–आचार्य से आचार्य पद पर पदोन्नति हेतु तथा सह–आचार्य और आचार्य के पद पर सीधी भर्ती हेतु अंतिम रूप दिया जाएगा।

नीचे दी गई नमूना तालिका में क्रियाकलापों और एपीआई अंकों के समूह दिये गये हैं। विश्वविद्यालय क्रियाकलापों का ब्यौरा अथवा, यदि संस्थानिक विनिर्दिष्टता की आवश्यकता हो तो इस श्रेणी के अंतर्गत आवश्यक न्यूनतम कुल एपीआई अंकों को परिवर्तित किए बिना अधिमानों को समायोजित कर सकते हैं।

| श्रेणी दो | | क्रियाकलाप की प्रकृति | अधिकतम एपीआई अंक | वास्तविक अंक |
|---|---|---|---|---|
| क | (i)<br>(ii)<br>(iii) | छात्र संबंधी सह–पाठ्यक्रम, विस्तारण और क्षेत्र आधारित कियाकलाप।<br>विषय संबंधी सह–पाठ्येत्तर गतिविधियां (उदाहरणार्थ उपचारात्मक कक्षायें, करियर परामर्श, अध्ययन दौरा, छात्र संगोष्ठी और अन्य आयोजन, आदि)<br>अन्य सह–पाठ्येत्तर गतिविधियां (सांस्कृतिक, खेलकूद, राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी. आदि)<br>विस्तारण और प्रसारण क्रियाकलाप (सार्वजनिक/प्रसिद्ध व्याख्यान/चर्चा/संगोष्ठियां आदि) | 15 | प्रति शैक्षिक वर्ष व्यतीत वास्तविक घंटे<br>÷ 10 |
| | (i) | कारपोरेट जीवन के प्रति योगदान और शैक्षिक और प्रशासनिक समितियों तथा उत्तरदायित्वों में भागीदारी के माध्यम से विभाग और संस्था का प्रबंधन प्रशासनिक उत्तरदायित्व (इसमें डीन/प्राचार्य/सभापति/संयोजक/प्रभारी | 15 | प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ख. | (ii) | शिक्षक/अन्य समान ड्यूटी जिनके निस्तारण हेतु नियमित कार्यालय आने की आवश्यकता होती है वे शामिल हैं)<br>अध्ययन, बोर्ड, अकादमिक एवं प्रशासनिक समितियों में भागीदारी | | ÷ 10 |
| ग. | | व्यावसायिक विकास क्रियाकलाप (यथा संगोष्ठियों/सम्मेलनों, लघु अवधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, औद्योगिक अनुभव, चर्चा में भाग लेना, पुनश्चर्या/संकाय विकास पाठ्यक्रमों में व्याख्यान देना, प्रसार, और सामान्य लेख तथा अन्य कोई योगदान) | 15 | प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷ 10 |

**श्रेणी–III: शोध और शैक्षिक योगदान**

शिक्षक के स्व–आकलन पर आधारित, एपीआई अंकों को शोध और शैक्षिक योगदान हेतु प्रस्तावित किया जाता है। इस श्रेणी के शिक्षकों द्वारा जरूरी न्यूनतम एपीआई अंक, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पदोन्नति के विभिन्न स्तरों हेतु अलग–अलग हैं। स्व–आकलन अंक सत्यापनीय कसौटी पर आधारित होने चाहिए और इसे छानबीन–सह–मूल्यांकन समिति द्वारा सहायक आचार्य से उच्चतर पदों हेतु तथा चयन समिति द्वारा सहायक आचार्य से सह–आचार्य और सह–आचार्य से आचार्य पद पर पदोन्नति हेतु तथा सह–आचार्य और आचार्य के पद पर सीधी भर्ती हेतु अंतिम रूप दिया जाएगा।

| **श्रेणी** | **क्रियाकलाप** | **विज्ञान/इंजीनियरिंग/कृषि/चिकित्सा/ पशु विज्ञान** | **भाषा/मानविकी/कला/सामाजिक विज्ञान/पुस्तकालय/शारीरिक शिक्षा/प्रबंधन के संकाय** | **विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय के शिक्षक हेतु अधिकतम अंक*** |
|---|---|---|---|---|
| III(क) | जिनमें शोध पत्रों का प्रकाशन किया गया है | वि.अ.आ. द्वारा यथा अधिसूचित संदर्भित(Refereed) पत्रिकाएं# | वि.अ.आ. द्वारा यथा अधिसूचित संदर्भित पत्रिकाएं# | 25 प्रति प्रकाशन |
| | | वि.अ.आ. द्वारा यथा अधिसूचित अन्य प्रतिष्ठित पत्रिकाएं# | वि.अ.आ. द्वारा यथा अधिसूचित अन्य प्रतिष्ठित पत्रिकाएं# | 10 प्रति प्रकाशन |
| III(ख) | पत्रिका लेखों के अतिरिक्त अन्य प्रकाशन (पुस्तकें, पुस्तकों में अध्याय) | अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा विश्वविद्यालय से अनुमोदित एवं उसकी वेबसाइट पर दर्शायी गईआईएसबीएन/आईएसएसएन (ISBN/ISSN)संख्या सहित पाठ्य/संदर्भ पुस्तकें। सूची को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जानकारी हेतु प्रेषित किया जाएगा। | अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा विश्वविद्यालय से अनुमोदित एवं उसकी वेबसाइट पर दर्शायी गई आईएसबीएन/आईएसएसएन (ISBN/ISSN)संख्या सहित पाठ्य/संदर्भ पुस्तकें। सूची को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जानकारी हेतु प्रेषित किया जाएगा। | एकल लेखक हेतु प्रति पुस्तक 30 |
| | | राष्ट्रीय स्तर के प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित विश्वविद्यालय से अनुमोदित राज्य/केन्द्र सरकार के प्रकाशन एवं उस विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दर्शायी गई आईएसबीएन/आईएसएसएन (ISBN/ISSN)संख्या सहित विषयगत पुस्तकें। सूची को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जानकारी हेतु प्रेषित किया जाएगा। | राष्ट्रीय स्तर के प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित विश्वविद्यालय से अनुमोदित राज्य/केन्द्र सरकार के प्रकाशन एवं उस विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दर्शायी गई आईएसबीएन/आईएसएसएन (ISBN/ISSN)संख्या सहित विषयगत पुस्तकें। सूची को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जानकारी हेतु प्रेषित किया जाएगा। | एकल लेखक हेतु प्रति पुस्तक 20 |
| | | विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित एवं उसकी वेबसाइट पर अन्य स्थानीय रचनाकारों द्वारा प्रकाशित पुस्तकें जोआईएसबीएन/ आईएसएसएन (ISBN/ISSN)संख्या सहित हैं।सूची को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जानकारी हेतु प्रेषित किया जाएगा। | विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित एवं उसकी वेबसाइट पर अन्य स्थानीय रचनाकारों द्वारा प्रकाशित पुस्तकें जो आईएसबीएन/आईएसएसएन (ISBN/ISSN) संख्या सहित हैं। सूची को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जानकारी हेतु प्रेषित किया जाएगा। | एकल लेखक हेतु प्रति पुस्तक 15 |
| | | विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित एवं अपनी वेबसाइट पर दर्शायी गयी आईएसबीएन/आईएसएसएन (ISBN/ISSN)संख्या सहित पुस्तकों के अध्याय जो राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित किये गये हैं। | दर्शायी गयी आईएसबीएन/आईएसएसएन (ISBN/ISSN)संख्या सहित पुस्तकों के अध्याय जो राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित किये गये हैं। | अंतर्राष्ट्रीय–प्रति अध्याय 10<br>राष्ट्रीय– प्रति अध्याय 5 |
| III (ग) | **शोध परियोजनाएं** | | | |
| III(ग)(i) | प्रायोजित परियोजनाएं | (क) रुपए 30.0 लाख से अधिक अनुदान वाली बड़ी परियोजनाएं | रु0 5.0 लाख से अधिक अनुदान वाली बड़ी परियोजनाएं | 20 प्रति परियोजना |
| | | (ख) रुपए 5.0 लाख से रुपए 30.0 लाख | रु0 3.0 लाख से रु0 5.0 लाख | 15 प्रति परियोजना |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | तक अनुदान वाली बड़ी परियोजनाएं | तक अनुदान वाली बड़ी परियोजनाएं | |
| | | (ग) रुपए 1.0 लाख से रुपए 5.0 लाख तक वाली लघु परियोजनाएं | रु0 1.0 लाख रूपए से रु0 3.0 लाख तक वाली लघु परियोजनाएं | 10 प्रति परियोजना |
| III (ग) (ii) | परामर्शी परियोजनाएं | न्यूनतम रुपए 10.0 लाख की राशि के साथ अन्य राशि को जुटाया गया | न्यूनतम रु0 2.0 लाख की राशि के साथ अन्य राशि को जुटाया गया | प्रतिरु0 10.0 लाख और रु0 2.0 लाख हेतु क्रमशः 10 |
| III (ग) (iii) | परियोजना निष्कर्ष /निर्गत | पेटेंट/प्रौद्योगिकी हस्तांतरण/उत्पाद/प्रक्रिया | प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय निकाय जैसे डब्ल्यू एचओ/यूएनओ/यूनेस्को/यूनिसेफ (WHO/UNO/UNESCO/UNICEF)इत्यादि एवं केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्थानीय निकायों के लिए तैयार प्रमुख नीति संबंधी दस्तावेज | प्रति अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निर्गत अथवा पेटेण्ट के लिए 30 तथा राष्ट्रीय स्तर के निर्गत अथवा पेटेंट के लिए 20<br>प्रमुख नीति संबंधी दस्तावेजः<br>अन्तर्राष्ट्रीय निकाओं–30<br>केन्द्रीय सरकार– 20<br>राज्य सरकार– 10<br>स्थानीय निकाय–5 |
| III (घ) | **शोध मार्गदर्शन** | | | |
| III(घ) (i) | एम. फिल | उपाधि प्रदान की गई | उपाधि प्रदान की गई | 5 प्रति उम्मीदवार |
| III(घ) (ii) | पीएच. डी. | उपाधि प्रदान की गई/शोध प्रबंध प्रस्तुत किया गया | उपाधि प्रदान की गई/शोध प्रबंध प्रस्तुत किया गया | 15/10 प्रति उम्मीदवार |
| III (ड) | अध्येतावृत्तियॉ, पुरस्कार और सम्मेलनों/संगोष्ठियों में दिए गए आमंत्रण व्याख्यान | | | |
| III(ड) (i) | अध्येतावृत्तियॉ/पुरस्कार | अकादमिक निकायों से प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार/अध्येतावृत्ति | अकादमिक निकायों/सभाओं से प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार/अध्येतावृत्ति | 15 प्रति पुरस्कार/15 प्रति अध्येतावृत्ति |
| | | अकादमिक निकायों से प्राप्त राष्ट्रीय पुरस्कार/अध्येतावृत्ति | अकादमिक निकायों/सभाओं से प्राप्त राष्ट्रीय पुरस्कार/ अध्येतावृत्ति | 10 प्रति पुरस्कार/10 प्रति अध्येतावृत्ति |
| | | अकादमिक निकायों से प्राप्त राज्य/विश्वविद्यालय स्तर के पुरस्कार | अकादमिक निकायों/सभाओं से प्राप्त राज्य/विश्वविद्यालय स्तर के पुरस्कार | 5 प्रति पुरस्कार |
| III (ड) (ii) | आमंत्रण व्याख्यान/पत्र | अंतर्राष्ट्रीय | अंतर्राष्ट्रीय | 7 प्रति व्याख्यान/<br>5 प्रति प्रस्तुत पत्र |
| | | राष्ट्रीय स्तर | राष्ट्रीय स्तर | 5 प्रति व्याख्यान/<br>3 प्रति प्रस्तुत पत्र |
| | | राज्य/विश्वविद्यालय स्तर | राज्य/विश्वविद्यालय स्तर | 3 प्रति व्याख्यान/<br>2 प्रति प्रस्तुत पत्र |
| | इस उप–श्रेणी के अंतर्गत अंकों को किसी भी आकलन अवधि हेतु श्रेणी तीन के लिए निर्धारित न्यूनतम के 20%तक सीमित कर दिया जाएगा। | | | |
| III (च) | ई–लर्निंग परिदान प्रक्रिया /सामग्री का विकास | | | 10 प्रतिमापांक |

*जहां कहीं भी किसी विशेष विषय से प्रासंगिक हो, संदर्भित (Refereed) पत्रिकाओं में पत्र हेतु एपीआई अंकों को निम्न प्रकार जोड़ा जाएगाः जो (एक) 1 से कम प्रभाव कारक वाले पत्र– 5 अंकों द्वारा (दो) 1 और 2 के बीच प्रभाव कारक वाले पत्र–10 अंकों द्वारा (तीन) 2 और 5 के बीच प्रभाव कारक वाले पत्र–15 अंकों द्वारा (चार) 5 और 10 के बीच प्रभाव कारक वाले पत्र–20 अंकों द्वारा (पांच) 10 से अधिक प्रभाव कारक वाले पत्र–25 अंकों द्वारा। संयुक्त प्रकाशनों हेतु एपीआई की गणना निम्नलिखित तरीके से की जाएगी संबंधित शिक्षक द्वारा प्रकाशन की प्रासंगिक श्रेणी हेतु कुल अंकों के, प्रथम और प्रमुख/अनुरुप (Corresponding) लेखक/पर्यवेक्षक/मार्गदर्शक कुल अंकों के 70% को समान रूप से साझा करेंगे और शेष 30% शेष अन्य लेखकों द्वारा समान रूप से साझा किए जाएंगे।

**#विष्वविद्यालय पत्रिकाओं को विषयवार रूप से विषेषज्ञ समिति के द्वारा चिन्हित करायेगा, तथा अपनी अनुषंसायें यूजीसी स्थायी समिति की स्वीकृति हेतु, यूजीसी द्वारा निर्धारित प्रारुप में आयोग को अग्रसारित करेगा। इस सूची में से जो पत्रिकायें यूजीसी की स्थायी समिति द्वारा स्वीकृत की गयीं हैं, उन्हें यूजीसी द्वारा अधिसूचित "प्रत्रिकाओं की सूची" में सम्मिलित किया जाएगा। विष्वविद्यालय से सूची प्राप्त होने के 60 कार्य दिवस के भीतर यूजीसी की स्थायी समिति अपनी अनुषंसायें प्रस्तुत करेगी। यूजीसी की स्थायी समिति स्वयंमेव, "पत्रिकाओं की सूची" में सम्मिलित करने के लिए पत्रिकाओं की अनुषंसा करेगी। विष्वविद्यालय द्वारा धारा 6.0.5 (i) का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।**

## परिशिष्ट–III तालिका–II(क)

**परिशिष्ट–III तालिका–I में दर्षाए गए न्यूनतम एपीआई,जिन्हें विश्वविद्यालय विभागों और महाविद्यालयों में करियर उन्नति योजना (सीएएस) के अन्तर्गत शिक्षकों की पदोन्नति एवं विषेषज्ञों के आकलन हेतु अधिमान के लिए लागू किया जाना है।**

| श्रेणी | क्रियाकलाप | सहायक आचार्य/समकक्ष संवर्ग | सहायक आचार्य/समकक्ष | सहायक आचार्य (चरण 3) से | सह–आचार्य (चरण 4) से | आचार्य (चरण 5) से |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | (चरण 1 से चरण 2) तक | संवर्ग (चरण 2 से चरण 3) तक | सह–आचार्य/समकक्ष संवर्ग (चरण 4) तक | आचार्य/समकक्ष संवर्ग (चरण 5) तक | आचार्य (चरण 6) तक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | शिक्षण–ज्ञानार्जन, मूल्यांकन संबद्ध क्रियाकलाप | 80/वर्ष | 80/ वर्ष | 75/ वर्ष | 70/ वर्ष | 70/ वर्ष |
| II | व्यावसायिक विकास और विस्तारण क्रियाकलाप–न्यूनतम अंकों का आंकलन कुल मिलाकर किया जाना आवश्यक है | 50/आकलन अवधि | 50/आकलन अवधि | 50/आकलन अवधि | 50/आकलन अवधि | 100/आकलन अवधि |
| III | शोध और शैक्षिक योगदान– न्यूनतम अंकों का आकलन कुल मिलाकर किया जाना आवश्यक है | 20/आकलन अवधि | 50/आकलन अवधि | 75/आकलन अवधि | 100/आकलन अवधि | 400/आकलन अवधि |
| II+III | श्रेणी II और III के अंतर्गत न्यूनतम कुल एपीआई अंक* | 90/आकलन अवधि | 120/आकलन अवधि | 150/आकलन अवधि | 180/आकलन अवधि | 600/आकलन अवधि |
| IV | विशेषज्ञ आकलन प्रणाली | छानबीन–सह–आकलन समिति | छानबीन–सह–आकलन समिति | चयन समिति | चयन समिति | विशेषज्ञ समिति |
| V | विशेषज्ञ आकलन में अधिमान अंकों का प्रतिशत वितरण (कुल अधिमान= 100. पदोन्नति हेतु न्यूनतम 50 की आवश्यकता हैं) | अलग से कोई अंक नहीं।छानबीन समिति को एपीआई प्राप्तांक का सत्यापन करना है। | अलग से कोई अंक नहीं। छानबीन समिति को एपीआई प्रापतांक का सत्यापन करना है। | 30%शोध योगदान 50% विषय क्षेत्र के ज्ञान और शिक्षण अभ्यास का आकलन 20%साक्षात्कार में प्रदर्शन | 50%शोध योगदान 30% विषय क्षेत्र के ज्ञान और शिक्षण अभ्यास का आकलन 20%साक्षात्कार में प्रदर्शन | 50%शोध योगदान 50% प्रदर्शन मूल्यांकन और संप्रेक्षण प्रक्रिया द्वारा अन्य प्रत्यय पत्र |

*** शिक्षक श्रेणी II + III के अंतर्गत आवश्यक न्यूनतम प्राप्तांकों को प्राप्त करने के लिए श्रेणी II अथवा श्रेणी IIIमें से किसी से भी अंकों का शेषप्राप्त कर सकते हैं।**

## परिशिष्ट–IIIतालिका–II (ख)

**विश्वविद्यालय विभागों/महाविद्यालयों में शिक्षकों की सीधी भर्ती हेतु एपीआई के लिए न्यूनतम प्राप्तांक और विनियम में वर्णित अन्य विनिर्दिष्ट पात्रता अर्हताओं के साथ अधिमानों पर चयन समितियों में विचार किये जाने हेतु**

| | सहायक आचार्य (चरण 1) | सह–आचार्य (चरण 4) | आचार्य (चरण 5) |
|---|---|---|---|
| न्यूनतम एपीआई प्राप्तांक | इन विनियमों में यथावर्णित न्यूनतम अर्हताएँ | एपीआई की श्रेणी II और III से 300 अंकों के कुल एपीआई प्राप्तांकों की संघटित आवश्यकता (कुल मिलाकर) | एपीआई की श्रेणी II और III से 400 अंकों के कुल एपीआई प्राप्तांकों की संघटित आवश्यकता (कुल मिलाकर) |
| चयन समितिमानदण्ड/अधिमान (कुल अधिमान= 100) | (क) शैक्षिक रिकार्ड और शोध प्रदर्शन (50%) (ख)विषय की जानकारी और शिक्षण कौशल का आकलन (30%) (ग) साक्षात्कार में प्रदर्शन (20%) | (क) शैक्षिक पृष्ठभूमि (20%) (ख) एपीआई प्राप्तांक और प्रकाशनों की गुणवत्ता पर आधारित शोध प्रदर्शन (40%) (ग) विषय की जानकारी और शिक्षण कौशल का आकलन (20%) (घ) साक्षात्कार में प्रदर्शन (20%) | (क) शैक्षिक पृष्ठभूमि (20%) (ख) एपीआई प्राप्तांक और प्रकाशनों की गुणवत्ता पर आधारित शोध प्रदर्शन (40%) (ग) विषय की जानकारी और शिक्षण कौशल का आकलन (20%) (घ) साक्षात्कार में प्रदर्शन (20%) |

## परिशिष्ट–III तालिका–III

**विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों की पदोन्नति हेतु न्यूनतम शैक्षिक प्रदर्शन और सेवा संबंधी अपेक्षाएं**

| क्रम संख्या | सीएएस के माध्यम से शिक्षकों की पदोन्नति | सेवा आवश्यकताएं | न्यूनतम शैक्षिक प्रदर्शन और छानबीन/चयन मानदण्ड |
|---|---|---|---|
| 1 | सहायक | चरण 1 में सहायक आचार्य और | (i) वि.अ.आ. द्वारा विकसित पीबीएएस गणना प्रारूप का |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | आचार्य/समकक्ष संवर्ग चरण 1 से चरण 2 तक | पीएचडी के साथ चार वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो अथवा जिन्होंनें एम.फिल/एलएल.एम, एम.टेक, एम.वी.एससी., एम.डी. जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो अथवा जिन्होंने पीएच.डी./एम. फिल./व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के बिना छह वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। | उपयोग कर न्यूनतम सकल एपीआई प्राप्तांकजो तालिका II (क) में दिए गए मानदण्डों के अनुसार है<br>(ii)2/3 सप्ताह की अवधि का एक प्रबोधन और एक पुनश्चर्या/शोध प्रणाली पाठ्यक्रम<br>(iii)पदोन्नति की अनुशंसा हेतु छानबीन सह सत्यापन प्रक्रिया |
| 2 | सहायक आचार्य/समकक्ष संवर्ग चरण 2 से चरण 3 तक | चरण 2 में पांच वर्ष की पूरी सेवा वाले सहायक आचार्य | (i)वि.अ.आ. द्वारा विकसित पीबीएएस गणना प्रारूप का उपयोग कर न्यूनतम सकल एपीआई प्राप्तांक जो तालिका II (क) में दिए गए मानदण्डों के अनुसार है<br>(ii)पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों, प्रविधि कार्यशालाओं, प्रशिक्षण, शिक्षण–ज्ञानार्जन–मूल्यांकन तकनीकी पाठ्यक्रमों, सरल कौशल विकास कायक्रमों और संकाय विकास कायक्रमों की श्रेणियों में से 2/3 सप्ताह की अवधि कीएकपाठ्यचर्या/पाठ्यक्रम<br>(iii)पदोन्नति की अनुशंसा हेतु छानबीन सह–सत्यापन प्रक्रिया |
| 3 | सहायक आचार्य(चरण 3) से सह–आचार्य (चरण 4) तक | चरण 3 में तीन वर्ष की पूरी सेवा वाले सहायक आचार्य | (i) वि.अ.आ. द्वारा विकसित पीबीएएस गणना प्रारूप का उपयोग कर न्यूनतम सकल एपीआई प्राप्तांक जो तालिका II (क) में दिए गए मानदण्डों के अनुसार है<br>(ii)सहायक आचार्य के तौर पर संपूर्ण अवधि (बारह वर्ष) में कम से कम तीन प्रकाशन हों। तथापि, महाविद्यालय के शिक्षकों के मामले में एम.फिल. धारकों को एक प्रकाशन और पीएच.डी. धारकों को दो प्रकाशनों की छूट प्रदान की जा सकती है।<br>(iii)प्रविधि कार्यशालाओं, प्रशिक्षण, शिक्षण–ज्ञानार्जन–मूल्यांकन तकनीक पाठ्यक्रमों, सरल कौशल विकास पाठ्यक्रम और संकाय विकास कार्यक्रम की श्रेणियों में से कम से कम एक सप्ताह की अवधि का एक पाठ्यक्रम /पाठ्यचर्या हो।<br>(iv) तालिका II (क) में निर्धारित विनियम के अनुसार एक चयन समिति प्रक्रिया |
| 4 | सह–आचार्य(चरण 4) से आचार्य (चरण 5)तक | चरण 4 में तीन वर्ष की पूरी सेवा वाले सह–आचार्य | (i) वि.अ.आ. द्वारा विकसित पीबीएएस गणना प्रारूप का उपयोग कर न्यूनतम सकल एपीआई प्राप्तांकजो तालिका II (क) में दिए गए मानदण्डों के अनुसार है, यदि आावश्यक हो तो शिक्षक न्यूनतम प्राप्तांक उपलब्ध करने के लिए (चरण 2 और 3 के अन्तर्गत) दो आकलन अवधियों को संयोजित कर सकते हैं।<br>(ii)शिक्षक के चरण 3 में आने के बाद से कम से कम पांच प्रकाशन।<br>(iii) तालिका II (क) में निर्धारित विनियम के अनुसार एक चयन समिति प्रक्रिया |
| 5 | आचार्य(चरण 5) से आचार्य (चरण 6)तक | दस वर्ष की पूरी सेवा वाले आचार्य (केवल विश्वविद्यालय) | (i) वि.अ.आ. द्वारा विकसित पीबीएएस गणना प्रारूप का उपयोग कर न्यूनतम सकल एपीआई प्राप्तांक जो तालिका II (क) में दिए गए मानदण्डों के अनुसार है<br>(ii)अतिरिक्त प्रत्यायकों के साक्ष्य रूप में निम्न को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।<br>(क) उच्च स्तरीय पोस्टडॉक्टोरल शोध परिणाम<br>(ख) पुरस्कार/सम्मान/प्रमाणन/उत्पादों पर पेटेंट और |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | आईपीआर जो कि उन विकसित एवं उपलब्ध हस्तांतरित प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रक्रियाओं पर है एवं (ग) डी.एससी., डी.लिट्.,एलएल.डी., आदि जैसी अतिरिक्त शोध उपाधियां।<br>(iii) तालिका II (क) में निर्धारित विनियम के अनुसार एक चयन समिति प्रक्रिया, यथा विनिर्दिष्ट एक चयन विशेषज्ञ समिति द्वारा पुनरीक्षण प्रक्रिया । |

## परिशिष्ट–III: तालिका IV

**शारीरिक एवं खेलकूद शिक्षा में,करियर उन्नति योजना (सीएएस) के लिए, सहायक निदेशक,महाविद्यालय निदेशक की पदोन्नति हेतु तथा विश्वविद्यालयों में उप निदेशक और निदेशक की सीधी भर्ती के लिए अकादमिक प्रदर्शन संकेतांक (एपीआई)**

शारीरिक शिक्षा कार्मिकों के विभिन्न स्तरों के लिए प्रत्यक्ष कार्यभार और दिया जाने वाला अधिमान

| | प्रति सप्ताह प्रत्यक्ष कार्य घंटे | अधिमान |
|---|---|---|
| सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा | 40 | 100 |
| उप निदेशक, शारीरिक शिक्षा | 36+4* | 90 |
| निदेशक, शारीरिक शिक्षा | 32+8* | 80 |

शारीरिक शिक्षा कार्मिकों के स्व–आकलन पर आधारित, एपीआई अंकों को निम्नलिखित के लिए प्रस्तावित किया जाता है (क) व्याख्यान सह अभ्यास आधारित एथलीट/खेल कक्षाएं, अनुशिक्षण और प्रशिक्षण संबंधी क्रियाकलाप (ख) खेलकूद और खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना तथा प्रबंधन संबंधी क्रियाकलाप और (ग) खेल अवसंरचना और विस्तारण सेवाओं आदि का उन्नयन। इस श्रेणी के शारीरिक शिक्षा कार्मिकों द्वारा जरूरी न्यूनतम एपीआई अंक पदोन्नति के विभिन्न स्तरों हेतु अलग–अलग हैं। स्व–आकलन अंक तटस्थ रूप से उद्देश्य परक सत्यापन योग्य अभिलेखों पर आधारित होने चाहिए। इसे छानबीन सह मूल्यांकन/चयन समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा। यदि संस्थानिक विनिर्दिष्टता की आवश्यकता हो, तो विश्वविद्यालय क्रियाकलापों का ब्यौरा इस श्रेणी के अंतर्गत आवश्यक न्यूनतम कुल एपीआई अंकों को परिवर्तित किए बिना अधिमानों को समायोजित कर सकते हैं।

*** प्रशासनिक उत्तरदायित्वों, नवोन्मेष, सुविधाओं का उन्नयन, सेवा का विस्तार आदि के संबंध में उपयोग किए गए घंटे**

**श्रेणी I: शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुशिक्षण, खिलाड़ी विकास और खेल प्रबंधन से जुड़े क्रियाकलाप**

| क्रियाकलाप की प्रकृति | सहायक निदेशक/महाविद्यालय निदेशक | | उप निदेशक | | निदेशक | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | अधिकतम अंक | वास्तविक अंक | अधिकतम अंक | वास्तविक अंक | अधिकतम अंक | वास्तविक अंक |
| क. आवंटित घंटों के अनुसार व्याख्यान सह अभ्यास आधारित एथलीट/खेल कक्षाएं, संगोष्ठियां करना/प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना/खिलाड़ी विकास/प्रशिक्षण वृत्ति (50 अंक)<br>खेल प्रतिभाओं की पहचान करना और छात्रों के बीच खेल उत्कृष्टता का सर्वधन करना (20 अंक)<br>खेल के मैदानों का विकास और रख–रखाव, अन्य खेल सुविधाओं की खरीद और रख–रखाव (10 अंक) | 80 | प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷17.5 | 70 | प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷17.25 | 60 | प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷16.75 |
| ख. खिलाडियों हेतु शारीरिक शिक्षा और खेल वृत्ति का प्रबंधन (आयोजनों, निष्पादन | 10 | प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए | 10 | प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए | 10 | प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| और शारीरिक शिक्षा तथा खेलों में नीतियों का मूल्यांकन) (10 अंक)<br>अंतर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय / राज्य / अंतर–विश्वविद्यालय / अंतर जोन स्तरों पर खेलकूद और खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराना (10 अंक) | | वास्तविक घंटे ÷10 | | वास्तविक घंटे ÷10 | | वास्तविक घंटे ÷10 |
| ग. शारीरिक शिक्षा और खेलों में वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान का उन्नयन (10 अंक)<br>अवकाश के दिनों में संस्थाओं और संगठनों में सेवाएं, खेल सुविधाएं और प्रशिक्षण संबंधी सेवाओं का विस्तारण करना (10 अंक) | 10 | प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷10 | 10 | प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷10 | 10 | प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷10 |

**श्रेणी II: व्यावसायिक विकास, सह–पाठ्यक्रम और विस्तारण क्रियाकलाप**

शारीरिक शिक्षा संवर्ग के स्व–आकलन पर आधारित, श्रेणी II एपीआई प्राप्तांकों को सह–पाठ्यक्रम, विस्तारण क्रियाकलापों और व्यावसायिक विकास से संबंधित योगदानों के लिए प्रस्तावित किया जाता है। `मदों और प्राप्तांकों की एक सूची नीचे दी गई है। स्व–आकलन प्राप्तांक तटस्थ रूप से सत्यापनीय कसौटी पर आधारित होने चाहिए और इसे छानबीन सह मूल्यांकन समिति द्वारा सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा / महाविद्यालय निदेशक से उच्चतर पदों हेतु तथा चयन समिति द्वारा सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा से उप निदेशक शारीरिक शिक्षा तथा उप निदेशक शारीरिक शिक्षा से निदेशक शारीरिक शिक्षा पद पर पदोन्नति हेतु तथा उप निदेशक शारीरिक शिक्षा और निदेशक शारीरिक शिक्षा के पद पर सीधी भर्ती हेतु अंतिम रूप दिया जाएगा।

नीचे दी गई नमूना तालिका में क्रियाकलापों और एपीआई प्राप्तांकों के समूह दिये गये हैं। विश्वविद्यालय क्रियाकलापों का ब्यौरा अथवा, यदि संस्थानिक विनिर्दिष्टता की आवश्यकता हो, इस श्रेणी के अंतर्गत आवश्यक न्यूनतम कुल एपीआई प्राप्तांकों को परिवर्तित किए बिना अधिमानों को समायोजित कर सकते हैं।

| **क्रियाकलाप की प्रकृति** | **अधिकतम एपीआई प्राप्तांक** | **वास्तविक प्राप्तांक** |
|---|---|---|
| (क)छात्र संबंधी सह–पाठ्येतर, विस्तारण और क्षेत्र आधारित कियाकलाप<br>(i) विषय संबंधीपाठ्येतर क्रियाकलाप(सांस्कृतिक, खेलकूद, रा.से.यो., एनसीसी आदि)(विभिन्न स्तर के भीतरी और बाहरी कार्यक्रम)<br>(ii) विस्तारण और प्रसार क्रियाकलाप(सार्वजनिक / प्रसिद्ध व्याख्यान / चर्चाएँ / संगोष्ठियां आदि) | 15 | प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷10 |
| (ख)कारपोरेट जीवन के प्रति योगदान और खेल और प्रशासनिक समितियों तथा उत्तरदायित्वों में भागीदारी के माध्यम से खेल इकाईयों और संस्था का प्रबंधन<br>(जिसमें प्राचार्य / निदेशक / संयोजक / अन्य समान ड्यूटी जिनके निस्तारण हेतु नियमित कार्यालय घण्टों की आवश्यकता है, वे सब शामिल हैं) | 15 | प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷10 |
| (ग)व्यावसायिक विकास क्रियाकलाप (यथा संगोष्ठियों / सम्मेलनों, लघु अवधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, शिविरों और आयोजनों, चर्चा में भाग लेना, पुनर्च्या / संकाय विकास पाठ्यक्रमों में व्याख्यान देना, संघों की सदस्यता, प्रसार, और सामान्य लेख तथा अन्य कोई योगदान) | 15 | प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷10 |

**श्रेणी–III: शोध और अकादमिक योगदान**

स्व–आकलन पर आधारित, एपीआई प्राप्तांको को **श**ोध और खेल योगदान हेतु प्रस्तावित किया जाता है। इस श्रेणी में जरूरी न्यूनतम एपीआई प्राप्तांक विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पदोन्नति के विभिन्न स्तरों के लिए अलग–अलग हैं। स्व–आकलन प्राप्तांक सत्यापनीय कसौटी पर आधारित होंगे और इसे छानबीन सह–मूल्यांकन समिति द्वारा शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के सहायक निदेशक के पद से उच्चतर पदों पर पदोन्नति हेतु,शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद की चयन समिति द्वारा सहायक निदेशक के पद से उप निदेशक के पद पर पदोन्नति हेतु,तथा उप निदेशक शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद और निदेशक शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के पद के लिए सीधी भर्ती हेतु अंतिम रूप दिया जाएगा।

| **श्रेणी** | **क्रियाकलाप** | **शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद संकाय** | **विश्वविद्यालय / महाविद्यालय के निदेशक, शारीरिक शिक्षा, हेतु अधिकतम प्राप्तांक*** |
|---|---|---|---|
| III(क) | जिनमें शोध पत्रों का प्रकाशन | वि.अ.आ. द्वारा यथा अधिसूचित संदर्भित | 25 प्रति प्रकाशन |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | हैः | (Refereed) पत्रिकाएँ# | |
| | | वि.अ.आ. द्वारा यथा अधिसूचित अन्य प्रतिष्ठित पत्रिकाएं# | 10 प्रति प्रकाशन |
| III(ख) | पत्रिका लेखों के अतिरिक्त अन्य प्रकाशन (पुस्तकें, पुस्तकों में अध्याय) | अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा पाठ्य/संदर्भ पुस्तकें जिनमें आइएसबीएन/आइएसएसएन (ISBN/ISSN) संख्या विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत है, वह दर्शाई गई है तथा उनकी वेबसाइट पर स्थापित की गई है। यह सूची यूजीसी को प्रेषित की जाएगी। | प्रति पुस्तक 30, एकल लेखक हेतु |
| | | राष्ट्रीय स्तर के प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित विषयवार पुस्तकें जो आइएसबीएन/ आइएसएसएन (ISBN/ISSN) संख्या सहित हैं अथवा राज्य/केन्द्रीय सरकार प्रकाशन हैं जो विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत हैं और उनकी वेबसाइट पर स्थापित हैं। यह सूची यूजीसी को प्रेषित की जाएगी। | प्रति पुस्तक 20, एकल लेखक हेतु |
| | | अन्य स्थानीय प्रकाशकों द्वारा विषयवार पुस्तकें जो आइएसबीएन/आइएसएसएन (ISBN/ISSN) संख्या सहित हैं जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत है और उनकी वेबसाइट पर स्थापित है। यह सूची यूजीसी को प्रेषित की जाएगी। | प्रति पुस्तक 15, एकल लेखक हेतु |
| | | राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के अध्याय जिनमें आइएसबीएन/ आइएसएसएन (ISBN/ISSN) संख्या सहित हैं जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत है और उनकी वेबसाइट पर स्थापित है। यह सूची यूजीसी को प्रेषित की जाएगी। | अंतर्राष्ट्रीय— 10 प्रति अध्याय राष्ट्रीय—5 प्रति अध्याय |
| III (ग) | **शोध परियोजनाएँ** | | |
| III(ग) (i) | प्रायोजित परियोजनाएँ | (क) रु0 5.0 लाख से अधिक अनुदान वाली बड़ी परियोजनाएं | 20 प्रति परियोजना |
| | | (ख) रु0 3.0 लाख से रु0 5.0 लाख तक अनुदान वाली बड़ी परियोजनाएं | 15 प्रति परियोजना |
| | | (ग) रु0 1.0 लाख से रु0 3.0 लाख तक वाली लघु परियोजनाएं | 10 प्रति परियोजना |
| III(ग)(ii) | परामर्शकार्य परियोजनाएँ | न्यूनतम रु0 2.0 लाख की राशि से संचालित करना | प्रति रु0 2.0 लाख की राशि पर 10 |
| III (ग)(iii) | परियोजना के परिणाम/निष्कर्ष | प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय निकाय, जैसे डब्ल्यू एचओ/यूएनओ/यूनेस्को/यूनिसेफ (WHO/UNO/UNESCO/UNICEF)इत्यादि एवं केन्द्रीय/राज्य सरकार/ स्थानीय निकायों के लिए तैयार प्रमुख नीति संबंधी दस्तावेज | अंतर्राष्ट्रीय निकायों के नीति विषयक दस्तावेज —30<br>केन्द्रीय सरकार— 20<br>राज्य सरकार— 10<br>स्थानीय निकाय— 5 |
| III(घ) | **शोध मार्गदर्शन** | | |
| III (घ)(i) | एम.फिल. | उपाधि प्रदान की गई | 5 प्रति उम्मीदवार |
| III(घ)(ii) | पीएच.डी. | उपाधि प्रदान की गई/शोध प्रबंध प्रस्तुत किया गया | 15/10 प्रति उम्मीदवार<br>10 प्रति उम्मीदवार |
| III (ड़) | सम्मेलनों/संगोष्ठियों में प्रदान किये गये पुरस्कार/अध्येतावृत्तियॉ/आमंत्रण व्याख्यान/प्रस्तुत किए गए पत्र | | |
| III (ड़)(i) | पुरस्कार/अध्येतावृत्ति | सरकारी/मान्य अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूद निकायों/अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूद संगठनों से प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार/ अध्येतावृत्ति | 15 प्रति पुरस्कार/15 प्रति अध्येतावृत्ति |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | पुरस्कार/अध्येतावृति | सरकारी/मान्य राष्ट्रीय खेलकूद निकायों/राष्ट्रीय खेलकूद संगठनों से प्राप्त राष्ट्रीय पुरस्कार/अध्येतावृत्ति | 10 प्रति पुरस्कार/10 प्रति अध्येतावृति |
| | पुरस्कार/अध्येतावृत्ति | सरकारी/मान्य राज्य खेलकूद निकायों/राज्य सरकारी संगठनों से प्राप्त/राज्य/विश्वविद्यालय पुरस्कार/अध्येतावृत्ति | 5 प्रति पुरस्कार |
| III (ड़)(ii) | आमंत्रित व्याख्यान/प्रस्तुत किए गए पत्र | अंतर्राष्ट्रीय | 7 प्रति व्याख्यान/5 प्रति प्रस्तुत पत्र |
| | | राष्ट्रीय स्तरीय | 5 प्रति व्याख्यान/3 प्रति प्रस्तुत पत्र |
| | | राज्य/विश्वविद्यालय स्तरीय | 3 प्रति व्याख्यान/2 प्रति प्रस्तुत पत्र |
| | इस उप–श्रेणी के अंतर्गत प्राप्तांकों को किसी भी आकलन अवधि हेतु श्रेणी III के लिए निर्धारित न्यूनतम के 20% तक सीमित कर दिया जाएगा। | | |
| III (ड़)(iii) | ई–लर्निंग परिदान प्रक्रिया /सामग्री का विकास | | 10 प्रति इकाई |

* जहां कहीं भी प्रासंगिक हो, संदर्भित (Refereed) पत्रिकाओं में पत्रों हेतु एपीआई प्राप्तांकों को निम्न प्रकार से जोड़ा जाएगाः (ii) 1 से कम प्रभाव कारक वाले पत्र– 5 अंकों द्वारा (ii) 1 और 2 के बीच प्रभावकारक (Impact) वाले पत्र– 10 अंकों द्वारा (iii) 2 और 5 के बीच प्रभाव कारक (Impact) वाले पत्र– 15 अंकों द्वारा (iv) 5 और 10 के बीच प्रभाव कारक (Impact) वाले पत्र– 20 अंकों द्वारा (v) 10 से अधिक प्रभाव कारक (Impact) वाले पत्र– 25 अंकों द्वारा। संयुक्त प्रकाशनों/पुस्तकों हेतु एपीआई की गणना निम्नलिखित तरीके से की जाएगीः संबंधित शिक्षक द्वारा प्रकाशन की प्रासंगिक श्रेणी हेतु कुल प्राप्तांकों के, प्रथम और प्रमुख/अनुरुप (Corresponding) लेखक/पर्यवेक्षक/शिक्षक के मार्गदर्शक कुल प्राप्तांकों के 70% को समान रूप से साझा करेंगे और शेष 30% बाकी अन्य लेखकों द्वारा समान रूप से साझा किए जाएंगे।

#विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वीकृति हेतु विषय विशेषज्ञ समिति विश्वविद्यालय विषयवार पत्रिकाएँ चिन्हित करेगा तथा यूजीसी द्वारा निर्धारित प्रारुप में अपनी अनुशंसायें प्रेषित करेगा। इस सूची के अन्तर्गत अनुमोदित पत्रिकाएँ जो कि यूजीसी स्थायी समिति ने स्वीकृत की हैं, वे ''पत्रिका सूची'' – जो यूजीसी द्वारा अधिसूचित है–उसमें सम्मिलित किया जाएगा। विश्वविद्यालय से यह सूची प्राप्त होने से 60 कार्यकारी दिवसों के भीतर यूजीसी स्थायी समिति अपनी अनशंसाएं प्रस्तुत कर देगी। ''पत्रिका सूची'' में सम्मिलित करने के लिए यूजीसी स्थायी समिति स्वमेव ही पत्रिकाओं की अनुशंसा कर सकती है। विश्वविद्यालय द्वारा धारा 6.0.5 (i) का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।

**परिशिष्ट–III तालिका–V (क)**

**विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में सहायक/महाविद्यालय निदेशक और उप निदेशक, शारीरिक शिक्षा की करियर उन्नति योजना (सीएएस) के अन्तर्गत पदोन्नति हेतु परिशिष्ट–तीन तालिका–I में दिए गए न्यूनतम एपीआई को लागू किया जाए, और चयन समितियों में विषेषज्ञ आकलन हेतु अधिमानता प्रोन्नत करने के लिए।**

| श्रेणी | क्रियाकलाप | शारीरिक शिक्षा में सहायक/महाविद्यालय निदेशक (चरण 1 से चरण 2)तक | शारीरिक शिक्षा में सहायक/महाविद्यालय निदेशक (चरण 2 से चरण 3) तक | शारीरिक शिक्षा में सहायक/महाविद्यालय निदेशक (चरण 3) से उप/महाविद्यालय निदेशक (चरण 4)तक | शारीरिक शिक्षा में उप निदेशक (चरण 4) से निदेशक, शारीरिक शिक्षा (चरण 5)तक |
|---|---|---|---|---|---|
| I | शिक्षण, प्रशिक्षण, कोचिंग, खिलाड़ियों का विकास और खेल प्रबंधन क्रियाकलाप | 80/वर्ष | 80/वर्ष | 75/वर्ष | 70/वर्ष |
| II | व्यावसायिक विकास और विस्तारण क्रियाकलाप–न्यूनतम प्राप्तांकों का आकलन कुल मिलाकर किया जाना आवश्यक है | 50/आकलन अवधि | 50/आकलन अवधि | 50/आकलन अवधि | 50/आकलन अवधि |
| III | शोध और शैक्षिक योगदान– न्यूनतम अंकों का आकलन कुल मिलाकर किया जाना आवश्यक है | 20/आकलन अवधि | 50/आकलन अवधि | 75/आकलन अवधि | 100/आकलन अवधि |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| II + III | श्रेणी II और III के अंतर्गत न्यूनतम कुल एपीआई प्राप्तांक* | 90/आकलन अवधि | 120/आकलन अवधि | 150/आकलन अवधि | 180/आकलन अवधि |
| | विशेषज्ञ आकलन प्रणाली | छानबीन सह आकलन समिति | छानबीन सह आकलन समिति | चयन समिति | चयन समिति |
| V | विशेषज्ञ आकलन में अधिमान अंकों का प्रतिशत वितरण (कुल अधिमान = 100.न्यूनतम 50 आवश्यक) | अलग से कोई अंक नहीं। छानबीन समिति को एपीआई अंक का सत्यापन करना है। | अलग से कोई अंक नहीं। छानबीन समिति को एपीआई अंक का सत्यापन करना है। | 30%शोध योगदान<br>50% विषय क्षेत्र के ज्ञान और शिक्षण अनुभव का आकलन<br>20%साक्षात्कार प्रदर्शन | 50%शोध योगदान<br>30% विषय क्षेत्र के ज्ञान और शिक्षण अनुभव का आकलन<br>20%साक्षात्कार प्रदर्शन |

*** श्रेणी II+III के अंतर्गत आवश्यक न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करने के लिए श्रेणी II अथवा श्रेणी III किसी से भी प्राप्तांकों के अंकों का शेष प्राप्त कर सकते हैं।**

### परिशिष्ट–III तालिका–V (ख)

**विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा संवर्ग की सीधी भर्ती हेतु एपीआई के लिए न्यूनतम प्राप्तांक और विनियम में वर्णित अन्य विनिर्दिष्ट पात्रता अर्हताओं के साथ अधिमानों पर चयन समितियों में विचार किया जाना।**

| | **सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा (चरण 1)** | **उप निदेशक शारीरिक शिक्षा (चरण 4)** | **निदेशक शारीरिक शिक्षा (चरण 5)** |
|---|---|---|---|
| न्यूनतम एपीआई प्राप्तांक | इन विनियमों में यथा वर्णित न्यूनतम योग्यता | संघटित एपीआई की श्रेणी II और III से 300 प्राप्तांकों के कुल एपीआई प्राप्तांकों की आवश्यकता (कुल मिलाकर) | संघटित एपीआई की श्रेणी II और III से 400 प्राप्तांकों के कुल एपीआई प्राप्ताकों की आवश्यकता (कुल मिलाकर) |
| चयन समिति मानदण्ड/अधिमान (कुल अधिमान= 100) | (क) जीती गई प्रतियोगिता का रिकार्ड (30%)<br>(ख) खेल और एथलीट कौशल (40%)<br>(ग) साक्षात्कार में प्रदर्शन (30%) | (क) शोध पत्र (3) मूल्यांकन (40%)<br>(ख) संगठनात्मक कौशल/खेलों की आयोजना (30%)<br>(ग) साक्षात्कार में प्रदर्शन (30%) | (क) शोध पत्र (5) मूल्यांकन (50%)<br>(ख) संगठनात्मक सतत् रूप से निरीक्षण की जाने वाली योजना(25%)<br>(ग) साक्षात्कार में प्रदर्शन (25%) |

### परिशिष्ट–III–तालिका–VI

**विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा संवर्गों की पदोन्नति हेतु न्यूनतम शैक्षिक प्रदर्शन और सेवा संबंधी अपेक्षाएं**

| **क्रम संख्या** | **सीएएस के माध्यम से शारीरिक शिक्षा संवर्गों की पदोन्नति** | **सेवा आवश्यकताएं (मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा यथा निर्धारित)** | **न्यूनतम शैक्षिक प्रदर्शन आवश्यकताएं और छानबीन /चयन मानदण्ड** |
|---|---|---|---|
| 1 | सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा/महाविद्यालय निदेशक शारीरिक शिक्षा से सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा (वरिष्ठ वेतनमान)/महाविद्यालय निदेशक शारीरिक शिक्षा (वरिष्ठ वेतनमान)(चरण 1 से चरण 2) | चरण 1 में सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा /महाविद्यालय निदेशक शारीरिक शिक्षा और पीएच.डी. के साथ चार वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो अथवा जिन्होंनें एम.फिल के साथ पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो अथवा जिन्होंने पीएच.डी. /एम.फिल. के बिना छह वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। | (i) तालिका V(क) में दिए गए मानदण्डों के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विकसित पीबीएएस गणना प्रारूप का उपयोग कर न्यूनतम सकल एपीआई प्राप्तांक<br>(ii) 3/4 सप्ताह की अवधि का एक प्रबोधन और एक पुनष्चर्या/शोध प्रणाली पाठ्यक्रम<br>(iii) पदोन्नति की अनुशंसा हेतु छानबीन सह सत्यापन प्रक्रिया |
| 2 | सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा (वरिष्ठ | चरण 2 में पांच वर्ष की पूरी सेवा वाले सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा (वरिष्ठ | (i) तालिका V(क) में दिए गए मानदण्डों के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विकसित पीबीएएस |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | वेतनमान)/महाविद्यालय निदेशक शारीरिक शिक्षा (वरिष्ठ वेतनमान)से उप निदेशक शारीरिक शिक्षा /सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा (सलेक्शन ग्रेड)/महाविद्यालय निदेशक शारीरिक शिक्षा (सलेक्शन ग्रेड)(चरण 2 से चरण 3) | वेतनमान)/महाविद्यालय निदेशक शारीरिक शिक्षा (वरिष्ठ वेतनमान) | गणना प्रारूप का उपयोग कर न्यूनतम सकल एपीआई प्राप्तांक<br>(ii) पुनष्चर्या पाठ्यक्रमों, प्रविधि कार्यशालाओं, प्रशिक्षण, शिक्षण–ज्ञानार्जन–मूल्यांकन तकनीकी पाठ्यक्रमों, सरल कौशल विकास पाठ्यक्रमों और संकाय विकास पाठ्यक्रमों की श्रेणियों में से 3/4 सप्ताह की अवधि का एक पाठ्यचर्या/पाठ्यक्रम<br>(iii) पदोन्नति की अनुशंसा हेतु छानबीन सह सत्यापन प्रक्रिया |
| 3 | सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा (सेलेक्शन ग्रेड)/महाविद्यालय निदेशक शारीरिक शिक्षा (सलेक्शनग्रेड) से उप निदेशक शारीरिक शिक्षा / महाविद्यालय निदेशक शारीरिक शिक्षा सलैक्शन ग्रेड) (चरण 3 से चरण 4) | चरण 3 में तीन वर्ष की पूरी सेवा वाले सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा (सलेक्शन ग्रेड)/महाविद्यालय निदेशक शारीरिक शिक्षा (सलेक्शनग्रेड) | (i) तालिका V(क) में दिए गए मानदण्डों के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विकसित पीबीएएस गणना प्रारूप का उपयोग कर न्यूनतम सकल एपीआई प्राप्तांक<br>(ii) सहायक/महाविद्यालय निदेशक शारीरिक शिक्षा के तौर पर संपूर्ण अवधि (बारह वर्ष) में कम से कम तीन प्रकाशन। तथापि, महाविद्यालय निदेशक शारीरिक शिक्षा के मामले में एम.फिल. धारकों को एक प्रकाशन और पीएच.डी. धारकों को दो प्रकाशनों की छूट प्रदान की जा सकती है।<br>(iii) टीमों/एथिलीट्स को तैयार करने का प्रमाण।<br>(iv) विनियम और तालिका V (क) में यथा विनिर्दिष्ट एक चयन समिति प्रक्रिया । |
| 4 | विश्वविद्यालय निदेशक शारीरिक शिक्षा (चरण 5) (केवल विश्वविद्यालयों हेतु) | विश्वविद्यालयों में चरण 4 में तीन वर्ष की पूरी सेवा वाले उप निदेशक शारीरिक शिक्षा | (ii) तालिका V(क) में दिए गए मानदण्डों के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विकसित पीबीएएस गणना प्रारूप का उपयोग कर न्यूनतम सकल एपीआई प्राप्तांक हासिल करने के लिए (चरण 2 और 3 में) शिक्षक दो आकलन अवधियां संयोजित कर सकते हैं।<br>(ii) कार्मिक के चरण 3 में आने के बाद से कम से कम पांच प्रकाशन।<br>(iii) ) टीमों/एथिलीट्स को तैयार करने का प्रमाण।<br>(iv) विनियम और तालिका V (क) में यथा विनिर्दिष्ट एक चयन समिति प्रक्रिया । |

**नोटः** शिक्षकों हेतु सीएएस के लिए तालिका II(क) हेतु उपलब्ध विवरणात्मक नोट इस संवर्ग हेतु विनिर्दिष्ट एपीआई प्राप्तांकों के अनुसार शारीरिक निदेशक संवर्गों पर भी लागू हैं ।

## परिशिष्ट–III: तालिका VII

## विश्वविद्यालयों में सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष/की करियर उन्नति योजना (सीएएस) के अन्तर्गत पदोन्नति एवं विश्वविद्यालयों में उप–पुस्तकालयाध्यक्ष एवं पुस्तकालयाध्यक्ष की सीधी भर्ती के लिए अकादमिक प्रदर्शन संकेतांक (एपीआई)

### पुस्तकालयाध्यक्षों के विभिन्न स्तरों के लिए प्रत्यक्ष कार्यभार और अधिमान दिया जाए

| | प्रति सप्ताह प्रत्यक्ष कार्य घंटे | अधिमान |
|---|---|---|
| सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/ महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष | 40 | 100 |
| उप पुस्तकालयाध्यक्ष | 36+4* | 90 |
| पुस्तकालयाध्यक्ष | 32+8* | 80 |

पुस्तकालयाध्यक्ष संवर्ग के स्व–आकलन पर आधारित, एपीआई प्राप्तांकों को निम्नलिखित के लिए प्रस्तावित किया जाता है (क) पुस्तकालय संसाधनों का आयोजन और पुस्तकों, पत्रिकाओं, रिर्पोटों, विकास, आयोजना और ई–संसाधनों का प्रबंधन उपयोगकर्ता जागरूकता और निर्देश; (ख) पुस्तकालय सेवाओं के उन्नयन हेतु आईसीटी और अन्य नई तकनीकों का उपयोग और (ग) अतिरिक्त सेवाएं जैसे अवकाश के दिनों में पुस्तकालय सुविधाएं प्रदान करना, शेल्फ ऑर्डर का रख–रखाव, पुस्तकालय उपयोग

पुस्तिका, भवन और बाहरी सदस्यता मानकों के माध्यम से बाहरी लोगों को संस्थागत पुस्तकालय सुविधाएं प्रदान करना। इस श्रेणी के पुस्तकालय कार्मिकों द्वारा जरूरी न्यूनतम एपीआई प्राप्तांक पदोन्नति के विभिन्न स्तरों हेतु अलग—अलग हैं। स्व—आकलन प्राप्तांक उद्देश्यपरक रूप से सत्यापनीय कसौटी पर आधारित होने चाहिए। इसे छानबीन सह मूल्यांकन/चयन समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा। विश्वविद्यालय क्रियाकलापों का ब्यौरा अथवा, यदि संस्थानिक विनिर्दिष्टता की आवश्यकता हो, इस श्रेणी के अंतर्गत आवश्यक न्यूनतम कुल एपीआई प्राप्तांकों को परिवर्तित किए बिना अधिमानों को समायोजित कर सकते हैं।

*** प्रशासनिक उत्तरदायित्वों, नवोन्मेष, सुविधाओं का उन्नयन, विस्तारित सेवाओं आदि के संबंध में उपयोग किए गए घंटे**

**श्रेणी I: पुस्तकालय सेवाओं के माध्यम से ज्ञान और सूचना की उपलब्धि, संयोजन एवं उसका सम्प्रेषण**

| क्रियाकलाप की प्रकृति | विश्वविद्यालय सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष | | उप—पुस्तकालयाध्यक्ष | | पुस्तकालयाध्यक्ष | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | अधिकतम प्राप्तांक | वास्तविक प्राप्तांक | अधिकतम प्राप्तांक | वास्तविक प्राप्तांक | अधिकतम प्राप्तांक | वास्तविक प्राप्तांक |
| क. पुस्तकालय संसाधानों का आयोजन और पुस्तकों, पत्रिकाओं, रिर्पोटों का रख—रखाव, पुस्तकालय पाठक—सेवाओं का प्रावधान, शोधार्थियों के लिए उनके साहित्य संबंधी सेवाओं को पुनः उपलब्ध कराना और रिर्पोटों का विश्लेषण, रिर्पोटों, पुस्तिकाओं और संबंधित दस्तावेजों को तैयार करने के लिए आवश्यक जानकारी के साथ<br>विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के विभागों के लिये सहायता का प्रावधान, क्रियाकलाप संबंधी जानकारी के साथ संस्थानिक वेबसाइट को अद्यतन करने और संस्थानिक समाचार पत्रों आदि का प्रकाशन करने हेतु सहायता (40 अंक)<br><br>ई—संसाधनों का विकास, व्यवस्था और प्रबंधन के साथ—साथ इंटरनेट पर उन तक पहुंच/इंटरनेट, पुस्तकालय संसाधनों का डिजिटलीकरण, सूचना का ई—परिदान आदि(15 अंक)<br><br>उपयोगकर्ता जागरूकता और निर्देशन वृत्ति (प्रबोधन व्याख्यान, ओपेक, ज्ञान संसाधन, पुस्तक प्रदर्शनियों का आयोजन करने जैसे उपयोगकर्ता प्रोत्साहन वृत्ति,अन्य नवीनतम पारस्परिक ज्ञानार्जन संसाधन आदि) (15अंक) | 70 | प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷20 | 60 | प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷20 | 55 | प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷20 |
| ख. पुस्तकालय सेवाओं का उन्नयन करने के लिए आईसीटी और नई तकनीकों जैसे कैटलॉग का ऑटोमेशन, | 15 | प्रति शैक्षिक वर्ष व्यतीत वास्तविक घंटे ÷10 | 15 | प्रति शैक्षिक वर्ष व्यतीत वास्तविक घंटे | 15 | प्रति शैक्षिक वर्ष व्यतीत वास्तविक घंटे ÷10 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ज्ञानार्जन संसाधनों की खरीद प्रणाली, सदस्यता रिकॉर्ड सहित परिचालन कार्यवाही, क्रमवार अंशदान प्रणाली, संदर्भ और सूचना सेवाएं, पुस्तकालय सुरक्षा (तकनीक आधारित तरीके जैसे आरएफआईडी और सीसीटीवी), पुस्तकालय प्रबंधन साधनों का विकास (साफ्टवेयर), इन्ट्रानेट प्रबंधन | | | | ÷10 | | |
| ग. अतिरिक्त सेवाएं जैसे अवकाश के दिनों में पुस्तकालय सुविधाएं प्रदान करना, शेल्फ ऑर्डर का रख–रखाव, पुस्तकालय उपयोग पुस्तिका, भवन और बाहरी सदस्यता मानकों के माध्यम से बाहरी लोगों को संस्थागत पुस्तकालय सुविधाएं प्रदान करना | 15 | प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷10 | 15 | प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷10 | 10 | प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷10 |

**श्रेणी II: व्यावसायिक विकास, सह–पाठ्यचर्या और विस्तारण क्रियाकलाप**

पुस्तकालयाध्यक्ष संवर्ग के स्व–आकलन पर आधारित, श्रेणी II एपीआई प्राप्तांको को सह–पाठ्यचर्या, विस्तारण क्रियाकलापों और व्यावसायिक विकास से संबंधित योगदानों के लिए प्रस्तावित किया जाता है। मदों और प्राप्तांकों की एक सूची नीचे दी गई है। स्व–आकलन प्राप्तांक तटस्थ रूप से सत्यापनीय कसौटी पर आधारित होने चाहिए और इसे छानबीन सह मूल्यांकन समिति द्वारा सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष से उच्चतर पदों हेतु तथा चयन समिति द्वारा सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष से उप पुस्तकालयाध्यक्ष तथा उप पुस्तकालयाध्यक्ष से पुस्तकालयाध्यक्ष पद पर पदोन्नति हेतु तथा उप पुस्तकालयध्यक्ष और पुस्तकालयध्यक्ष के पद पर सीधी भर्ती हेतु अंतिम रूप दिया जाएगा।

नीचे दी गई नमूना तालिका में क्रियाकलापों और एपीआई प्राप्तांकों के समूह दिये गये हैं। विश्वविद्यालय क्रियाकलापों का ब्यौरा अथवा, यदि संस्थानिक विनिर्दिष्टता की आवश्यकता हो, इस श्रेणी के अंतर्गत आवश्यक न्यूनतम कुल एपीआई प्राप्तांकों को परिवर्तित किए बिना अधिमानों को समायोजित कर सकते हैं।

| **क्रियाकलाप की प्रकृति** | **अधिकतम एपीआई प्राप्तांक** | **वास्तविक प्राप्तांक** |
|---|---|---|
| (क)छात्र संबंधी सह–पाठ्यचर्या, विस्तारण और क्षेत्र आधारित कियाकलाप (सांस्कृतिक आदान–प्रदान और पुस्तकालय सेवावृत्ति) (बाह्य और अंतःर्संस्थानिकवृत्ति के विभिन्न स्तर), विस्तारण, विभिन्न प्रणालियों के माध्यम से पुस्तकालय–साहित्यिक कार्य | 15 | प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷10 |
| (ख)पुस्तकालय और प्रशासनिक समितियों तथा उत्तरदायित्वों में भागीदारी के माध्यम से पुस्तकालय इकाइयों और संस्था का प्रबंधन में कॉर्पोरेट जीवन के प्रति योगदान, | 15 | प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷10 |
| (ग)व्यावसायिक विकास क्रियाकलाप (यथा संगोष्ठियों/सम्मेलनों, लघु अवधि के ई–पुस्तकालय प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, कार्यशालाओं और आयोजनों, चर्चा में भाग लेना, व्याख्यान, संघों की सदस्यता, प्रसार, और सामान्य लेख, जो नीचे श्रेणी II में शामिल नहीं हैं) | 15 | प्रति शैक्षिक वर्ष उपयोग किए गए वास्तविक घंटे ÷10 |

**श्रेणी–III: शोध और अकादमिक योगदान**

स्व–आकलन पर आधारित, एपीआई प्राप्तांकों को शोध और खेल योगदान हेतु प्रस्तावित किया जाता है। इस श्रेणी में जरूरी न्यूनतम एपीआई प्राप्तांक विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पदोन्नति के विभिन्न स्तरों हेतु अलग–अलग हैं। स्व–आकलन प्राप्तांक सत्यापनीय कसौटी पर आधारित होंगे और वे छानबीन सह–मूल्यांकन समिति द्वारा सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष से उच्चतर पदों हेतु तथा चयन समिति द्वारा सहायक पुस्तकालयध्यक्ष से उप पुस्तकालयध्यक्ष तथा उप

पुस्तकालयध्यक्ष से पुस्तकालयाध्यक्ष पद पर पदोन्नति हेतु तथा उप पुस्तकालयाध्यक्ष और पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर सीधी भर्ती हेतु अंतिम रूप दिया जाएगा।

| **श्रेणी** | **क्रियाकलाप** | **विश्वविद्यालय/महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष** | **अधिकतम अंक*** |
|---|---|---|---|
| III(क) | शोध पत्रों का प्रकाशनः | वि.अ.आ. द्वारा यथा अधिसूचित संदर्भित पत्रिकाएं | 25 प्रति प्रकाशन |
| | | वि.अ.आ. द्वारा यथा अधिसूचित अन्य प्रतिष्ठित पत्रिकाएं | 10 प्रति प्रकाशन |
| III(ख) | पत्रिका लेखों के अतिरिक्त अन्य प्रकाशन (पुस्तकें, पुस्तकों में अध्याय) | अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित पाठ्य/संदर्भित पुस्तकें जिनमें विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत पुस्तकें एवं अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित आईएसबीन/आईएसएसएन संख्या संहित है | 30 प्रति पुस्तक एकल लेखक हेतु |
| | | जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत एवं अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित है, विषयगत पुस्तकें जो राष्ट्रीय स्तर पर आईएसबीएन/आईएसएसएन संख्या संहित है अथवा राज्य/केन्द्रीय सरकार प्रकाशन है। सूची जानकारी हेतु यूजीसी को भेजी जाएगी। | 20 प्रति पुस्तक एकल लेखक हेतु |
| | | विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत एवं अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित अन्य स्थानीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित विषयगत पुस्तकें जिन पर आईएसबीएन/आईएसएसएन संख्या संहित है। सूची जानकारी हेतु यूजीसी को भेजी जाएगी। | 15 प्रति पुस्तक एकल लेखक हेतु |
| | | राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के अध्याय जिनमें आईएसबीएन/आईएसएसएन संख्या संहित है और जो विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत एवं उनकी वेबसाइट पर प्रदर्शित हैं। सूची जानकारी हेतु यूजीसी को भेजी जाएगी। | अंतर्राष्ट्रीय—10 प्रति अध्याय राष्ट्रीय— 5 प्रति अध्याय |
| III (ग) | शोध परियोजनाएं | | |
| III(ग) (i) | प्रायोजित परियोजनाएं | (क) रु0 5.0 लाख से अधिक अनुदान वाली बड़ी परियोजनाएं | 20 प्रति परियोजना |
| | | (ख) रु0 3.0 लाख से अधिक रु0 5.0 लाख तक अनुदान वाली बड़ी परियोजनाएं | 15 प्रति परियोजना |
| | | (ग) रु0 1.0 लाख से अधिक रु0 3.0 लाख तक वाली लघु परियोजनाएं | 10 प्रति परियोजना |
| III(ग) (ii) | परामर्श हेतु परियोजनाएं | न्यूनतम रु0 2.0 लाख की राशि को संघटित करना | 10 प्रत्येक रु0 2.0 लाख हेतु |
| III(ग) (iii) | परियोजना परिणाम/निष्कर्ष | अन्तर्राष्ट्रीय निकाय जैसे कि डब्ल्यू एच ओ/यूएनओ/यूनेस्को/यूनिसेफ इत्यादि निकायों एवं केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्थानीय निकायों के लिए मुख्य नीति दस्तावेज | अन्तर्राष्ट्रीय निकायों के प्रमुख नीति दस्तावेज—30<br>केन्द्रीय सरकार— 20<br>राज्य सरकार— 10<br>स्थानीय निकाय— 5 |
| III(घ) | **शोध मार्गदर्शन** | | |
| III(घ)(i) | एम.फिल. | उपाधि प्रदान की गई | 5 प्रति उम्मीदवार |
| III (घ) (ii) | पीएच.डी. | उपाधि प्रदान की गई/शोध प्रबंध प्रस्तुत किया गया | 15 /10प्रति उम्मीदवार |
| III(ड़) | अवार्ड/फैलोशिप/प्रदान किये गये आमंत्रित व्याख्यान/सम्मेलनों/संगोष्ठियों में प्रस्तुत पत्र | | |
| III(ड़) (i) | पुरस्कार/अध्येतावृति | अकादमिक निकायों/संघों से प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार/अध्येतावृत्ति | 15 प्रति पुरस्कार/15 प्रति अध्येतावृति |
| | पुरस्कार/अध्येतावृति | अकादमिक निकायों/संघों से प्राप्त राष्ट्रीय पुरस्कार/अध्येतावृत्ति | 10 प्रति पुरस्कार/10 प्रति अध्येतावृति |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | पुरस्कार/फैलोशिप | अकादमिक निकायों/संघों से प्राप्त राज्य/विश्वविद्यालय पुरस्कार/अध्येतावृत्ति | 5 प्रति पुरस्कार |
| III (ड़) (ii) | आमंत्रण व्याख्यान/प्रस्तुत पत्र | अंतर्राष्ट्रीय | 7 प्रति व्याख्यान/ 5 प्रति प्रस्तुत पत्र |
| | | राष्ट्रीय स्तरीय | 5 प्रति व्याख्यान/ 3 प्रति प्रस्तुत पत्र |
| | | राज्य/विश्वविद्यालय स्तरीय | 3 प्रति व्याख्यान/ 2 प्रति प्रस्तुत पत्र |
| | इस उप–श्रेणी के अंतर्गत प्राप्तांक को किसी भी आकलन अवधि हेतु श्रेणी (III) के लिए निर्धारित न्यूनतम के 20%तक सीमित कर दिया जाएगा। | | |
| III (ड़)(iii) | ई–परिदान प्रक्रिया /सामग्री का विकास प्रविधि 10 | | प्रति |

*जहां कहीं भी प्रासंगिक हो, संदर्भित पत्रिकाओं में पत्र हेतु एपीआई प्राप्तांकों को निम्न प्रकार जोड़ा जाएगाः (i) 1 से कम प्रभाव कारक वाले पत्र– 5 अंकों द्वारा (ii) 1 और 2 के बीच प्रभाव कारक वाले पत्र– 10 अंकों द्वारा (iii) 2 और 5 के बीच प्रभाव कारक वाले पत्र– 15 अंकों द्वारा (iv) 5 और 10 के बीच प्रभाव कारक वाले पत्र– 20 अंकों द्वारा (v) 10 से अधिक प्रभाव कारक वाले पत्र– 25 अंकों द्वारा। संयुक्त प्रकाशनों/पुस्तकों हेतु एपीआई की गणना निम्नलिखित तरीके से की जाएगीः संबंधित शिक्षक द्वारा प्रकाशन की प्रासंगिक श्रेणी हेतु कुल प्राप्तांकों के, प्रथम और प्रमुख/अनुरुप (Corresponding) लेखक/पर्यवेक्षक/शिक्षक के मार्गदर्शक कुल अंकों के 70% को बराबर रूप से साझा करेंगे और शेष 30% बाकी अन्य लेखकों द्वारा बराबर रूप से साझा किए जाएंगे।

# विश्वविद्यालय एक विषय विशेषज्ञ समिति के माध्यम से विषयवार पत्रिकाओं को चिन्हित करेगा तथा अपनी अनुशंसायें यूजीसी द्वारा निर्धारित प्रारुप में यूजीसी की स्थायी समिति की स्वीकृति के लिए आयोग को भेजेगा। इस सूची में से यूजीसी स्थायी समिति द्वारा स्वीकृत पत्रिकाओं को यूजीसी द्वारा अधिसूचित ''पत्रिकाओं की सूची'' में सम्मिलित किया जाएगा। विश्वविद्यालय से इस सूची की प्राप्ति के 60 कार्यकारी दिवसों के भीतर यूजीसी की स्थायी समिति अपनी अनुशंसायें प्रस्तुत करेगा। यूजीसी स्थायी समिति स्वयं अपने से ही ''पत्रिकाओं की सूची'' में सम्मिलिति करने की अनुशंसा कर सकता है। विश्वविद्यालय द्वारा धारा 6.0.5 (i) का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।

## परिशिष्ट–III तालिका–VIII(क)

**विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष और उप पुस्तकालयाध्यक्ष की करियर उन्नति योजना (सीएएस) पदोन्नति हेतु न्यूनतम एपीआई और चयन समितियों में विशेषज्ञ आकलन हेतु अधिमान**

| श्रेणी | क्रियाकलाप | सहायक/महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष (चरण 1 से चरण 2) | सहायक/महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष (चरण 2 से चरण 3) | सहायक/महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष से उप/महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष (चरण 3 से 4) | उप पुस्तकालयाध्यक्ष से पुस्तकालयाध्यक्ष (चरण 4 से 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| **I** | पुस्तकालय सेवाओं के माध्यम से ज्ञान और सूचना की उपलब्धि, संयोजन एवं सम्प्रेषण | 80/वर्ष | 80/वर्ष | 75/वर्ष | 70/वर्ष |
| **II** | व्यावसायिक विकास और विस्तारण क्रियाकलाप–न्यूनतम अंकों का आकलन कुल मिलाकर किया जाना आवश्यक है | 50/आकलन अवधि | 50/आकलन अवधि | 50/आकलन अवधि | 50/आकलन अवधि |
| **III** | शोध और शैक्षिक योगदान– न्यूनतम आवश्यक अंकों का आकलन कुल मिलाकर किया जाना आवश्यक है | 20/आकलन अवधि | 50/आकलन अवधि | 75/आकलन अवधि | 100/आकलन अवधि |
| **II+ III** | श्रेणी **II** और **III** के अंतर्गत न्यूनतम कुल एपीआई प्राप्तांक* | 90/आकलन अवधि | 120/आकलन अवधि | 150/आकलन अवधि | 180/आकलन अवधि |
| **IV** | विशेषज्ञ आकलन प्रणाली | छानबीन सह आकलन समिति | छानबीन सह आकलन समिति | चयन समिति | चयन समिति |
| **V** | विशेषज्ञ आकलन में अधिमान अंकों का प्रतिशत वितरण (कुल अधिमान= 100 .न्यूनतम 50 अनिवार्य) | अलग से कोई अंक नहीं। छानबीन समिति को एपीआई प्राप्तांकका सत्यापन करना है। | अलग से कोई अंक नहीं। छानबीन समिति को एपीआई प्राप्तांक का सत्यापन करना है। | 30%पुस्तकालय संबंधी शोध पत्रों का मूल्यांकन<br>50%पुस्तकालय स्वचालन संबंधी विषय क्षेत्र के ज्ञान और संगठनात्मक कौशल का आकलन<br>20%साक्षात्कार प्रदर्शन | 50%पुस्तकालय प्रकाशन कार्य<br>30% नवोन्मेशी पुस्तकालय सेवा और डिजिटल पुस्तकालय सेवाओं की व्यवस्था का आकलन<br>20%साक्षात्कार प्रदर्शन |

*** श्रेणी II+ IIIके अंतर्गत आवश्यक न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करने के लिए श्रेणीII अथवा श्रेणी IIIकिसी से भी प्राप्तांकों का शेष प्राप्त कर सकते हैं।**

## परिशिष्ट– III तालिका–VIII (ख)

**विश्वविद्यालय विभागों/महाविद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों की सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम एपीआई और अन्य मानकतथा विनियम में वर्णित अन्य विनिर्दिष्ट पात्रता योग्यताओं के साथ अधिमानों पर चयन समितियों में विचार किया जाना**

| न्यूनतम मानक/मानदण्ड | सहायक विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष/महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष (चरण 1) | विश्वविद्यालयों में उप पुस्तकालयाध्यक्ष (चरण 4) | पुस्तकालयाध्यक्ष (केवल विश्वविद्यालय) (चरण 5) |
|---|---|---|---|
| न्यूनतम एपीआई प्राप्तांक (शोध और अकादमिक योगदान–श्रेणी **III**) | विनियमों में यथा वर्णित न्यूनतम योग्यता | एपीआई की श्रेणी **II** और **III** से 300 प्राप्तांकों के कुल एपीआई प्राप्तांकों की आवश्यकता (कुल मिलाकर) | एपीआई की श्रेणी **II** और **III** से 400 प्राप्तांकों के कुल एपीआई प्राप्तांकों की आवश्यकता (कुल मिलाकर) |
| चयन समिति मानदण्ड/अधिमान (कुल अधिमान= 100) | (क) एक व्याख्यान प्रदर्शन द्वारा शिक्षण/कंप्यूटर और संपर्क कौशल (50%)<br>(ख) पुस्तकालय प्रबंधन कौशल (20%)<br>(ग) साक्षात्कार में प्रदर्शन (30%) | (क) पुस्तकालय संबंधी शोध/विषय पत्र (सं0 3) मूल्यांकन (50%)<br>(ख) पुस्तकालय ऑटोमेशन कौशल और संगठनात्मक योजनाएं (20%)<br>(ग) साक्षात्कार में प्रदर्शन (30%) | (क) पुस्तकालय शोध पत्र (5) मूल्यांकन (60%)<br>(ख) नवोन्मेशी पुस्तकालय सेवाओं का संगठनात्मक ट्रैक रिकॉर्ड और विजन योजना (20%)<br>(ग) साक्षात्कार में प्रदर्शन (20%) |

## परिशिष्ट–IIIतालिका–IX

**विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष संबर्गों की पदोन्नति हेतु न्यूनतम शैक्षिक प्रदर्शन और सेवा संबंधी अपेक्षाएं**

| क्रम संख्या | सीएएस के माध्यम से पुस्तकालयाध्यक्ष संवर्गों की पदोन्नति | सेवा आवश्यकताएं (मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा यथा निर्धारित) | न्यूनतम शैक्षिक प्रदर्शन आवश्यकताएं और छानबीन /चयन मानदण्ड |
|---|---|---|---|
| 1 | सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष से सहायक पुस्तकालयध्यक्ष (वरिष्ठ वेतनमान)/महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ वेतनमान) (चरण 1 से चरण 2)तक | चरण 1 में सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष और पीएच.डी. के साथ चार वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो अथवा जिन्होंनें एम.फिल. के साथ पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो अथवा जिन्होंने पीएच.डी./एम.फिल. के बिना छह वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। | (i) परिशिष्ट **III** की तालिका **VIII**(क) में विश्वविद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष संवर्गों और महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष संवर्गों हेतु दिए गए मानदण्डों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा विकसित पीबीएएस गणना प्रारूप का उपयोग कर न्यूनतम एपीआई प्राप्तांक प्रारुप जो वि"वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया है।<br>(ii) 3/4 सप्ताह की अवधि का एक प्रबोधन और एक पुनश्चर्यापाठ्यक्रम<br>(iii) पदोन्नति की अनुशंसा हेतु छानबीन सह सत्यापन प्रक्रिया |
| 2 | सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ वेतनमान)/महाविद्यालय पुस्तकालयध्यक्ष (वरिष्ठ वेतनमान) से सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (चयन ग्रेड)/महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष (चयन ग्रेड) (चरण 2 से चरण 3)तक | चरण 2 में 5 वर्ष की पूरी सेवा वाले सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ वेतनमान)/महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ वेतनमान) | (i) परिशिष्ट **III** की तालिका **VIII** (क) में विश्वविद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष संवर्गों और महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष संवर्गों हेतु दिए गए मानदण्डों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा विकसित पीबीएएस गणना प्रारूप का उपयोग कर न्यूनतम एपीआई प्राप्तांक प्रारुप जो वि"वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया है।<br>(ii) साथ ही, आकलन अवधि के दौरान न्यूनतम 3 से 4 सप्ताह अवधि के दो पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में भाग लिया हो।<br>(iii) पदोन्नति की अनुशंसा हेतु छानबीन सह सत्यापन प्रक्रिया |
| 3 | सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (चयन ग्रेड)/महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष (चयन ग्रेड) से उप पुस्तकालयाध्यक्ष / | चरण 3 में 3वर्ष की पूरी सेवा वाले सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (चयन ग्रेड)/महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष (चयन ग्रेड) | (i) परिशिष्ट **III** की तालिका **VIII** (क) में विश्वविद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष संवर्गों और महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष संवर्गों हेतु दिए गए मानदण्डों के अनुसार |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष (चयन ग्रेड) (चरण 3 से चरण 4)तक | | विश्वविद्यालय द्वारा विकसित पीबीएएस गणना प्रारूप। 12 वर्षों की अवधि में 3 प्रकाशन होने चाहिए,और महाविद्यालयों में 1 प्रकाशन की छूट एम.फिल. धारकों को दी जाएगी तथा 2 प्रकाशनों की छूट पीएच.डी. धारकों को दी जाएगी।<br>(ii) साथ ही, पुस्तकालय ऑटोमेशन/अकादमिक प्रलेखीकरण हेतु विश्लेषणात्मक साधन विकास की श्रेणियों में एक पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण<br>(iii) विनियम और तालिका VIII(क) में यथा विनिर्दिष्ट एक चयन समिति प्रक्रिया |
| 4 | विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष (चरण 5) (केवल विश्वविद्यालयों हेतु) | विश्वविद्यालयों में चरण 4 में 3वर्ष की पूरी सेवा वाले उप—पुस्तकालयाध्यक्ष | (i) तालिका **VIII**(क) में दिए गए मानदण्डों के अनुसार वि.अ.आ. द्वारा विकसित पीबीएएस गणना प्रारूप का उपयोग कर न्यूनतम सकल एपीआई प्राप्तांक। न्यूनतम एपीआई प्राप्तांक प्राप्त करने के लिए पुस्तकालयध्यक्ष दो आकलन अवधियों (चरण 3 और 4 में) को जोड़ सकते हैं, यदि आवश्यक हो।<br>(ii) कार्मिक के चरण 3 में आने के बाद से कम से कम 5 प्रकाशन।<br>(iii) नवोन्मेषी पुस्तकालय सेवाओं और प्रकाशित कार्य की आयोजना का प्रमाण।<br>(iv) विनियम और तालिका **VIII** (क) में यथा विनिर्दिष्ट एक चयन समिति प्रक्रिया |

नोटः शिक्षकों हेतु सीएएस के लिए तालिका **II** (क) हेतु उपलब्ध विवरणात्मक नोट इस संवर्ग हेतु विनिर्दिष्ट एपीआई प्राप्तांकों के अनुसार पुस्तकालयाध्यक्ष संवर्गों पर भी लागू है।

**UNIVERSITY GRANTS COMMISSION**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th July, 2016

**No.F.1-2/2016(PS/Amendment)** -In exercise of the powers conferred under clauses (e) and (g) of sub-section (1) of Section 26 of University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the University Grants Commission hereby frames the following amendment Regulations, namely :-

**1. Short title, application and commencement:**

1.1 These Regulations may be called the University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) **(4th Amendment),** Regulations, 2016.

1.2 They shall apply to every University established or incorporated by or under a Central Act, Provincial Act or a State Act, every institution including a constituent or an affiliated College recognized by the Commission, in consultation with the University concerned under clause (f) of Section 2 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) and every Institution Deemed to be a University under Section 3 of the said Act.

1.3 They shall come into force with immediate effect from the date of their publication in the Official Gazette.

**2.** The following regulations in the University Grants Commission (Minimum qualifications for appointment of teachers and other academic staff in Universities and Colleges and other measures for the maintenance of standards in higher education) Regulations, 2010 shall stand amended and be read as under:-

| **Regulation** | **Existing provisions in Principal Regulations on Minimum Qualifications for** | **Amended provisions in principal Regulations on Minimum Qualifications for** |
|---|---|---|

| | **Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education, 2010** | **Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education, 2010** |
|---|---|---|
| 3.4.1 | A relaxation of 5% may be provided at the graduate and Master's level for the Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Differently-abled (physically and visually differently-abled) categories for the purpose of eligibility and for assessing good academic records during direct recruitment to teaching positions. The eligibility marks of 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) and the relaxation of 5% to the categories mentioned above are permissible, based on only the qualifying marks without including any grace mark procedures. | A relaxation of 5% may be provided at the graduate and Masters level for the Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Differently-abled (physically and visually differently-abled) /Other Backward Classes (OBC) (Non-creamy layer) categories for the purpose of eligibility and for assessing good academic records during direct recruitment to teaching positions. The eligibility marks of 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) and the relaxation of 5% to the categories mentioned above are permissible, based on only the qualifying marks without including any grace mark procedures. |
| 8.2.1 of Schedule for clause 6.8.0 | The posts of Vice-Chancellor shall carry a fixed pay of Rs.75,000/- alongwith a special pay of Rs.5,000/- per month. All other eligibility and facilities for the Vice-Chancellor as provided in the Act/Statutes of the University concerned shall be applicable besides the pay. | The post of Vice-Chancellor shall carry a fixed pay of Rs.75,000/- alongwith a **special allowance** of Rs.5,000/- per month. All other eligibility and facilities for the Vice-Chancellor as provided in the Act/Statutes of the University concerned shall be applicable besides the pay. |
| 5.1.6 (d) | The term of appointment of the College Principal shall be FIVE years with eligibility for reappointment for one more term only after a similar Selection Committee process. | The term of appointment of the College Principal shall be five years with eligibility for reappointment for one more term only after a similar Selection Committee process which shall take into account an external peer review, its recommendations and its outcomes. The framework of the external peer review shall be specified by the UGC. |
| 6.0.5(i) | Besides the indexed publications documented by various discipline-specific databases, the University concerned shall draw through committee(s) of subject experts and ISBN/ISSN experts : (a) a comprehensive list of National/Regional level journals of quality in the concerned subject(s); and (b) a comprehensive list of Indian language journals/periodicals/official publication volumes of language bodies and upload them on the University website which are to be updated periodically. | The University shall identify the journals subject-wise through subject expert committees and forward the recommendations to UGC in the format prescribed by UGC for approval of the UGC Standing Committee. The journals approved from this list, by the UGC Standing Committee, shall be included in the "List of Journals" notified by the UGC. The UGC Standing Committee shall give its recommendations within 60 working days of the receipt of the list from the University. The UGC Standing Committee may also, suomotu, recommend journals for inclusion in the "List of Journals". |

**3.** The proviso prescribed under Regulation 3.3.1, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.2.2, 4.4.2.3, 4.5.3 and 4.6.3 in the University Grants Commission (Minimum qualifications for appointment of teachers and other academic staff in Universities and Colleges and other measures for the maintenance of standards in higher education) **(3th Amendment)** Regulations, 2016 regarding exemption to the candidates registered for Ph.D. programme prior to July 11, 2009 shall stand amended and be read as under:-

"Provided further, the award of degree to candidates registered for the M.Phil/Ph.Dprogramme prior to July 11, 2009, shall be governed by the provisions of the then existing Ordinances/Bylaws/Regulations of the Institutions awarding the degree and the Ph.D candidates shall be exempted from the requirement of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities/Colleges/Institutions subject to the fulfillment of the following conditions:-

a) Ph.D. degree of the candidate awarded in regular mode only;

b) Evaluation of the Ph.D. thesis by at least two external examiners;

c) Open Ph.D. viva voce of the candidate had been conducted;

d) Candidate **has**published two research papers from his/her Ph.D. work out of which at least one must be in a refereed journal;

e) Candidate **has** made at least two presentations in conferences/seminars, based on his/her Ph.D work.

(a) to (e) as above are to be certified by the Vice-Chancellor/Pro-Vice-Chancellor/Dean(Academic Affairs)/Dean(University instructions)."

**4**. The second proviso prescribed under Regulation 6.0.1 in the University Grants Commission (Minimum qualifications for appointment of teachers and other academic staff in Universities and Colleges and other measures for the maintenance of the standards in higher education) (**2nd Amendment**) Regulations, 2013 shall be substituted with the following: -

**"Provided also that the API score claim of each of the sub-categories in the Category III (Research and Academic Contributions) shall not have a cap except for the sub-category of invited lectures/papers."**

As a consequence, the table at Regulation 6.0.1 of the University Grants Commission (Minimum qualifications for appointment of teachers and other academic staff in Universities and Colleges and other measures for the maintenance of the standards in higher education) (2nd Amendment) Regulations, 2013 stands deleted.

**5.** Student Feedback is an integral part of the institutional and academic development of higher educational institutions and in fostering quality. Student feedback and teacher response plays a catalytic role towards improvement in teaching-learning and institutional development. Feedback from students on teaching, delivery, methodology and pedagogy is pivotal with a view to enhancing clarity of concepts, subject understanding and developing and deepening an interest in the academic discipline. Universities and Colleges should encourage teachers to assist students in providing constructive feedback on teaching-learning in order to enhance quality education and in responding to the feedback.

6. Tables-I,II(A),II(B),III,IV,V(A),V(B),VI,VII,VIII(A), VIII(B) and IX of Appendix-III of the University Grants Commission (Minimum qualifications for appointment of teachers and other academic staff in Universities and Colleges and other measures for the maintenance of standards in higher education) **(3thAmendment)** Regulations, 2016 shall be substituted with Appendix-III : Tables-I,II(A),II(B),III,IV,V(A),V(B),VI,VII,VIII(A), VIII(B) and IX appended to these 4thAmendment Regulations.

Prof. (Dr.) JASPAL SINGH SANDHU, Secy.
[ADVT III/4/Exty./113(165)]

**APPENDIX – III: TABLE I**

**ACADEMIC PERFORMANCE INDICATORS (API) FOR CAREER ADVANCEMENT SCHEME (CAS) PROMOTIONS FOR ASSISTANT PROFESSOR, ASSOCIATE PROFESSOR AND PROFESSOR AND FOR DIRECT RECRUITMENT OF ASSOCIATE PROFESSOR AND PROFESSOR IN UNIVERSITIES AND COLLEGES.**

| | Direct Teaching Hours per week |
|---|---|
| Assistant Professor | 16 |
| Associate Professor | 14 |
| Professor | 14 |

Based on the teacher's self-assessment, API scores are proposed for (a) teaching related activities; domain knowledge; (b) participation in examination and evaluation; and (c) contribution to innovative teaching, new courses etc. The minimum API score required by teachers from this category is different for different levels of promotion. The self- assessment score should be based on objectively verifiable records. It shall be finalized by the screening cum evaluation / selection committee. Universities may detail the activities, in case institutional specificities require, adjust the weightages without changing the minimum total API scores required under this category.

**CATEGORY I: TEACHING, LEARNING AND EVALUATION RELATED ACTIVITIES**

| **Category** | **Nature of Activity** | **Assistant Professor** | | **Associate Professor** | | **Professor** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Max. Score | Actual Score | Max. Score | Actual Score | Max. Score | Actual Score |
| **I** | a. Direct Teaching | **70** | Actual hours spent per | **60** | Actual hours spent per | **60** | Actual hours spent per |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | academic year ÷**7.5** | | academic year ÷**7.75** | | academic year ÷**7.75** |
| | b. Examination duties (question paper setting, Invigilation, evaluation of answer scripts) as per allotment | 20 | Actual hours spent per academic year ÷10 | 20 | Actual hours spent per academic year ÷10 | 10 | Actual hours spent per academic year ÷10 |
| | c. Innovative Teaching - learning methodologies, updating of subject contents/courses, mentoring etc. | 10 | Actual hours spent per academic year ÷10 | 15 | Actual hours spent per academic year ÷10 | 20 | Actual hours spent per academic year ÷10 |

**Note:**

1. Direct Teaching 16/14/14 hours per week include the Lectures/Tutorials/Practicals /Project Supervision/Field Work. .

2.University may prescribe minimum cut-off, say 75%, below which no scores may be assigned in these sub-categories.

3.In consonance with established academic and teaching traditions, and with a view to reinforcing a student-centric and caring approach the teachers are encouraged to work with students, beyond the structure of classroom teaching. Indicatively, this could entail mentoring, guiding and counseling students. In particular teachers would be the best placed to identify and address the needs of students who may be differently abled, or require assistance to improve their academic performance, or to overcome a disadvantage. There are no prescribed hours for such efforts, measured either in weeks or months, or in the context and calculation of the API scores, these are nevertheless important and significant activities that could be carried out by teachers.

**CATEGORY II: PROFESSIONAL DEVELOPMENT, CO-CURRICULAR AND EXTENSION ACTIVITIES**

Based on the teacher's self-assessment, Category II API scores are proposed for Professional development, co-curricular and extension activities; and related contributions. The minimum API required by teachers for eligibility for promotion is fixed in Table II (A). A list of items and scores is given below. The self-assessment score should be based on objectively verifiable records and shall be finalized by the screening cum evaluation committee for the promotion of Assistant Professor to higher grades and selection committee for the promotion of Assistant Professor to Associate Professor and Associate Professor to Professor and for direct recruitment of Associate Professor and Professor.

The model table below gives groups of activities and API scores. Universities may detail the activities or, in case institutional specificities require, adjust the weightages without changing the minimum total API score required under this category.

| Cate-gory II | **Nature of Activity** | **Maximum API Score** | **Actual score** |
|---|---|---|---|
| a. | Student related co-curricular, extension and field based activities.<br>(i) Discipline related co-curricular activities (e.g. remedial classes, career counselling, study visit, student seminar and other events.)<br>(ii) Other co-curricular activities (Cultural, Sports, NSS, NCC etc.)<br>(iii) Extension and dissemination activities (public /popular lectures/talks/seminars etc.) | 15 | Actual hours spent per academic year ÷ 10 |
| b. | Contribution to corporate life and management of the department and institution through participation in academic and administrative committees and responsibilities.<br>i). Administrative responsibility (including as Dean / Principal / Chairperson / Convener / Teacher-in-charge/similar other duties that require regular office hrs for its discharge)<br>(ii). Participation in Board of Studies, Academic and Administrative Committees | 15 | Actual hours spent per academic year ÷ 10 |
| c. | Professional Development activities (such as participation in seminars, conferences, short term training courses, industrial experience, talks, lectures | 15 | Actual hours spent per |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | in refresher / faculty development courses, dissemination and general articles and any other contribution) | | academic year<br>÷<br>10 |

**CATEGORY-III: RESEARCH AND ACADEMIC CONTRIBUTIONS**

Based on the teacher's self-assessment, API scores are proposed for research and academic contributions. The minimum API scores required for teachers from this category are different for different levels of promotion in universities and colleges. The self-assessment score shall be based on verifiable records and shall be finalized by the screening cum evaluation committee for the promotion of Assistant Professor to higher grades and Selection Committee for the promotion of Assistant Professor to Associate Professor and Associate Professor to Professor and for direct recruitment of Associate Professor and Professor.

| Category | Activity | Faculty of Sciences / Engineering / Agriculture / Medical / Veterinary Sciences | Faculties of Languages / Humanities / Arts / Social Sciences / Library / Physical education / Management | Maximum score for University / College teacher* |
|---|---|---|---|---|
| III (A) | Research Papers published in: | Refereed Journals as notified by the UGC# | Refereed Journals as notified by the UGC# | 25 per Publication |
| | | Other Reputed Journals as notified by the UGC# | Other Reputed Journals as notified by the UGC # | 10 per Publication |
| III (B) | Publications other than journal articles (books, chapters in books) | Text/Reference, Books published by International Publishers, with ISBN/ISSN number as approved by the University and posted on its website. The List will be intimated to UGC. | Text/Reference Books, published by International Publishers, with ISBN/ISSN number as approved by the University and posted on its website. The List will be intimated to UGC. | 30 per Book for Single Author |
| | | Subject Books, published by National level publishers, with ISBN/ISSN number or State / Central Govt. Publications as approved by the University and posted on its website. The List will be intimated to UGC. | Subject Books, published by National level publishers, with ISBN/ISSN number or State / Central Govt. Publications as approved by the University and posted on its website. The List will be intimated to UGC. | 20 per Book for Single Author |
| | | Subject Books, published by Other local publishers, with ISBN/ISSN number as approved by the University and posted on its website. The List will be intimated to UGC. | Subject Books, published by Other local publishers, with ISBN/ISSN number as approved by the University and posted on its website. The List will be intimated to UGC. | 15 per Book for Single Author |
| | | Chapters in Books, published by National and International level publishers, with ISBN/ISSN number as approved by the University and posted on its website. The List will be intimated to UGC. | Chapters in Books, published by National and International level publishers, with ISBN/ISSN number as approved by the University and posted on its website. The List will be intimated to UGC. | International –10 per Chapter<br>National – 5 per Chapter |
| III (C) | RESEARCH PROJECTS | | | |
| III (C) (i) | Sponsored Projects | (a) Major Projects with grants above Rs. 30 lakhs | Major Projects with grants above Rs. 5 lakhs | 20 per Project |
| | | (b) Major Projects with grants above Rs. 5 lakhs up to Rs. 30 lakhs | Major Projects with grants above Rs. 3 lakhs up to Rs. 5 lakhs | 15 per Project |
| | | (c) Minor Projects with grants above Rs. 1 lakh up to Rs. 5 lakhs | Minor Projects with grants above Rs. 1 lakh up to Rs. 3 lakhs | 10 per Project |
| III (C) (ii) | Consultancy Projects | Amount mobilized with a minimum of Rs.10 lakhs | Amount mobilized with a minimum of Rs. 2 lakhs | 10 for every Rs.10 lakhs and Rs.2 lakhs, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | respectively |
| III (C) (iii) | Projects Outcome / Outputs | Patent / Technology transfer / Product / Process | Major Policy document prepared for international bodies like WHO/UNO/UNESCO/UNICEF etc. Central / State Govt./Local Bodies | 30 for each International / 20 for each national level output or patent.<br>Major policy document of<br>International bodies - 30<br>Central Government – 20,<br>State Govt.-10<br>Local bodies – 5 |
| III (D) | RESEARCH GUIDANCE | | | |
| III(D)(i | M.Phil. | Degree awarded | Degree awarded | 5 per candidate |
| III(D) (ii) | Ph.D. | Degree awarded / Thesis submitted | Degree awarded / Thesis submitted | 15/10 per candidate |
| III E | Fellowships, Awards and Invited lectures delivered in conferences / seminars | | | |
| III(E) (i) | Fellowships/ Awards | International Award/Fellowship from academic bodies | International Award / Fellowship from academic bodies/associations | 15 per Award / 15 per Fellowship |
| | | National Award/Fellowship from academic bodies | National Award/Fellowship from academic bodies/associations | 10 per Award / 10 per Fellowship |
| | | State/University level Award from academic bodies | State/University level Award from academic bodies/associations | 5 Per Award |
| III(E) (ii) | Invited lectures / papers | International | International | 7 per lecture /<br>5 per paper presented |
| | | National level | National level | 5 per lecture /<br>3 per paper presented |
| | | State/University level | State/University level | 3 per lecture /<br>2 per paper presented |
| | The score under this sub-category shall be restricted to 20% of the minimum fixed for Category III for any assessment period | | | |
| III(F) | Development of e-learning delivery process/material | | | 10 per module |

* Wherever relevant to any specific discipline, the API score for paper in refereed journal would be augmented as follows: (i) paper with impact factor less than 1 - by 5 points; (ii) papers with impact factor between 1 and 2 by 10 points; (iii) papers with impact factor between 2 and 5 by 15 points; (iv) papers with impact factor between 5 and 10 by 20 points: (v) papers with impact factor above 10 by 25 points. The API for joint publications shall be calculated in the following manner: Of the total score for the relevant category of publication by the concerned teacher, the First and Principal / corresponding author /supervisor / mentor would share equally 70% of the total points and the remaining 30% would be shared equally by all other authors.

**#** The University shall identify the journals subject-wise through subject expert committees and forward the recommendations to UGC in the format prescribed by UGC for approval of the UGC Standing Committee. The journals approved from this list, by the UGC Standing Committee, shall be included in the "List of Journals" notified by the UGC. The UGC Standing Committee shall give its recommendations within 60 working days of the receipt of the list from the University. The UGC Standing Committee may also, suo-moto, recommend journals for inclusion in the "List of Journals". The clause 6.0.5 (i) will be strictly followed by the University.

**APPENDIX - III TABLE - II (A)**

**MINIMUM APIS AS PROVIDED IN APPENDIX - III TABLE I TO BE APPLIED FOR THE PROMOTION OF TEACHERS UNDER CAREER ADVANCEMENT SCHEME (CAS) IN UNIVERSITY DEPARTMENTS AND COLLEGES, AND WEIGHTAGES FOR EXPERT ASSESSMENT**

| Category | Activity | Assistant Professor / equivalent | Assistant Professor / equivalent | Assistant Professor (Stage 3) to Assoc. Professor/equivalent | Associate Professor (Stage 4) to | Professor (Stage 5) to |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | **cadres: (Stage 1 to Stage 2)** | **cadres: (Stage 2 to Stage 3)** | **cadres (Stage 4)** | **Professor /equivalent cadres (Stage 5)** | **Professor (Stage 6)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Teaching-learning, Evaluation Related Activities | 80/Year | 80/year | 75/year | 70/year | 70/year |
| II | Professional Development and Extension activities - Minimum score required to be assessed cumulatively | 50 / Assessment period | 50 / Assessment period | 50 / Assessment period | 50 / Assessment period | 100 / Assessment period |
| III | Research and Academic Contributions- Minimum Score required - to be assessed cumulatively | 20 / Assessment period | 50 / Assessment period | 75 / Assessment period | 100 / Assessment period | 400 / Assessment period |
| II + III | Minimum total API score under Categories II and III* | 90 / Assessment period | 120 / Assessment period | 150 / Assessment period | 180 / Assessment period | 600 / Assessment period |
| IV | Expert Assessment System | Screening cum evaluation committee | Screening cum evaluation committee | Selection Committee | Selection Committee | Expert Committee |
| V | Percentage Distribution of Weightage Points in the Expert Assessment (Total weightage = 100. Minimum required for promotion is 50) | No separate points. Screening committee to verify API scores | No separate points. Screening Committee to verify API scores | 30% - Research Contribution<br>50% - Assessment of domain knowledge & teaching practices.<br>20% - Interview performance | 50% - Research Contribution.<br>30% - Assessment of domain knowledge & teaching practices.<br>20 % - Interview performance | 50% - Research Contribution.<br>50%- Performance evaluation and other credential by referral procedure |

*** Teachers may score the balance of points from either Category II or Category III to achieve the minimum score required under Category II + III.**

APPENDIX - III TABLE - II(B)

**Minimum Scores for APIs for direct recruitment of teachers in university departments / Colleges and weightages in Selection Committees to be considered along with other specified eligibility qualifications stipulated in the Regulation.**

| | Assistant Professor (Stage 1) | Associate Professor (Stage 4) | Professor (Stage 5) |
|---|---|---|---|
| Minimum API | Minimum | Consolidated API score requirement | Consolidated API score |

| Scores | Qualification as stipulated in these regulations | of 300 points from categories II & III of APIs (cumulative) | requirement of 400 points from categories II & III of APIs (cumulative) |
|---|---|---|---|
| Selection Committee criteria / weightages (Total Weightages = 100) | a) Academic Record and Research Performance (50%)<br>b) Assessment of Domain Knowledge & Teaching Skills (30%)<br>c) Interview performance (20%) | a) Academic Background (20%)<br>b) Research performance based on API score and quality of publications (40%)<br>c) Assessment of Domain Knowledge and Teaching Skills (20%)<br>d) Interview performance: (20%) | a) Academic Background (20%)<br>b) Research performance based on API score and quality of publications (40%).<br>c) Assessment of Domain knowledge and Teaching Skills (20%).<br>d) Interview performance:(20%) |

**APPENDIX-III - TABLE: III**

**MINIMUM ACADEMIC PERFORMANCE AND SERVICE REQUIREMENTS FOR PROMOTION OF TEACHERS IN UNIVERSITIES AND COLLEGES**

| S.No. | Promotion of Teachers through CAS | Service requirement | Minimum Academic Performance Requirements and Screening/Selection Criteria |
|---|---|---|---|
| 1 | Assistant Professor/ equivalent cadres from Stage 1 to Stage 2 | Assistant Professor in Stage 1 and completed four years of service with Ph.D. or five years of service who are with M.Phil / PG Degree in Professional Courses such as LLM, M.Tech, M.V.Sc., M.D., or six years of service who are without Ph.D/ M.Phil / PG Degree in Professional courses | (i) Minimum cumulative API scores using PBAS scoring proforma developed by the UGC as per the norms provided in Table II (A).<br>(ii) One Orientation and one Refresher / Research Methodology Course of 2/3 weeks duration.<br>(iii) Screening cum Verification process for recommending promotion. |
| 2. | Assistant Professor/ equivalent cadres from Stage 2 to Stage 3 | Assistant Professor with completed service of five years in Stage 2. | (i) Minimum cumulative API scores using the PBAS scoring proforma developed by the UGC as per the norms provided in Table II(A)<br>(ii) One course / programme from among the categories of refresher courses, methodology workshops, Training, Teaching-Learning-Evaluation Technology Programmes, Soft Skills development Programmes and Faculty Development Programmes of 2/3 week duration.<br>(iii) Screening cum Verification process for recommending promotion. |
| 3. | Assistant Professor (Stage 3) to Associate Professor (Stage 4) | Assistant Professors with three years of completed service in Stage 3. | (i) Minimum cumulative API scores using the PBAS scoring proforma developed by the UGC as per the norms provided in Table II (A).<br>(ii) At least three publications in the entire period as Assistant Professor (twelve years). However, in the case of College teachers, an exemption of one publication may be given to M. Phil. holders and an exemption of two publications may be given to Ph. D. holders.<br>(iii) One course / programme from among the categories of methodology workshops, Training, Teaching-Learning - Evaluation Technology Programmes, Soft Skills development Programmes and Faculty Development Programmes of minimum one week duration.<br>(iv) A selection committee process as stipulated in the regulation and in Tables II(A). |
| 4. | Associate Professor (Stage | Associate Professor with three years of completed | (i)Minimum cumulative API scores using the PBAS scoring proforma developed by the UGC as per the norms provided |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 4) to Professor (Stage 5) | service in Stage 4. | in Table II (A). Teachers may combine two assessment periods (in Stages 2 and 3) to achieve minimum API scores, if required.<br>(ii)A minimum of five publications since the period that the teacher is placed in stage 3.<br>(iii) A selection committee process as stipulated in the regulation and in Tables II (A). |
| 5. | Professor (Stage 5) to Professor (Stage 6). | Professor with ten years of completed service (universities only) | (i) Minimum cumulative API scores for the assessment period as per the norms provided in Table II (A).<br>(ii) Additional credentials are to be evidenced by: (a) post-doctoral research outputs of high standard; (b) awards / honours / recognitions / patents and IPR on products and processes developed / technology transfer achieved; and (c) Additional research degrees like D.Sc., D.Litt., LL.D., etc.,<br>(iii) A review process by an Expert Committee as stipulated in this regulation and in Tables II (A).. |

**APPENDIX – III: TABLE IV**

**ACADEMIC PERFORMANCE INDICATORS (API) FOR CAREER ADVANCEMENT SCHEME (CAS) PROMOTIONS OF ASSISTANT DIRECTOR OF PHYSICAL EDUCATION & SPORTS AND FOR COLLEGE DIRECTOR OF PHYSICAL EDUCATION & SPORTS AND FOR DIRECT RECRUITMENT OF DEPUTY DIRECTOR AND DIRECTOR OF PHYSICAL EDUCATION & SPORTS IN UNIVERSITIES.**

Direct Workload and weightage to be given to different levels of Physical Education Personnel

| | Direct working hours per week | Weightage |
|---|---|---|
| Assistant Director of Physical Education | 40 | 100 |
| Deputy Director of Physical Education | 36+4* | 90 |
| Director of Physical Education | 32+8* | 80 |

Based on the Physical Education Personnel's self-assessment, API scores are proposed for (a) Lecture cum practice based athlete / sports classes coaching and training related activities; (b) Organizing and conducting sports and games competitions and management related activities; and (c) upgradation of sports infrastructure and extension services etc. The minimum API score required by Physical Education Personnel from this category is different for different levels of promotion. The self assessment score should be based on objectively verifiable records. It shall be finalized by the screening cum evaluation / selection committee. Universities may detail the activities, in case institutional specificities require, adjust the weightages without changing the minimum total API scores required under this category.

***Hours spent on administrative responsibilities, innovation, upgradation of services, extension services etc.**

**CATEGORY I: TEACHING, TRAINING, COACHING, SPORTS PERSON DEVELOPMENT AND SPORTS MANAGEMENT ACTIVITIES**

| **Nature of Activity** | **Assistant Director / College Director** | | **Deputy Director** | | **Director** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Max. Score** | **Actual Score** | **Max. Score** | **Actual Score** | **Max. Score** | **Actual Score** |
| a) Lecture cum practice based athlete / sports classes, seminars undertaken as per allotted hours /organizing and conducting coaching camps / sports person development / training programmes (50 Points)<br>Identifying sports talents and Mentoring sports excellence among students (**20** Points)<br>Development and maintenance of play fields, purchase and maintenance of other sports facilities (10 Points) | **80** | Actual hours spent per academic year<br>÷<br>**17.5** | **70** | Actual hours spent per academic year<br>÷<br>**17.25** | **60** | Actual hours spent per academic year<br>÷<br>**16.75** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| b) Management of Physical Education & Sports Program for students (planning, executing and evaluating the policies in physical education & Sports) (10 Points)<br>Organizing and conducting sports and games competitions at the International / National / State /<br>Inter University/Inter Zonal Levels (10 Points) | 10 | Actual hours spent per academic year<br>÷<br>**10** | 10 | Actual hours spent per academic year<br>÷<br>**10** | 10 | Actual hours spent per academic year<br>÷<br>**10** |
| c) Upgradation of scientific and technological knowledge in Physical Education and Sports (10 Points)<br>Extending services, sports facilities and training on holidays to the institutions and organizations (10 Points) | 10 | Actual hours spent per academic year<br>÷<br>10 | 10 | Actual hours spent per academic year<br>÷<br>10 | 10 | Actual hours spent per academic year<br>÷<br>10 |

**CATEGORY II: PROFESSIONAL DEVELOPMENT, CO-CURRICULAR AND EXTENSION ACTIVITIES**

Based on the Physical Education Cadre's self-assessment, category II API scores are proposed for co-curricular and extension activities; and Professional development related contributions. A list of items and scores is given below. The self-assessment score should be based on objectively verifiable records and shall be finalized by the screening cum evaluation committee for the promotion of Assistant Director of Physical Education / College Director of Physical Education & Sports to higher grades and selection committee for the promotion of Assistant DPE&S to Deputy DPE&S and for direct recruitment of Deputy DPE&S and DPE&S.

The model table below gives groups of activities and API scores. Universities may detail the activities or, in case institutional specificities require, adjust the weightages without changing the minimum total API score required under this category.

| **Nature of Activity** | **Maximum API Score** | **Actual score** |
|---|---|---|
| a) Student related co-curricular, extension and field based activities<br>(i) Discipline related co-curricular activities (Cultural, Sports, NSS, NCC etc.) (various levels of intramural and extramural programmes)<br>(ii) Extension and dissemination activities (public /popular lectures/talks/seminars etc.) | 15 | Actual hours spent per academic year<br>÷<br>**10** |
| b) Contribution to Corporate life and management of the sports units and institution through participation in sports and administrative committees and responsibilities(including as Principal / Director / Convener / similar other duties that require regular office hrs for its discharge) | 15 | Actual hours spent per academic year<br>÷<br>**10** |
| c) Professional Development activities (such as participation in seminars, conferences, short term training courses, camps & events, talks, lectures in refresher / faculty development courses, membership of associations, dissemination and general articles and any other contribution) | 15 | Actual hours spent per academic year<br>÷<br>**10** |

**CATEGORY-III: RESEARCH AND ACADEMIC CONTRIBUTIONS**

Based on the self-assessment, API scores are proposed for research and sports contributions. The minimum API scores required from this category are different for different levels of promotion in universities/colleges. The self-assessment score shall be based on verifiable records and shall be finalized by the screening cum evaluation committee for the promotion of Assistant Director of Physical Education & Sports to higher grades and Selection Committee for the promotion of Assistant Director of Physical Education & Sports to Deputy Director of Physical Education & Sports and for direct recruitment of Deputy Director of Physical Education & Sports and Director of Physical Education & Sports.

| Category | Activity | Faculties of Physical Education& Sports | Max.score for University/College DPE* |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| III (A) | Research Publications in | Refereed Journals as notified by the UGC# | 25 per Publication |
| | | Other Reputed Journals as notified by the UGC# | 10 per Publication |
| III (B) | Publications other than journal articles (books, chapters in books) | Text/Reference Books, published by International Publishers, with ISBN/ISSN number as approved by the University and posted on its website. The List will be intimated to UGC. | 30 per Book for Single Author |
| | | Subject Books, published by National level publishers, with ISBN/ISSN number or State / Central Govt. Publications as approved by the University and posted on its website. The List will be intimated to UGC. | 20 per Book for Single Author |
| | | Subject Books, published by Other local publishers, with ISBN/ISSN number as approved by the University and posted on its website. The List will be intimated to UGC. | 15 per Book for Single Author |
| | | Chapters in Books, published by National and International level publishers, with ISBN/ISSN number as approved by the University and posted on its website. The List will be intimated to UGC. | International –10 per Chapter<br>National – 5 per Chapter |
| III (C) | RESEARCH PROJECTS | | |
| III (C) (i) | Sponsored Projects | Major Projects with grants above Rs. 5 lakhs | 20 per Project |
| | | Major Projects with grants above Rs.3 lakhs up to Rs.5 lakhs | 15 per Project |
| | | Minor Projects with grants above Rs. 1 lakh up to Rs.3 lakhs | 10 per Project |
| III (C)(ii) | Consultancy Projects | Amount mobilized with a minimum of Rs. 2 lakhs | 10 for every Rs.2 lakhs |
| III (C)(iii) | Projects Outcome / Outputs | Major Policy document prepared for international bodies like WHO/UNO/UNESCO/UNICEF etc. Central / State Govt./Local Bodies | Major policy document of International bodies - 30<br>Central Government – 20,<br>State Govt.-10<br>Local bodies – 5 |
| III (D) | RESEARCH GUIDANCE | | |
| III(D)(i) | M.Phil. | Degree awarded | 5 per candidate |
| III(D)(ii) | Ph.D. | Degree awarded / Thesis submitted | 15 / 10 per candidate<br>10 per candidate |
| III E | Awards / Fellowships/Invited lectures delivered / papers presented in conferences / seminars | | |
| III(E) (i) | Award / Fellowship | International Award/Fellowship from Govt./recognized International Sports Bodies/International Sports Organizations | 15 per Award / 15 per Fellowship |
| | Award / Fellowship | National Award/Fellowship from Govt./recognized National Sports Bodies/National Sports Organizations | 10 per Award / 10 per Fellowship |
| | Award /Fellowship | State / University Award/Fellowship from Govt./recognized State Sports Bodies/State Sports Organizations | 5 Per Award |
| III(E) (ii) | Invited lectures / papers presented | International | 7 per lecture / 5 per paper presented |
| | | National level | 5 per lecture / 3 per paper presented |
| | | State/University level | 3 per lecture / 2 per paper presented |
| | The score under this sub-category shall be restricted to 20% of the minimum fixed for Category III for any assessment period | | |
| III(E) | Development of e-learning delivery process/material | | 10 per module |

| | | |
|---|---|---|
| (iii) | | |

* Wherever relevant, the API score for paper in refereed journal would be augmented as follows: (i) paper with impact factor less than 1 - by 5 points; (ii) papers with impact factor between 1 and 2 by 10 points; (iii) papers with impact factor between 2 and 5 by 15 points; (iv) papers with impact factor between 5 and 10 by 20 points: (v) papers with impact factor above 10 by 25 points. The API for joint publications/books shall be calculated in the following manner: Of the total score for the relevant category of publication by the concerned teacher, the First and Principal / corresponding author /supervisor / mentor of the teacher would share equally 70% of the total points and the remaining 30% would be shared equally by all other authors.

**#** The University shall identify the journals subject-wise through subject expert committees and forward the recommendations to UGC in the format prescribed by UGC for approval of the UGC Standing Committee. The journals approved from this list, by the UGC Standing Committee, shall be included in the "List of Journals" notified by the UGC. The UGC Standing Committee shall give its recommendations within 60 working days of the receipt of the list from the University. The UGC Standing Committee may also, suo-moto, recommend journals for inclusion in the "List of Journals". The clause 6.0.5 (i) will be strictly followed by the University.

**APPENDIX - III TABLE - V (A)**

**MINIMUM APIs AS PROVIDED IN APPENDIX - III TABLE I TO BE APPLIED FOR THE CAREER ADVANCEMENT SCHEME (CAS) PROMOTION OF ASSISTANT/COLLEGE DIRECTOR AND DEPUTY DIRECTOR OF PHYSICAL EDUCATION AND WEIGHTAGES FOR EXPERT ASSESSMENT IN SELECTION COMMITTEES, IN UNIVERSITIES AND COLLEGES**

| **Category** | **Activity** | **Assistant / College Director of Physical Education (Stage 1 to Stage 2)** | **Assistant / College Director of Physical Education (Stage 2 to Stage 3)** | **Assistant/College Director of Physical Education(Stage 3) to Deputy/College Director of Physical Education (Stage 4)** | **Deputy Director of Physical Education (Stage 4) to Director of Physical Education (Stage 5)** |
|---|---|---|---|---|---|
| I | Teaching, training, coaching, sports person development and sports management activities | 80/Year | 80/year | 75/year | 70/year |
| II | Professional Development and Extension activities - Minimum score required to be assessed cumulatively | 50/ Assessment period | 50 / Assessment period | 50 / Assessment period | 50 / Assessment period |
| III | Research and Academic Contributions - Minimum score required - to be assessed cumulatively | 20 / Assessment period | 50 / Assessment period) | 75 / Assessment period | 100 / Assessment period |
| II + III | Minimum total API score under Categories II and III* | 90 / Assessment period | 120 / Assessment period) | 150 / Assessment period | 180 / Assessment period |
| | Expert Assessment System | Screening cum evaluation committee | Screening cum evaluation committee | Selection Committee | Selection Committee |
| V | Percentage Distribution of Weightage Points in the Expert Assessment (Total weightage = 100. Minimum required 50) | No separate points. Screening Committee to verify API scores | No separate points. Screening Committee to verify API scores | 30%- Research contribution<br>50% - Assessment of domain knowledge & teaching practices.<br>20%- Interview performance | 50%- Research contribution.<br>30%- Assessment of domain knowledge and<br>teaching practices.<br>20 %- Interview |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | performance |

*** One may score the balance of points from either Category II or Category III to achieve the minimum score required under Category II + III.**

**APPENDIX - III TABLE - V(B)**

**Minimum Scores for APIs for direct recruitment of Physical Education Cadres in Universities / Colleges, and weightages in Selection Committees to be considered along with other specified eligibility qualifications stipulated in the Regulation.**

| | Assistant DPE (Stage 1) | Deputy DPE (Stage 4) | DPE (Stage 5) |
|---|---|---|---|
| Minimum API Scores | Minimum Qualification as stipulated in the regulations | Consolidated API score requirement of 300 points from categories II & III of APIs (cumulative) | Consolidated API score requirement of 400 points from categories II & III of APIs (cumulative) |
| Selection Committee criteria / weightages (Total Weightages = 100) | a) Track Record of championship won (30%)<br>b) Sports and athletic skills (40%)<br>c) Interview performance (30%) | a) Research papers (3 nos) evaluation:(40%)<br>b) Organisational skills / Plans of sports (30%)<br>c) Interview performance (30%) | a) Research papers (5 nos) evaluation (50%)<br>b) Organisational track vision plan: (25%)<br>c) Interview performance (25%) |

**APPENDIX-III - TABLE VI**

**MINIMUM ACADEMIC PERFORMANCE AND SERVICE REQUIREMENTS FOR PROMOTION OF PHYSICAL EDUCATION CADRES IN UNIVERSITIES AND COLLEGES**

| Sl.No. | Promotion of Physical Education Cadres through CAS | Service (as prescribed by the MHRD Notification) requirement | Minimum Academic Performance Requirements and Screening/Selection Criteria |
|---|---|---|---|
| 1 | Assistant DPE/ College DPE to Assistant DPE (Senior Scale) / College DPE (Senior Scale) (Stage 1 to Stage 2) | Assistant DPE / College DPE completed four years of service in Stage 1 with Ph.D. or five years of service with M.Phil. or six years of service without Ph.D./ M.Phil | (i) Minimum cumulative API scores using PBAS scoring proforma developed by the UGC as per the norms provided in Table V (A).<br>(ii) One Orientation and one Refresher / Research Methodology Course of 3/4 weeks duration.<br>(iii) Screening cum Verification process for recommending promotion. |
| 2. | Assistant DPE (senior scale) / College DPE (senior scale) to Deputy DPE / Assistant DPE (selection grade) / College DPE (selection grade) (Stage 2 to Stage 3) | Assistant DPE (senior scale) College DPE (senior scale) with completed service of five years in Stage 2 | (i) Minimum cumulative API scores using the PBAS scoring proforma developed by the UGC as per the norms provided in Table V(A)<br>(ii) One course / programme from among the categories of refresher courses, methodology workshops, Training, Teaching-Learning-Evaluation Technology Programmes, Soft Skills development Programmes and Faculty Development Programmes of 3/4 week duration.<br>(iii) Screening cum Verification process for recommending promotion. |
| 3. | Assistant DPE (Selection Grade) / College DPE (Selection Grade) to Deputy DPE / College DPE (Selection Grade) (Stage 3 to Stage 4). | Assistant DPE (Selection Grade) / College DPE (Selection Grade) with three years of completed service in Stage 3. | (i) Minimum cumulative API scores using the PBAS scoring proforma developed by the UGC as per the norms provided in Table V(A).<br>(ii) At least three publications in the entire period as Assistant/College DPE (twelve years). However, in the case of College DPE, an exemption of one publication may be given to M. Phil. holders and an exemption of two publications may be given to Ph. D. holders.<br>(iii) Evidence of having produced.teams / athletes |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | (iv) A selection committee process as stipulated in the regulation and in Tables V(A). |
| 4. | University DPE (Stage 5) (For universities only) | Deputy DPE in universities with three years of completed service in Stage 4. | (i) Minimum cumulative API scores using the PBAS scoring proforma developed by the UGC as per the norms provided in Table V(A). Teachers may combine two assessment periods (in Stages 2 and 3) to achieve minimum API scores, if required.<br>(ii) A minimum of five publications since the period the personnel is placed in stage 3<br>(iii) Evidence of having produced. teams / athletes<br>(iv) A selection committee process as stipulated in the regulation and in Tables V(A). |

Note: The explanatory note provided for Table IIA for CAS for teachers is also applicable for the Physical Director cadres as per the API score specified for this cadre.

**APPENDIX- III TABLE VII**

**ACADEMIC PERFORMANCE INDICATORS (API) FOR PROMOTIONS OF ASSISTANT LIBRARIAN IN UNIVERSITIES / FOR COLLEGE LIBRARIAN UNDER CAREER ADVANCEMENT SCHEME (CAS) AND FOR DIRECT RECRUITMENT OF DEPUTY LIBRARIAN AND LIBRARIAN IN UNIVERSITIES.**

Direct Work load and weightage to be given to different levels of Librarians

| | Direct working hours per week | Weightage |
|---|---|---|
| Assistant Librarian/College Librarian | 40 | 100 |
| Deputy Librarian | 36+4* | 90 |
| Librarian | 32+8* | 80 |

Based on the Librarian Cadre's self-assessment, API scores are proposed for (a) Library resources organization and maintenance of books, journals, reports, Development, organization and management of e-resources; User awareness and instruction programmes, (b) ICT and other new technologies' application for upgradation of library services and (c) Additional services such as extending library facilities on holidays, shelf order maintenance, library user manual, building and extending institutional library facilities to outsiders through external membership norms. The minimum API score required by Library Personnel from this category is different for different levels of promotion. The self assessment score should be based on objectively verifiable records. It shall be finalized by the screening cum evaluation / selection committee. Universities may detail the activities, in case institutional specificities require, adjust the weightages without changing the minimum total API scores required under this category.

***Hours spent on administrative responsibilities, innovation, upgradation of services, extension services etc.**

CATEGORY I: Procurement, organization, and delivery of knowledge and information through Library services

| **Nature of Activity** | **Univ.Assistant Librarian/College Librarian** | | **Deputy Librarian** | | **Librarian** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Max. Score** | **Actual Score** | **Max. Score** | **Actual Score** | **Max. Score** | **Actual Score** |
| a) Library resources organization and maintenance of books, journals, reports; Provision of library reader- services, literature retrieval services to researchers and analysis of reports; Provision of assistance to the departments of University/College with the required inputs for preparing reports, manuals and related documents; Assistance towards updating institutional website with activity related information and for bringing out institutional Newsletters, etc. (40 Points)<br>Development, organization and management of e-resources including their accessibility over Intranet / Internet, digitization of library | 70 | Actual hours spent per academic year<br>÷<br>**20** | 60 | Actual hours spent per academic year<br>÷<br>**20** | 55 | Actual hours spent per academic year<br>÷<br>**20** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| resources, e-delivery of information, etc (15 Points)<br>User awareness and instruction programmes (Orientation lectures, users' training in the use of library services as e-resources, OPAC; knowledge resources user promotion programmes like organizing book exhibitions, other interactive latest learning resources, etc. (15 Points) | | | | | | |
| b) ICT and other new technologies' application for upgradation of library services such as automation of catalogue, learning resources procurement functions, circulation operations including membership records, serial subscription system, reference and information services, library security (technology based methods such as RFID, CCTV), development of library management tools (software), Intranet management | 15 | Actual hours spent per academic year<br>÷<br>**10** | 15 | Actual hours spent per academic year<br>÷<br>**10** | 15 | Actual hours spent per academic year<br>÷<br>**10** |
| c).Additional services such as extending library facilities on holidays, shelf order maintenance, library user manual, building and extending institutional library facilities to outsiders through external membership norms | 15 | Actual hours spent per academic year<br>÷<br>**10** | 15 | Actual hours spent per academic year<br>÷<br>**10** | 10 | Actual hours spent per academic year<br>÷<br>**10** |

**CATEGORY II: PROFESSIONAL DEVELOPMENT, CO-CURRICULAR AND EXTENSION ACTIVITIES**

Based on the Librarian Cadre's self-assessment, category II API scores are proposed for co-curricular and extension activities; and Professional development related contributions. A list of items and scores is given below. The self-assessment score should be based on objectively verifiable records and shall be finalized by the screening cum evaluation committee for the promotion of Assistant Librarian / College Librarian to higher grades and selection committee for the promotion of Assistant Librarian to Deputy Librarian and for direct recruitment of Deputy Librarian and Librarian.

The model table below gives groups of activities and API scores. Universities may detail the activities or, in case institutional specificities require, adjust the weightages without changing the minimum total API score required under this category.

| **Nature of Activity** | **Maximum API Score** | **Actual score** |
|---|---|---|
| a) Student related co-curricular, extension and field based activities (such Cultural exchange and Library service Programmes (various level of extramural and intramural programmes); extension, library-literary work through different channels. | 15 | Actual hours spent per academic year<br>÷<br>**10** |
| b) Contribution to Corporate life and management of the library units and institution through participation in library and administrative committees and responsibilities. | 15 | Actual hours spent per academic year<br>÷<br>**10** |
| c) Professional Development activities (such as participation in seminars, conferences, short term, e- library training courses, workshops and events, talks, lectures, membership of associations, dissemination and general articles, not covered in Category III below) | 15 | Actual hours spent per academic year<br>÷<br>**10** |

**CATEGORY-III: RESEARCH AND ACADEMIC CONTRIBUTIONS**

Based on the self-assessment, API scores are proposed for research and library contributions. The minimum API scores required from this category are different for different levels of promotion in universities/colleges. The self-assessment score shall be based on verifiable records and shall be finalized by the screening cum evaluation committee for the

promotion of Assistant Librarian / College Librarian to higher grades and Selection Committee for the promotion of Assistant Librarian to Deputy Librarian and for direct recruitment of Deputy Librarian and Librarian.

| Category | Activity | University/College Librarians | Max.score * |
|---|---|---|---|
| III (A) | Research Publications in | Refereed Journals as notified by the UGC# | 25 per Publication |
| | | Other Reputed Journals as notified by the UGC# | 10 per Publication |
| III (B) | Publications other than journal articles (books, chapters in books) | Text/Reference Books, published by International Publishers, with ISBN/ISSN number as approved by the University and posted on its website. The List will be intimated to UGC. | 30 per Book for Single Author |
| | | Subject Books, published by National level publishers, with ISBN/ISSN number or State / Central Govt. Publications as approved by the University and posted on its website. The List will be intimated to UGC. | 20 per Book for Single Author |
| | | Subject Books, published by Other local publishers, with ISBN/ISSN number as approved by the University and posted on its website. The List will be intimated to UGC. | 15 per Book for Single Author |
| | | Chapters in Books, published by National and International level publishers, with ISBN/ISSN number as approved by the University and posted on its website. The List will be intimated to UGC. | International –10 per Chapter<br>National – 5 per Chapter |
| III (C) | RESEARCH PROJECTS | | |
| III (C) (i) | Sponsored Projects | Major Projects with grants above Rs. 5 lakhs | 20 per Project |
| | | Major Projects with grants above Rs.3 lakhs up to Rs.5 lakhs | 15 per Project |
| | | Minor Projects with grants above Rs. 1 lakh up to Rs.3 lakhs | 10 per Project |
| III (C)(ii) | Consultancy Projects | Amount mobilized with a minimum of Rs. 2 lakhs | 10 for every Rs.2 lakhs |
| III (C)(iii) | Projects Outcome / Outputs | Major Policy document prepared for international bodies like WHO/UNO/UNESCO/UNICEF etc. Central / State Govt./Local Bodies prepared | Major policy document of<br>International bodies - 30<br>Central Government – 20,<br>State Govt.-10<br>Local bodies – 5 |
| III (D) | RESEARCH GUIDANCE | | |
| III(D)(i) | M.Phil. | Degree awarded | 5 per candidate |
| III(D)(ii) | Ph.D. | Degree awarded / Thesis submitted | 15 /10 per candidate |
| III E | Awards / Fellowships/Invited lectures delivered / papers presented in conferences / seminars | | |
| III(E) (i) | Award / Fellowship | International Award/Fellowship from academic bodies/ associations | 15 per Award / 15 per Fellowship |
| | Award / Fellowship | National Award/Fellowship academic bodies/ associations | 10 per Award / 10 per Fellowship |
| | Award/Fellowship | State / University Award/Fellowship from academic bodies/associations | 5 Per Award |
| III(E) (ii) | Invited lectures / papers presented | International | 7 per lecture / 5 per paper presented |
| | | National level | 5 per lecture / 3 per paper presented |
| | | State/University level | 3 per lecture / 2 per paper presented |
| | The score under this sub-category shall be restricted to 20% of the minimum fixed for Category III for any assessment period | | |

| | | |
|---|---|---|
| III(E) (iii) | Development of e-delivery process/material | 10 per module |

* Wherever relevant, the API score for paper in refereed journal would be augmented as follows: (i) paper with impact factor less than 1 - by 5 points; (ii) papers with impact factor between 1 and 2 by 10 points; (iii) papers with impact factor between 2 and 5 by 15 points; (iv) papers with impact factor between 5 and 10 by 20 points: (v) papers with impact factor above 10 by 25 points. The API for joint publications/books shall be calculated in the following manner: Of the total score for the relevant category of publication by the concerned teacher, the First and Principal / corresponding author /supervisor / mentor of the teacher would share equally 70% of the total points and the remaining 30% would be shared equally by all other authors.

**#** The University shall identify the journals subject-wise through subject expert committees and forward the recommendations to UGC in the format prescribed by UGC for approval of the UGC Standing Committee. The journals approved from this list, by the UGC Standing Committee, shall be included in the "List of Journals" notified by the UGC. The UGC Standing Committee shall give its recommendations within 60 working days of the receipt of the list from the University. The UGC Standing Committee may also, suo motu, recommend journals for inclusion in the "List of Journals". The clause 6.0.5 (i) will be strictly followed by the University.

**APPENDIX - III TABLE - VIII (A)**

**MINIMUM APIs FOR THE CAREER ADVANCEMENT SCHEME (CAS) PROMOTION OF ASSISTANT/COLLEGE LIBRARIAN AND DEPUTY LIBRARIAN AND WEIGHTAGES FOR EXPERT ASSESSMENT IN SELECTION COMMITTEES, IN UNIVERSITIES AND COLLEGES**

| **Category** | **Activity** | **Assistant / College Librarian (Stage 1 to Stage 2)** | **Assistant / College Librarian (Stage 2 to Stage 3)** | **Assistant/College Librarian (Stage 3) to Deputy/College Librarian (Stage 4)** | **Deputy Librarian (Stage 4) to Librarian (Stage 5)** |
|---|---|---|---|---|---|
| I | Procurement, organization, and delivery of knowledge and information through Library services | 80/Year | 80/year | 75/year | 70/year |
| II | Professional Development and Extension activities - Minimum score required to be assessed cumulatively | 50/ Assessment period | 50 / Assessment period | 50 / Assessment period | 50 / Assessment period |
| III | Research and Academic Contributions – Minimum Score required - to be assessed cumulatively | 20 / Assessment period | 50 / Assessment period | 75 / Assessment period | 100 / Assessment period |
| II + III | Minimum total API score under Categories II and III* | 90 / Assessment period | 120 / Assessment period | 150 / Assessment period | 180 / Assessment period |
| | Expert Assessment System | Screening cum evaluation committee | Screening cum evaluation committee | Selection Committee | Selection Committee |
| IV | Percentage Distribution of Weightage Points in the Expert Assessment (Total weightage = 100. | No separate points. Screening committee to verify API scores | No separate points. Screening committee to verify API scores | 30% - Library related research papers evaluation 50% - Assessment of domain knowledge on Library automation and | 50% Library publication work 30% Assessment of innovative Library service and organization of digital library |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Minimum required 50)) | | | Organizational skills 20 % - Interview performance | services 20% Interview performance |

*** One may score the balance points from either Category II or Category III to achieve the minimum score required under Category II+ III.**

**APPENDIX - III TABLE – VIII (B)**

**Minimum APIs and Other Norms for the Direct Recruitment of Librarian Positions in University Departments/Colleges and weightages in Selection Committees to be considered along with other specified eligibility qualifications stipulated in the Regulation.**

| **Minimum Norm / Criteria** | **Assistant University Librarian / College Librarian (Stage 1)** | **Deputy Librarian in universities (Stage 4)** | **Librarian (university only) (Stage 5)** |
|---|---|---|---|
| API score (Research and Academic Contribution - Category III) | Minimum Qualification as stipulated in the regulations | Consolidated API score requirement of 300 points from categories II & III of APIs (cumulative) | Consolidated API score requirement of 400 points from categories II & III of APIs (cumulative) |
| Selection Committee criteria/weightages (Total weightage = 100) | a) Teaching / computer and communication skills by a Lecture demonstration (50%)<br>b) Record of Library management skills (20%)<br>c) Interview performance(30%) | a) Library related Research / Theme papers (3 Nos) Evaluation: (50%)<br>.b) Library automation skills and Organizational Plans (20%)<br>.c) Interview performance (30%) | a) Library Research papers (Five) evaluation (60%)<br>b) organizational track record of innovation library service and vision plan (20%)<br>c) Interview performance (20%) |

**APPENDIX-III - TABLE IX**

**MINIMUM ACADEMIC PERFORMANCE AND SERVICE REQUIREMENTS FOR PROMOTION OF LIBRARIAN CADRES IN UNIVERSITIES AND COLLEGES**

| Sl.No. | Promotion of Librarian Cadres through CAS | Service (as prescribed by the MHRD Notification) requirement | Minimum Academic Performance Requirements and Screening/Selection Criteria |
|---|---|---|---|
| 1 | Assistant Librarian/ College Librarian to Assistant Librarian (Senior Scale) / College Librarian (Senior Scale) (Stage 1 to Stage 2) | Assistant Librarian/ College Librarian completed four years of service in Stage 1 with Ph.D. or five years of service with M.Phil. or six years of service without Ph.D./ M.Phil | (i) Minimum API scores using PBAS scoring proforma developed by the university as per the norms provided in Table VIII (A) of Appendix III for Librarian cadres in universities and for college Librarian cadres.<br>(II)One Orientation and one Refresher Course of 3/4 weeks duration<br>(iii) Screening cum Verification process for recommending promotion. |
| 2. | Assistant Librarian (senior scale) / College Librarian (senior scale) to Assistant Librarian (selection grade) / College Librarian (selection grade) (Stage 2 to Stage 3) | Assistant Librarian (senior scale) / College Librarian (senior scale) with completed service of five years in Stage 2 | (i) Minimum API scores using the PBAS scoring proforma developed by University as per the norms provided in Table VIII (A) of Appendix III for Librarian Cadres in universities and for college librarian cadres.<br>(ii)Additionally, two refresher courses, for a minimum period of 3 to 4 week duration to have been undergone during the assessment period.<br>(iii) Screening cum Verification process for recommending promotion. |
| 3. | Assistant Librarian (Selection Grade) / College Librarian (Selection Grade) | Deputy Librarian / Assistant Librarian (Selection Grade) / College Librarian | (i) Minimum API scores using the PBAS scoring proforma developed by university as per the norms provided in Table VIII (A) of Appendix III. Three publications over twelve years. In Colleges, an exemption of one publication |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | to Deputy Librarian / College Librarian(Selection Grade)(Stage 3 to Stage 4) | (Selection Grade) with three years of completed service in Stage 3. | will be given to M. Phil holders and two publications to Ph. D. Holders.<br>(ii) Additionally one course/training under the categories of Library automation / Analytical tool Development for academic documentation.<br>(iii) A selection committee process as stipulated in the Regulation and in Table VIII (A) |
| 4. | University Librarian (Stage 5) (For universities only) | Deputy Librarian in universities with three years of completed service in Stage 4. | (i) Minimum cumulative API scores using the PBAS scoring proforma developed by the UGC as per the norms provided in Table VIII (A). Librarians may combine two assessment periods (in Stages 3 and 4) to achieve minimum API scores, if required.<br>(ii) A minimum of five publications since the period that the teacher is placed in stage 3<br>(iii) Evidence of innovative library service and organization of published work.<br>(iv) A selection committee process as stipulated in the regulation and in Table VIII (A) |

**Note:** The explanatory note provided for Table IIA for CAS for teachers is also applicable for the Librarian cadres as per the API score specified for this cadre.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 171] नई दिल्ली, सोमवार, मई 2, 2016/वैशाख 12, 1938
No. 171] NEW DELHI, MONDAY, MAY 2, 2016/ VAISAKHA 12, 1938

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2016

**विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों एवं छात्रों के लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण, निषेध एवं इसमें सुधार) विनियम 2015**

**मि. सं. 91–1/2013 (टी. एफ. जी. एस.**—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (1956 का 3) जिसे उक्त अधिनियम के अनुच्छेद 20 के उप–अनुच्छेद (1) से संयुक्त रुप से पढ़ा जाए उस अधिनियम 26 के अनुच्छेद (1) की धारा (जी) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के क्रियान्वयन अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एतद्द्वारा निम्न विनियम निर्मित कर रहा है, नामतः :–

1. **लघु शीर्ष, अनुप्रयोग एवं समारम्भः–** (1) ये विनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग **(उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों एवं छात्रों के लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण, निषेध एवं इसमें सुधार)** विनियम, 2015 कहलाएगे।

(2) ये विनियम भारत वर्ष में सभी उच्चतर शैक्षिक संस्थानों पर लागू होंगे।

(3) सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से वे लागू माने जाएँगे।

2. **परिभाषाएँः–** इन विनियमों में–बशर्ते विषयवस्तु के अन्तर्गत कुछ अन्यथा जरुरी है:–

(अ) "पीड़ित महिला" से अर्थ है किसी भी आयु वर्ग की एक ऐसी महिला–चाहे वह रोज़गार में है या नहीं, किसी कार्य स्थल में कथित तौर से प्रतिवादी द्वारा कोई लैंगिक प्रताड़ना के कार्य का शिकार बनी है;

(ब) "अधिनियम" से अर्थ है कार्य स्थल में महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निराकरण, निषेध एवं समाधान) अधिनियम, 2013 (2013 का 14);

(स) "परिसर" का अर्थ उस स्थान अथवा भूमि से है जहाँ पर उच्चतर शैक्षिक संस्थान तथा इसकी संबद्ध संस्थागत सुविधाएँ जैसे पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ, लेक्चर हॉल, आवास, हॉल, शौचालय, छात्र केन्द्र, छात्रावास, भोजन कक्षों, स्टेडियम, वाहन पड़ाव स्थल, उपवनों जैसे स्थल तथा अन्य कुछ सुविधाएँ जैसे स्वास्थ्य केन्द्र, कैन्टीन, बैंक पटल इत्यादि स्थित हैं तथा जिसमें छात्रों द्वारा उच्चशिक्षा के छात्र के रूप में दौरा किया जाता हो–जिस में वह परिवहन शामिल है जो उन्हें उस संस्थान से आने जाने के लिए, उस संस्थान के अलावा क्षेत्रीय भ्रमण हेतु

संस्थान पर, अध्ययनों, अध्ययन भ्रमण, सैर–सपाटे के लिए, लघु–अवधि वाली नियुक्तियों के लिए, शिविरों के लिए उपयोग किए जा रहे स्थानों, सांस्कृतिक समारोहों, खेलकूद आयोजनों एवं ऐसी ही अन्य गतिविधियों जिनमें कोई व्यक्ति एक कर्मचारी अथवा उच्चतर शैक्षिक संस्थान के एक छात्र के रुप में भाग ले रहा है–यह समस्त उस परिसर में सम्मिलित हैं;

(डी) "आयोग" का अर्थ है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (1956 का 3) के अनुच्छेद 4 के अन्तर्गत स्थापित हैं;

(ई) "आवृत्त व्यक्तियों" से अर्थ उन व्यक्तियों से है जो एक सुराक्षित गतिविधि में कार्यरत है जैसे कि किसी लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत को दायर करना–अथवा वे ऐसे किसी व्यक्ति से घनिष्ठ रुप से सम्बद्ध हैं जो सुरक्षित गतिविधि में कार्यरत है तथा ऐसा व्यक्ति एक कर्मचारी हो सकता है अथवा उस पीड़ित व्यक्ति का एक कर्मचारी हो सकता है अथवा एक साथी छात्र अथवा अभिभावक हो सकता है;

(एफ) "कर्मचारी" का अर्थ, उस व्यक्ति से है जिसे अधिनियम में परिभाषित किया गया है तथा इसमें इन विनियमों की दृष्टि से प्रशिक्षार्थी, शिक्षार्थी अथवा वे अन्य जिस नाम से भी जाने जाते हैं। आन्तरिक अध्ययन में लगे छात्र, स्वयंसेवक, अध्यापन–सहायक शोध–सहायक चाहे वे रोजगार में है अथवा नहीं, तथा क्षेत्रीय अध्ययन में, परियोजनाओं लघु–स्तर के भ्रमण अथवा शिविरों में कार्यरत व्यक्तियों से है;

(जी) "कार्यकारी प्राधिकारी" से अर्थ है उच्चतर शैक्षिक संस्थान के प्रमुख कार्यकारी प्राधिकारी, चाहे जिस नाम से वे जाने जाते हों– तथा जिस संस्थान में उच्चतर शैक्षिक संस्थान का सामान्य प्रशासन सम्मिलित है। सार्वजनिक रूप से निधि प्राप्त संस्थानों के लिए, कार्यकारी प्राधिकारी से अर्थ है अनुशासनात्मक प्राधिकारी जैसा कि केन्द्रीय नागरिक सेवायें (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम तथा इसके समतुल्य नियमों में दर्शाया गया है;

(एच) "उच्चतर शैक्षिक संस्थान" (एचई.आई.) से अर्थ है–एक विश्वविद्यालय जो अनुच्छेद 2 की धारा (जे) के अन्तर्गत अर्थों के अनुसार है, ऐसा एक महाविद्यालय जो अनुच्छेद 12 (ए) के उप–अनुच्छेद (1) की धारा (बी) के अर्थ के अनुसार है तथा एक ऐसा संस्थान जो मानित विश्वविद्यालय के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (1956 का 3) के अनुच्छेद 3 के अन्तर्गत है;

(आई) "आन्तरिक शिकायत समिति" (आई.सी.सी.) (इन्टरनल कम्प्लेन्ट्स कमिटि) से अर्थ है इन विनियमों के विनियम 4 के उप–विनियम (1) के अर्थ के अनुसार उच्चतर शैक्षिक संस्थान द्वारा गठित की जाने वाली आन्तरिक शिकायत समिति से है। यदि पहले से ही समान उद्देश्य वाला कोई निकाय सक्रिय है, (जैसे कि लैंगिक संवेदीकरण समिति जो लैंगिक उत्पीड़न संबंधी विवाद देखेगी (जी.एस.सी.ए.एस.एच.) ऐसे निकाय को आन्तरिक शिकयत समिति (आइसीसी) के रूप में पुनर्गठित किया जाना चाहिए;

बशर्ते, बाद वाले मामले में उच्चतर शैक्षिक संस्थान ऐसा सुनिश्चित करेगा कि इन विनियमों के अन्तर्गत आन्तरिक शिकायत केन्द्र के लिए ऐसे एक निकाय का गठन आवश्यक है। बशर्ते कि ऐसा निकाय इन विनियमों के प्रावधानों द्वारा बाध्य होगा;

(जे) "संरक्षित गतिविधि" में ऐसी एक परम्परा, के प्रति तर्कपूर्ण विरोध शामिल है, जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि अपनी तरफ से अथवा कुछ दूसरे लोगों की तरफ से लैंगिक उत्पीड़न संबंधी कानूनों का उल्लंघन उस परम्परा के माध्यम से किया जा रहा है– जैसे कि लैंगिक उत्पीड़न मामलों की कार्रवाई में भागीदारी करना, किसी भी आन्तरिक जांच पड़ताल में अथवा कथित लैंगिक उत्पीड़न कामों में सहयोग करना अथवा किसी बाहरी एजेन्सी द्वारा की जा रही जाँच पड़ताल में अथवा किसी मुकदमें में बतौर गवाह मौजूद रहना;

(के) "लैंगिक उत्पीड़न" का अर्थ है–

(i) ऐसा एक अनचाहा आचरण जिसमें छिपे रूप में लैंगिक भावनाएँ जो प्रत्यक्ष भी हो जाती हैं अथवा जो भावनाएँ अत्यन्त मजबूत होती, नीचतायुक्त होती हैं, अपमानजनक होती हैं अथवा एक प्रतिकूल और धमकी भरा वातावरण पैदा करती हैं अथवा वास्तविक अथवा धमकी भरे परिणामों द्वारा अधीनता की ओर प्रेरित करने वाली होती हैं तथा ऐसी भावनाओं में निम्नलिखित अवांछित काम या व्यवहारों में कोई भी एक या उससे अधिक या ये समस्त व्यवहार शामिल हैं (चाहे सीधे तौर से या छिपे तौर से) नामतः–

(अ) लैंगिक भावना से युक्त कोई भी अप्रिय शारीरिक, मौखिक अथवा गैर मौखिक के अतिरिक्त कोई आचरण

(ब) लैंगिक अनुग्रह या अनुरोध करना

(स) लैंगिकतायुक्त टिप्पणी करना

(ड़) शारीरिक रूप से संबंध बनाना अथवा पास बने रहने की कोशिश करना

(ई) अश्लील साहित्य दिखाना

(ii) निम्न परिस्थितियों में से किसी एक में (अथवा इससे अधिक एक या सभी में) यदि ऐसा पाया जाता है अथवा वह ऐसे किसी बर्ताव के बारे में है या उससे संबंधित है जिसमें व्यापक रूप से या छिपे रूप में लैंगिक संकेत छिपे हैं–

(अ) छिपे तौर से या प्रत्यक्ष रूप से अधिमान्य व्यवहार देने का वायदा जो लैंगिक समर्थन के एवज में हैं;

(ब) कार्य के निष्पादन में छिपे रूप से या सीधे तौर से रुकावट डालने की धमकी;

(स) संबद्ध व्यक्ति के वर्तमान अथवा उसके भविष्य के प्रति छिपे तौर से या सीधे तौर से धमकी देकर;

(द) एक दहशत भरा हिंसात्मक या द्वेषपूर्ण वातावरण पैदा करके;

(ई) ऐसा व्यवहार करना जो कि संबद्ध व्यक्ति के स्वास्थ्य उसकी सुरक्षा, प्रतिष्ठा अथवा उसकी शारीरिक दृढ़ता को दुष्प्रभावित करने वाला है;

(एल) "छात्र" शब्द का अर्थ उस व्यक्ति के लिए है जिसे विधिवत प्रवेश मिला हुआ है, जो नियमित रूप से या दूर शिक्षा विधि से एक उच्च शिक्षा संस्थान में, एक अध्ययन पाठ्यक्रम का अनुसरण कर रहा है जिसमें लघु अवधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी शामिल हः

बशर्ते, ऐसे किसी छात्र के साथ यदि कोई लैंगिक उत्पीड़न की घटना होती है जो उच्च शिक्षा संस्थान परिसर में प्रवेश पाने की प्रक्रिया में है– यद्यपि वह प्रवेश प्राप्त नहीं हुआ है तो इन विनियमों के आधार पर उस छात्र को उच्च शिक्षा संस्थान का छात्र माना जाएगाः

बशर्ते एक ऐसा छात्र जो किसी उच्चतर शैक्षिक संस्थान में प्रवेश प्राप्त है तथा उस संस्थान में भागीदार है और उस छात्र के प्रति कोई लैंगिक उत्पीड़न होता है तो उसे उस उच्च संस्थान का छात्र माना जाएगा;

(एम) "किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा उत्पीड़न" उस स्थिति को दर्शाता है जब लैंगिक उत्पीड़न की घटना किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा या किसी बाहर के आदमी द्वारा की गई हो जो ना तो उस उच्च शैक्षिक संस्थान का कर्मचारी अथवा उसका छात्र है–बल्कि उस संस्थान में एक आगन्तुक है जो अपने अन्य किसी काम या उद्देश्य से आया हुआ है;

(एन) "उत्पीड़न" का अर्थ है किसी व्यक्ति से नकारात्मक व्यवहार जिसमें छिपे तौर से या सीधै तौर से लैंगिक दुर्भावना की नीयत छिपी होती है;

(ओ) "कार्यस्थल" का अर्थ है उच्चतर शैक्षिक संस्थान का परिसर जिसमें शामिल हैः

(अ) कोई विभाग, संगठन, उपक्रम, प्रतिष्ठान, उद्योग, संस्थान, कार्यालय, शाखा अथवा एकांश जो उपयुक्त उच्चतर शैक्षिक संस्थान द्वारा पूरी तरह अथवा पर्याप्त रूप से उपलब्ध निधि द्वारा सीधे तौर से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से स्थापित, स्वामित्व वाले या उससे नियन्त्रित है;

(ब) ऐसा कोई खेलकूद संस्थान, स्टेडियम, खेल परिसर या प्रतियोगिता या खेलकूद क्षेत्र चाहे वह आवासीय है या नहीं या उसे उच्चतर शैक्षिक संस्थान की प्रशिक्षण, खेलकूद अथवा अन्य गतिविधियों के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(स) ऐसा कोई स्थान जिसमें कर्मचारी अथवा छात्र अपने रोजगार के दौरान या अध्ययन के दौरान आते रहते हैं तथा जिस गतिविधि में यातायात शामिल है जिसे कार्यकारी प्राधिकारी ने ऐसे भ्रमण के लिए उपलब्ध कराया है जो उस उच्च शैक्षिक संस्थान में अध्ययन के लिए हैं।

**3. उच्चतर शैक्षिक संस्थानों के दायित्व–(1) प्रत्येक उच्चतर शैक्षिक संस्थान)**

(अ) कर्मचारियों एवं छात्रों के प्रति लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण एवं निषेध संबंधी अपनी नीति एवं विनियमों में उपरोक्त परिभाषाओं की भावना को यथा आवश्यक उपयुक्त रूप में सम्मिलित करें तथा इन विनियमों की आवश्यकता अनुसार अपने अध्यादेशों एवं नियमों को संशोधित करना;

(ब) लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध प्रावधानों को अधिसूचित करना तथा उनके विस्तृत प्रचार–प्रसार को सुनिश्चित करना;

(स) जैसा कि आयोग की "**सक्षम**" **(परिसरों में महिलाओं की सुरक्षा एवं लैंगिक संवेदीकरण कार्यक्रम)** रिपोर्ट में दर्शाया गया है, प्रशिक्षण कार्यक्रम अथवा कार्यशाला, अधिकारियों, कार्यपालकों, संकाय सदस्यों एवं छात्रों के लिए उन्हें सभी को सुग्राही बनाना तथा इस अधिनियम एवं इन विनियमों में स्थापित अधिकारों, पात्रताओं एवं दायित्वों की जानकारी उन्हें सुनिश्चित कराना तथा उनके प्रति उन्हें जागरूक बनाना;

(द) इस बात को पहचानते हुए कि प्राथमिक रूप से महिला कर्मचारी तथा छात्राओं एवं कुछ छात्र तथा तीसरे लिंग वाले छात्र कई प्रकार के लैंगिक उत्पीड़न, अपमान एवं शोषण के अन्तर्गत संवेदनशील हैं, तदनुसार सभी लिंगों के कर्मचारियों एवं छात्रों के प्रति सुनियोजित समस्त लिंग आधारित हिंसा के विरुद्ध निर्णयात्मक रूप से सक्रिय बनना ;

(ई) लैंगिक उत्पीड़न के प्रति शून्य स्तर सहन संबंधी नीति की सार्वजनिक प्रतिबद्धता रखना;

(एफ) सभी स्तरों पर अपने परिसर को, भेदभाव, उत्पीड़न, प्रतिशोध अथवा लैंगिक आक्रमणों से मुक्त बनाने की प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करना;

(जी) इस विषय में जागरूकता पैदा करना कि लैंगिक उत्पीड़न में क्या शामिल है– तथा इसके साथ ही हिंसापूर्ण वातावरण उत्पीड़न एवं प्रतिकर उत्पीड़न इन विषयों में जागरूकता पैदा करना;

(एच) अपनी विवरणिका में सम्मिलित करना और महत्वपूर्ण स्थलों पर, विशिष्ट स्थानों पर या नोटिस बोर्ड पर लैंगिक उत्पीड़न के दण्ड एवं परिणामों को दर्शाया जाना तथा संस्थान के सभी समुदायों के वर्गों को इस तन्त्र की सूचना के प्रति जागरूक करना जो तन्त्र लैंगिक उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए बनाया गया है तथा इसके बारे में आन्तरिक शिकायत समिति के सदस्यों का विवरण, उनसे संपर्क साधना, शिकायत के बारे में विधि आदि के बारे में बताना यदि कोई मौजूदा निकाय पहले से ही उसी लक्ष्य के साथ सक्रिय है (जैसे कि लैंगिक संवेदीकरण समिति जो लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध है, ऐसे जेन्डर सेन्सीटाइजेशन कमिटि अगेंस्ट सैक्सुअल ह्रासमेंन्ट–जी.एस.सी. ए.एस.एच निकाय को आन्तरिक शिकायत समिति) (इण्टरनल कम्प्लेन्टस कमिटि–आई.सी.सी) के समान ही पुनर्गठित करना :

बशर्ते, बाद में दर्शाये गए मामले में उच्चतर शैक्षिक संस्थान सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रकार के निकाय का गठन आई.सी.सी. के लिए आवश्यक सिद्धान्तों के आधार पर इन विनियमों के अन्तर्गत किया गया है। ऐसा कोई भी निकाय इन विनियमों के प्रावधानों के द्वारा बाध्य होगा;

(आई) कर्मचारियों एवं छात्रों को उपलब्ध आश्रय के बारे में बताना, यदि वे लैंगिक उत्पीड़न के शिकार हुए हैं;

(जे) आन्तरिक शिकायत समिति के सदस्यों द्वारा शिकायतों के निपटान, समाधान अथवा समझौते आदि की प्रक्रिया का संचालन संवेदनशील रूप से करने के लिए, नियमित अभिमुखी अथवा प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना;

(के) कर्मचारियों एवं छात्रों के सभी प्रकार के उत्पीड़न के निराकरण हेतु सक्रिय रुप से गतिशील बनाना चाहे वह उत्पीड़न किसी प्रबल अधिकारी अथवा उच्चतर शैक्षिक संस्थान में स्थित पदानुक्रम संबंधों के आधार पर है। अथवा किसी घनिष्ठ भागीदार की हिंसा संबंधी हो अथवा समकक्षों से अथवा उस उच्चतर शैक्षिक संस्थान की भौगोलिक सीमाओं से बाहर किन्हीं तत्वों के कारण हो;

(एल) उसके कर्मचारियों एवं छात्रों के प्रति किए गए लैंगिक उत्पीड़न के लिए दोषी जो लोग हैं उन्हें दण्डित करना तथा विधि द्वारा मान्य कानून के अनुसार समस्त कार्यवाही करना तथा परिसर में लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण एवं अवरोध हेतु तन्त्रों एवं समाधान प्रणाली को यथास्थिति बनाना;

(एम) यदि उस दुराचार का षड़यंत्रकारी वहाँ का कर्मचारी है तो सेवा नियमों के अन्तर्गत लैंगिक उत्पीड़न को एक दुराचार के रूप में मानना;

(एन) यदि अपराधकर्ता कोई छात्र है तो लैंगिक उत्पीड़न को अनुशासनात्क नियमों (जो बहिष्कार एवं बहिष्करण तक हो सकता है) के उल्लंघन के रूप में देखना;

(ओ) इन विनियमों के प्रकाशन की तिथि से लेकर 60 दिनों की अवधि में इन विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना, जिनमें आन्तरिक शिकायत समिति की नियुक्ति शामिल है;

(पी) आन्तरिक शिकायत समिति द्वारा की गई रिपोर्टों का समयबद्ध रूप से प्रस्तुतीकरण;

(क्यू) एक वार्षिक स्थिति रिपोर्ट जिसमें दायर मामलों का, उनके निपटान का विवरण हो, वह तैयार करना तथा इसे आयोग को प्रस्तुत करना;

**3.2 समर्थन करने वाली गतिविधियाँ–**

(1) जिन नियमों, विनियमों अथवा अन्य इसी प्रकार के माध्यम जिनके द्वारा आन्तरिक शिकायत केन्द्र (आई.सी.सी.) प्रकार्य करेगा, उन्हें अद्यतन किया जाएगा तथा उन्हें समय–समय पर संशोधित किया

जाएगा—क्योंकि न्यायालय के निर्णय एवं अन्य कानून तथा नियमों द्वारा उस कानूनी ढाँचे में लगातार संशोधन होता रहेगा जिनके अनुसार अधिनियम लागू किया जाना है;

(2) उच्चतर शैक्षिक संस्थानों का कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा अधिदेशात्मक रूप से पूरा समर्थन किया जाना चाहिए तथा यह देखा जाना चाहिए कि आई.सी.सी. की सिफारिशों का क्रियान्वयन समयबद्ध रूप से किया जा रहा है कि नहीं। आई.सी.सी. के प्रकार्य के लिए समस्त संभावित संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए— जिनमें कार्यालय और भवन अवसंरचना सहित (कम्प्यूटर, फोटो कॉपियर, श्रव्य दृश्य उपकरणों आदि) स्टाफ (टाइपिस्ट, सलाह एवं कानूनी सेवाओं) सहित पर्याप्त रूप में वित्तीय संसाधन का आबंटन भी हो;

(3) असुरक्षित/दुर्बल वर्ग विशेष रूप से प्रताड़ना के शिकार बन जाते हैं और उनके द्वारा शिकायत करना और भी ज्यादा कठिन होता है। क्षेत्र, वर्ग, जाति, लैंगिक प्रवृत्ति, अल्पसंख्यक पहचान, एवं पृथक रूप से सामर्थ से असुरक्षा सामाजिक रूप से संयोजित हो सकती है। समर्थकारी समितियों को इस प्रकार की असुरक्षितताओं के प्रति अति संवेदनशीलता एवं विशेष जरूरतों के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है;

(4) क्योंकि शोध छात्र और डॉक्टोरल छात्र विशेष रूप से आक्रान्त होते हैं, अतः उच्चतर शैक्षिक संस्थानों द्वारा यह सुनिश्चित कराया जाए कि शोध सर्वेक्षण की नैतिकता संबंधी दिशा निर्देश उचित रूप से लागू हो रहे हैं;

(5) समस्त उच्चतर शैक्षिक संस्थानों द्वारा उनकी लैंगिक उत्पीड़न विरोधी नीति की क्षमता का नियमित रूप से अर्ध वार्षिक पुनरीक्षण किया जाना चाहिए;

(6) सभी अकादमिक स्टाफ कॉलेजों (जिन्हें अब मानव संसाधन विकास केन्द्रों के रूप में पाया जाता है) (एचआरडीसी) और क्षमता निर्माण के क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा लिंग संबंधी सत्रों को अपने अभिमुखी एवं पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में निगमित करना चाहिए। अन्य सब विषयों से भी इसे प्राथमिकता दी जाए तथा इसे मुख्य धारा के रूप में विशेष रूप से बनाया जाए तथा इसके लिए "यूजीसी सक्षम" रिपोर्ट का उपयोग करें जिसमें, इस बारे में, प्रविधियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं;

(7) उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में प्रशासकों के लिए संचालित अभिमुखी पाठ्यक्रमों में आवश्यक रूप से लैंगिक संवेदीकरण तथा लैंगिक उत्पीड़न की समस्याओं पर एक मापदण्ड होना चाहिए। उच्चतर शैक्षिक संस्थान के समस्त विभागों में मौजूद सदस्यों के लिए कार्यशालाएँ नियमित रूप से संचालित की जानी चाहिए;

(8) समस्त उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में परामर्श सेवाओं को संस्थानों के अन्तर्गत रखा जाना चाहिए और इसके लिए सुप्रशिक्षित पूर्णकालिक परामर्शदाता होने चाहिए;

(9) कई उच्चतर शैक्षिक संस्थान जिनके विशाल परिसर हैं जिनमें प्रकाश संबंधी व्यवस्था बहुत अधूरी है तथा अन्य संस्थानों के लोगों के अनुभव अनुसार वे स्थान असुरक्षित समझे जाते हैं, वहाँ पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था अवसंरचना एवं रख—रखाव का एक अनिवार्य अंग है;

(10) पर्याप्त एवं अच्छी तरह से प्रशिक्षित सुरक्षा स्टाफ आवश्यक रूप से होना चाहिए जिसमें महिला सुरक्षा स्टाफ सदस्य अच्छी संख्या में हों, जिससे संतुलन बना रहे। सुरक्षा स्टाफ नियुक्ति के मामले में लैंगिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण को एक शर्त के रूप में माना जाना चाहिए;

(11) उच्चतर शैक्षिक संस्थान आवश्यक रूप से विश्वसनीय जन यातायात को सुनिश्चित करें— विशेष रूप से उच्चतर शैक्षिक संस्थानों के विस्तृत परिसरों के अन्दर विभिन्न विभागों के मध्य जैसे— छात्रावासों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं तथा मुख्यालय और विशेष रूप से वे स्थान जिन तक पहुँच पाना दैनिक शोधकर्ताओं के लिए कठिन है। सुरक्षा की कमी तथा उत्पीड़न बहुत बढ़ जाता है जब कर्मचारी और छात्र सुरक्षित जन यातायात पर निर्भर नहीं रहते हैं। कर्मचारी एवं छात्रों द्वारा पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं में देर रात तक काम करने और शाम के समय अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए उच्चतर शैक्षिक संस्थानों द्वारा भरोसेमंद यातायात का प्रबन्ध किया जाना चाहिए;

(12) आवासीय उच्चतर शैक्षिक संस्थानों द्वारा महिला छात्रावासों की संरचना को प्राथमिकता दी जाए। महिला छात्रावास, जो सभी प्रकार के उत्पीड़न से थोड़ी बहुत सुरक्षा प्रदान करते हैं, उस उच्च शिक्षा के सभी स्तरों पर, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उच्च शिक्षा इच्छुक युवा महिलाओं के लिए अत्यन्त जरूरी है;

(13) युवा छात्रों की तुलना में छात्रावास में स्थित छात्राओं की सुरक्षा के मामले को भेदभाव पूर्ण नियमों का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। परिसर की सुरक्षा संबंधी नीतियों को महिला कर्मचारी एवं छात्राओं की सुरक्षात्मकता के रूप में नहीं बन जाना चाहिए, जैसे कि आवश्यकता से अधिक सर्वेक्षण या पुलिसिया निगरानी अथवा आने जाने की स्वतंत्रता में कटौती करना– विशेषकर महिला कर्मचारी एवं छात्राओं के लिए;

(14) सभी उच्चतर शैक्षिक संस्थानों के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधायें होनी अधिदेशात्मक हैं। महिलाओं के विषय में इस प्रक्रिया में लिंग संवेदी डाक्टर और नर्सें तथा इसके साथ ही एक स्त्री रोग विशेषज्ञ की सेवाएँ उपलब्ध होनी चाहिए;

(15) महाविद्यालयों में महिला विकास प्रकोष्ठ पुनः चालू किये जाने चाहिए एवं उन्हें धन दिया जाना चाहिए और इन्हें लैंगिक उत्पीड़न विरोधी समितियों तथा आन्तरिक शिकायत समिति के प्रकार्यों से पृथक करके स्वशासी रखा जाना चाहिए। उसके साथ ही वे आन्तरिक शिकायत केन्द्रों के परामर्श से अपनी गतिविधियाँ विस्तारित करेंगे जिनमें लैंगिक संवेदीकरण कार्यक्रम शामिल हैं तथा नियमित आधार पर लैंगिक उत्पीड़न विरोधी नीतियाँ परिसरों में प्रचारित प्रसारित करेंगे। "सांस्कृतिक पृष्ठभूमि" एवं "औपचारिक अकादमिक स्थल" इन्हें परस्पर सहभागिता करनी चाहिए ताकि ये कार्यशालाएँ नवोन्मेषी, आकर्षक बने एवं मशीनी न हों;

(16) छात्रावासों के वार्डन, अध्यक्ष, प्राचार्यों, कुलपतियों, विधि अधिकारियों एवं अन्य कार्यकारी सदस्यों को नियमों के अथवा अध्यादेशों में संशोधनों द्वारा जबाबदेही के दायरे में यथाआवश्यक रूप से लाना चाहिए;

4. शिकायत समाधान तन्त्रः–

(1) लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध प्रत्येक कार्यकारी प्राधिकारी लैंगिक संवेदीकरण के लिए एक आन्तरिक तन्त्र सहित एक आन्तरिक शिकायत समिति (आई.सी.सी.) का गठन करेंगे। आई.सी.सी की निम्न संरचना होगीः–

(अ) एक पीठासीन अधिकारी जो एक महिला संकाय सदस्य हो और जो एक वरिष्ठ पद पर (एक विश्वविद्यालय की स्थिति में प्रोफेसर से निम्न न हो तथा किसी महाविद्यालय की स्थिति में सह–प्रोफेसर अथवा रीडर से निम्न न हो) शैक्षिक संस्थान में नियुक्त हो तथा कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा नामित होः

बशर्ते यदि किसी स्थिति में कोई वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी उपलब्ध नहीं है तो पीठासीन अधिकारी को उप–अनुभाग 2(ओ) में दर्शाये कार्यस्थल के अन्य कार्यालय अथवा प्रशासनिक एकांश से उन्हें नामित किया जाएगाः

"बशर्ते यदि उस कार्यस्थल के अन्य कार्यालयों अथवा प्रशासनिक एकांशों में कोई वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी नहीं है तो अध्यक्ष अधिकारी को उसी नियोक्ता के कार्यस्थल से अथवा किसी अन्य विभाग या संगठन में से नामित किया जा सकता है"

(ब) दो संकाय सदस्य एवं दो गैर–अध्यापनरत कर्मचारी जो अधिमानतः महिलाओं की समस्याओं के लिए प्रतिबद्ध है तथा जिन्हें सामाजिक कार्य अथवा कानूनी जानकारी है, उन्हें कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा नामित किया जाना चाहिए;

(स) यदि किसी मामले में छात्र शामिल हैं तो उसमें तीन छात्र हों जिन्हें स्नातक पूर्व, स्नातकोत्तर एवं शोधस्तर पर क्रमशः भर्ती किया जायेगा जिन छात्रों को पारदर्शी लोकतांत्रिक प्रणाली द्वारा चुना गया है;

(द) गैर सरकारी संगठनों में से किसी एक में से अथवा किसी ऐसी सभा में से जो महिलाओं की समस्याओं के लिए प्रतिबद्ध हैं या एक ऐसा व्यक्ति हो जो लैंगिक उत्पीड़न से जुड़े मामलों का जानकार हो, जो कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा नामित हो;

(2) आन्तरिक शिकायत समिति के कुल सदस्यों में न्यूनतम आधे सदस्य महिलायें होनी चाहिए;

(3) उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में वरिष्ठ प्रशासनिक पदों पर नियुक्त व्यक्ति जैसे कुलपति, पदेन कुलपति, रेक्टर, कुलसचिव, डीन, विभागों के अध्यक्ष आदि आन्तरिक समिति के सदस्य नहीं होंगे ताकि ऐसे केन्द्र के प्रकार्य की स्वायत्तता सुनिश्चित रहे;

(4) आन्तरिक शिकायत समिति के सदस्यों की सदस्यता अवधि तीन वर्ष की होगी। उच्चतर शैक्षिक संस्थान ऐसी एक प्रणाली का उपयोग करें जिसके द्वारा आन्तरिक शिकायत केन्द्र के सदस्यों का एक तिहाई भाग प्रतिवर्ष परिवर्तित होता रहे;

(5) आन्तरिक समिति की बैठक आयोजित करने के लिए जो सदस्य गैर सरकारी संगठनों अथवा सभाओं से संबद्ध हैं उन्हें कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा ऐसे शुल्क अथवा भत्ते का भुगतान किया जाए, जैसा निर्धारित किया गया है;

(6) जिस स्थिति में आन्तरिक समिति का अध्यक्ष अधिकारी अथवा इसका कोई सदस्य, यदि:—

(अ) अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, अथवा

(ब) वह किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध हुआ है अथवा उसके विरुद्ध वर्तमान में लागू किसी कानून के अन्तर्गत किसी अपराध के बारे में कोई पड़ताल लम्बित है, अथवा

(स) किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही के तहत वह दोषी पाया गया है अथवा उसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित है, अथवा

(द) उसने अपने पद का दुरुपयोग इस सीमा तक किया है कि कार्यालय में उसकी सेवामें निरन्तरता को जनहित के प्रतिकूल माना जाएगा;

तो ऐसा अध्यक्ष अधिकारी अथवा सदस्य, यथास्थिति, इस समिति से हटा दिया जाएगा तथा इस प्रकार से होने वाली रिक्ति अथवा ऐसी कोई नैमित्तिक (कैजुअल) रिक्ति को नये नामांकन द्वारा इस धारा के प्रावधानों के अनुसार भरा जाएगा;''

5. **आन्तरिक षिकायत समिति (आई.सी.सी.)** :— आन्तरिक शिकायत समिति करेगी :—

(अ) यदि कोई कर्मचारी अथवा छात्र पुलिस के पास कोई शिकायत दर्ज करना चाहता है तो उसे सहायता उपलब्ध कराएगी;

(ब) विवाद समाधान के हेतु बातचीत संबंधी तन्त्र उपलब्ध कराना ताकि विवादित बातों पर पूर्वानुमान को समीचीन एवं उचित मैत्रीपूर्ण क्रिया द्वारा देखा जा सका जिससे उस शिकायतकर्ता के अधिकारों की हानि न हो तथा जिससे पूरी तरह से दण्डात्मक दृष्टिकोणों की न्यूनतम जरूरत हो जिनसे और अधिक जानकारी, विमुखता अथवा हिंसा न बढ़े;

(स) उस व्यक्ति की पहचान उजागर किये बिना उस शिकायतकर्ता की सुरक्षा बनाए रखना तथा स्वीकृत अवकाश अथवा उपस्थिति संबंधी अनिवार्यताओं में छूट द्वारा अथवा अन्य किसी विभाग में अथवा किसी सर्वेक्षणकर्ता के पास स्थानान्तरण द्वारा, यथा आवश्यक रूप से उस शिकायत के लम्बित होने की अवधि में अथवा उस अपराधकर्ता के स्थानान्तरण का भी प्रावधान किया जाएगा;

(द) लैंगिक उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के निपटान करते समय सुनिश्चित करें कि पीड़ित व्यक्ति या गवाहों का शोषण ना किया जाए अथवा उनके साथ भेदभाव न किया जाए, तथा

(ई) किसी भी आवृत्त व्यक्ति के विरुद्ध अथवा प्रतिकूल कार्रवाई पर प्रतिबन्ध को सुनिश्चित करना क्योंकि वह कर्मचारी अथवा छात्र एक संरक्षित गतिविधि में व्यस्त है;

6. **षिकायत करने एवं जाँच पड़ताल की प्रक्रिया:—** आन्तरिक शिकायत समिति किसी भी शिकायत को दायर करने और उस शिकायत की जाँच करने के लिए इन विनियमों और अधिनियम में निर्धारित प्रणाली का अनुपालन करेगी ताकि वह समयबद्ध रूप से पूरी हो सके। उच्चतर शैक्षिक संस्थान, आन्तरिक शिकायत समिति को सभी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराएगा ताकि जाँच पड़ताल शीघ्रता से संचालित हो सके तथा आवश्यक गोपनीयता भी बनी रहे;

7. **लैंगिक उत्पीड़न की षिकायत दायर करने की प्रक्रिया** :— किसी भी असन्तुष्ट व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह घटना होने की तिथि से तीन माह के भीतर लिखित शिकायत आन्तरिक शिकायत समिति को प्रस्तुत करे और यदि लगातार कई घटनाएँ हुई हो तो सबसे बाद की घटना से तीन माह के भीतर उसे प्रस्तुत करें;

बशर्ते जहाँ ऐसी शिकायत लिखित रूप में नहीं दी जा सकती है, वहाँ अध्यक्ष अधिकारी अथवा आन्तरिक समिति का कोई भी सदस्य, उस व्यक्ति के द्वारा लिखित शिकायत प्रस्तुत करने के लिए समस्त सम्भव सहायता प्रदान करेगा;

बशर्ते, इसके साथ ही आई.सी.सी. लिखित रूप से प्रस्तुत तर्कों के आधार पर समय सीमा विस्तारित कर सकती है, परन्तु वह तीन माह से अधिक की नहीं होगी, यदि इस बात को आश्वस्त किया गया हो कि परिस्थितियाँ ऐसी थी कि जिनके कारण वह व्यक्ति इस कथित अवधि के दौरान शिकायत दायर करने से वंचित रह गया था;

8. **जाँच पड़ताल की प्रक्रिया:—**

(1) शिकायत मिलने पर आन्तरिक शिकायत समिति इसकी एक प्रति को प्रतिवादी को इसके प्राप्त होने से सात दिनों के भीतर भेजेगी;

(2) शिकायत की प्रति मिलने के बाद प्रतिवादी अपना उत्तर इस शिकायत के बारे में, समस्त दस्तावेजों की सूची, गवाहों के नामों एवं पतो के नामों एवं उनके पतों सहित दस दिन की अवधि में दाखिल करेगा;

(3) शिकायत प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर ही जाँच पड़ताल पूरी की जानी चाहिए। अनुशंसाओं सहित, यदि वे हों, तो, जाँच पड़ताल रिपोर्ट उस जाँच के पूरा होने के 10 दिनों के भीतर उच्चतर शैक्षिक संस्थान के कार्यकारी प्राधिकारी को प्रस्तुत की जानी चाहिए। इस शिकायत से जुड़े दोनों पक्षों के समक्ष इस जाँच के तथ्यों या सिफारिशों की प्रति दी जाएगी;

(4) जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर इस समिति की सिफारिशों पर उच्चतर शैक्षिक संस्थान के अध्यक्ष प्राधिकारी कार्यवाही करेंगे, यदि किसी भी पक्ष द्वारा उस अवधि में जाँच के विरुद्ध कोई अपील दायर न की गई हो;

(5) दोनों में से किसी भी पक्ष द्वारा आन्तरिक शिकायत समिति द्वारा प्रदान तथ्यों/अनुशंसाओं के विरुद्ध उच्चतर शैक्षिक संस्थान के कार्यकारी प्राधिकारी के समक्ष की गई अनुशंसाओं की तिथि से तीस दिन की अवधि में अपील दायर की जा सकती है;

(6) उच्चतर शैक्षिक संस्थान का कार्यकारी प्राधिकारी यदि आन्तरिक शिकायत समिति की सिफारिशों के अनुसार कार्य नहीं करने का निर्णय लेता है तो वह इसके बारे में लिखित रूप से कारण स्पष्ट करेगा जिन्हें आन्तरिक शिकायत समिति को तथा उस कार्यवाही से जुड़े दोनों पक्षों को भेजा जाएगा। यदि दूसरी ओर वह आन्तरिक शिकायत समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार कार्य करने का निर्णय लेता है तो एक कारण बताओ नोटिस जिसका 10 दिनों के भीतर उत्तर भेजा जाना है– उसे उस पक्ष को भेजा जाएगा जिसके विरुद्ध कार्यवाही की जानी है। उच्चतर शैक्षिक संस्थान के कार्यकारी प्राधिकारी उस असन्तुष्ट व्यक्ति का पक्ष सुनने के पश्चात ही आगे की कार्रवाई करेंगे;

(7) मामले को निपटाने के उद्देश्य से पीड़ित पक्ष एक सुलह का आग्रह कर सकता है। सुलह का आधार कोई आर्थिक समझौता नहीं होना चाहिए। यदि कोई सुलह का प्रस्ताव रखा जाता है तो यथास्थिति उच्चतर शैक्षिक संस्थान सुलह की प्रक्रिया को आन्तरिक शिकायत समिति के माध्यम से सुलभ कराएगा। किसी भी दण्डात्मक हस्तक्षेप की तुलना में, जहाँ तक संभव होता है, उस पीड़ित पक्ष की पूरी संतुष्टि के लिए उस पारस्परिक विरोध के समाधान को अधिमानता दी जाती है;

(8) पीड़ित पक्ष अथवा पीड़ित व्यक्ति अथवा गवाह अथवा अपराधकर्ता की पहचान सार्वजनिक नहीं की जाएगी या विशेष रूप से उस जाँच प्रक्रिया के दौरान इसे सार्वजनिक क्षेत्र में रखा जाएगा;

9. अन्तरिम समाधानः– उच्चतर शैक्षिक संस्थान,

(अ) यदि आन्तरिक शिकायत केन्द्र सिफारिश करता है तो शिकायतकर्ता अथवा प्रतिवादी को अन्य किसी अनुभाग अथवा विभाग में स्थानान्तरित किया जा सकता है ताकि सम्पर्क अथवा अन्योन्य क्रिया में शामिल जोखिम कम से कम बना रहे;

(ब) पीड़ित पक्ष को, सम्पूर्ण स्तर संबंधी एवं अन्य हित लाभों के संरक्षण सहित तीन माह तक का अवकाश स्वीकृत कर दे;

(स) शिकायतकर्ता के किसी भी काम अथवा निष्पादन अथवा परीक्षण अथवा परीक्षाओं के संबध में कोई बात प्रकट न करने के लिए प्रतिवादी को बाध्य कर दें;

(द) सुनिश्चित करें कि अपराधकर्ताओं को पीड़ित व्यक्तियों से दूरी बना कर रखनी चाहिए तथा यथा आवश्यक, यदि कोई प्रत्यक्ष धमकी है तो उनका परिसर में प्रवेश प्रतिबंधित कर दे;

(ई) लैंगिक उत्पीड़न की किसी शिकायत के परिणाम स्वरूप, शिकायतकर्ता को प्रतिशोध एवं उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने के लिए तथा एक अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए सख्त उपाय किये जाने चाहिए;

10. दण्ड एवं हरजानाः–

(1) अपराधकर्ता यदि उच्चतर शैक्षिक संस्थान का कर्मचारी है तथा लैंगिक उत्पीड़न का दोषी पाया जाता है तो उसे संस्थान के सेवा नियमों के अनुसार दण्डित किया जाएगा;

(2) अपराध की गंभीरता को देखते हुए– यदि प्रतिवादी कोई छात्र है, तो उच्चतर शैक्षिक संस्थानः–

(अ) ऐसे छात्र के विशेषाधिकारों को रोक सकता है तो, जैसे–पुस्तकालय, सभागार, आवासीय आगारों, यातायात, छात्रवृति, भत्तों एवं पहचान पत्र आदि तक पहुँच बनाना;

(ब) एक विशेष समय तक परिसर में उसका प्रवेश स्थगित अथवा बाधित करना;

(स) यदि उस अपराध की ऐसी गंभीरता है तो उस छात्र को संस्थान से निष्कासित किया जा सकता है तथा उसका नाम उस संस्थान की नामावलि से हटाया जा सकता है, इसके साथ ही पुनः प्रवेश की अनुमति उसे नहीं होगी;

(द) अधिदेशात्मक परामर्श अथवा सामुदायिक सेवाओं जैसे सुधारवादी दण्ड प्रदान करना;

(3) पीड़ित व्यक्ति मुआवजे का अधिकारी है। आन्तरिक शिकायत समिति द्वारा अनुशंसित तथा कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मुआवजे के भुगतान के लिए उच्चतर शैक्षिक संस्थान निर्देश जारी करेगा, जिसकी वसूली अपराधकर्ता से की जाएगी। देय मुआवजे का निर्धारण निम्न आधार पर होगाः—

(अ) पीड़ित व्यक्ति को जितना मानसिक तनाव, कष्ट, व्यथा एवं दुख पहुँचा है;

(ब) उस लैंगिक उत्पीड़न की घटना के कारण उन्हें अपनी जीविका के सुअवसर की हानि उठानी पड़ी;

(स) पीड़ित व्यक्ति द्वारा अपने शारीरिक एवं मनोरोग संबंधी आधार के लिए खर्च किए गए चिकित्सा व्यय;

(द) कथित अपराधकर्ता एवं उस पीड़ित व्यक्ति की आय एवं जीवन स्तर, और

(ई) ऐसे समस्त भुगतान का एकमुश्त रूप से या किस्तों में किए जाने का औचित्य;

**11. झूठी षिकायत के विरुद्ध कार्यवाईः—**

इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि लैंगिक उत्पीड़न मामलों में कर्मचारियों एवं छात्रों की सुरक्षा के प्रावधानों का दुरुपयोग न हो, असत्य एवं द्वेष भावना पूर्ण शिकायतों के विरुद्ध प्रावधान किये जाने की आवश्यकता है तथा इन्हें उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में प्रचारित प्रसारित किया जाना चाहिए। आन्तरिक शिकायत समिति यदि यह निष्कर्ष निकालती है कि लगाए गए अभियोग असत्य, थे, विद्वेषपूर्ण थे अथवा यह जानते हुए भी कि वह शिकायत असत्य अथवा जाली है अथवा भ्रामक सूचना को उस पड़ताल के दौरान उपलब्ध कराया गया है तो शिकायतकर्ता विनियम (10) के उप विनियम (1) के तहत दण्डित किये जाने के लिए बाध्य होगा यदि शिकायतकर्ता एक कर्मचारी है, तथा यदि वह अपराधकर्ता एक छात्र है तो वह इस विनियम की उप—विनियम (2) के प्रावधानों के अनुसार सजा के लिए बाध्य होगा तथापि किसी भी शिकायत को प्रमाणित करने अथवा उसके लिए पर्याप्त सबूत उपलब्ध न कर पाने का आधार, शिकायतकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई करने का कारण नहीं माना जा सकता है। शिकायतकर्ता द्वारा द्वेषपूर्ण उद्देश्य से दायर शिकायत की जाँच पड़ताल द्वारा तय किया जाना चाहिए तथा इस बारे में किसी कार्रवाई की सिफारिश किए जाने से पूर्व इस विषय में निर्धारित प्रणाली के अनुसार जाँच की जानी चाहिए;

**12. गैर अनुपालन के परिणामः—**

(1) ऐसे संस्थान जो जानबूझकर अथवा बारंबार उन दायित्वों तथा कर्तव्यों के अनुपालन में असमर्थ बना रहता है जिन्हें कर्मचारियों एवं छात्रों के प्रति लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण, निषेध एवं समाधान हेतु निर्धारित किया गया है, तो इस स्थिति में आयोग विधिवत नोटिस देकर निम्न में से किसी एक अथवा इससे अधिक बिन्दुओं पर कार्रवाई करेगाः—

(अ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 12(बी) के अन्तर्गत की गई घोषणा जो पात्रता दिये जाने के विषय में है, उसका आहरण किया जाना;

(ब) आयोग द्वारा अधिनियम 1956 की धारा 2 (एफ) के अन्तर्गत अनुरक्षित सूची में से उस विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय का नाम हटाना;

(स) संस्थान को आबंटित किसी भी अनुदान को रोक देना;

(द) आयोग को किसी भी सामान्य अथवा विशेष सहायता कार्यक्रमों के अन्तर्गत किसी भी सहायता को प्राप्त करने के लिए उस संस्थान को अपात्र घोषित किया जाना;

(ई) जन साधारण को, एवं रोजगार अथवा प्रवेश के इच्छुक भावी प्रत्याशियों को एक ऐसे नोटिस द्वारा सूचित करना जो समाचार पत्रों में प्रमुख रूप से दर्शाया गया है अथवा उपयुक्त मीडिया में दर्शाया गया है तथा आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है तथा जिस नोटिस में घोषणा की गई है कि वह संस्थान लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति ;मतव जवसमतंदबम चवसपबलद्ध का समर्थन नहीं करता है;

(एफ) यदि वह एक महाविद्यालय है तो उसके सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा उसकी सहसम्बद्धता को आहरित करने की अनुशंसा के लिये कहें;

(जी) यदि वह एक मानित विश्वविद्यालय संस्थान है तो केन्द्र सरकार को उस मानित विश्वविद्यालय के आहरण की अनुशंसा करना;

(एच) यदि वह किसी राज्य अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित अथवा नियमित विश्वविद्यालय है तो उसके इस स्तर को आहरित करने के लिए उपयुक्त राज्य सरकार को सिफारिश करना;

(आई) जैसे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रावधान किया जाना हो तदनुसार अपने अधिकारों के अनुसार यथोचित रूप से ऐसी समयावधि के लिए दण्ड प्रदान कर सकता है जिस समय तक वह संस्थान इन विनियमों में निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है;

(जे) इन विनियमों के अन्तर्गत आयोग द्वारा उस समय तक कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि संस्थान को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रदत्त सुअवसर के आधार पर उनकी सुनवाई कर ली गई हो;

[विज्ञापन–III/4/असा./53]

जसपाल एस. संधु, सचिव, यूजीसी

## MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

**(University Grants Commission)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd May, 2016

**University Grants Commission (Prevention, prohibition and redressal of sexual harassment of women employees and students in higher educational institutions) Regulations, 2015**

**No. F. 91-1/2013(TFGS).**—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (1) of section 26 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), read with sub-section (1) of Section 20 of the said Act, the University Grants Commission hereby makes the following regulations, namely:-

1. **Short title, application and commencement.**—(1) These regulations may be called the University Grants Commission (Prevention, prohibition and redressal of sexual harassment of women employees and students in higher educational institutions) Regulations, 2015.

(2) They shall apply to all higher educational institutions in India.

(3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) "aggrieved woman" means in relation to work place, a woman of any age whether employed or not, who alleges to have been subjected to any act of sexual harassment by the respondent;

(b) 'Act' means the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (14 of 2013);

(c) "campus" means the location or the land on which a Higher Educational Institution and its related institutional facilities like libraries, laboratories, lecture halls, residences, halls, toilets, student centres, hostels, dining halls, stadiums, parking areas, parks-like settings and other amenities like health centres, canteens, Bank counters, etc., are situated and also includes extended campus and covers within its scope places visited as a student of the HEI including transportation provided for the purpose of commuting to and from the institution, the locations outside the institution on field trips, internships, study tours, excursions, short- term placements, places used for camps , cultural festivals, sports meets and such other activities where a person is participating in the capacity of an employee or a student of the HEI;

(d) Commission" means the University Grants Commission established under section 4 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956);

(e) "covered individuals" are persons who have engaged in protected activity such as filing a sexual harassment charge, or who are closely associated with an individual who has engaged in protected activity and such person can be an employee or a fellow student or guardian of the offended person;

(f) "employee" means a person as defined in the Act and also includes, for the purposes of these Regulations trainee, apprentice (or called by any other name), interns, volunteers, teacher assistants, research assistants, whether employed or not, including those involved in field studies, projects, short-visits and camps;

(g) "Executive Authority" means the chief executive authority of the HEI, by whatever name called, in which the general administration of the HEI is vested. For public funded institutions the Executive Authority means the Disciplinary Authority as indicated in Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 or its equivalent rules;

(h) "Higher Educational Institution" (HEI) means a university within the meaning of clause ( j) of section 2, a college within the meaning of clause(b) of sub-section (1) of section 12A and an institution deemed to be a University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956);

(i) "Internal Complaints Committee" (ICC) means Internal Complaints Committee to be constituted by an HEI under sub regulation (1) of regulation 4 of these regulations. Any existing body already functioning with the same objective (like the Gender Sensitization Committee Against Sexual Harassment (GSCASH)) should be reconstituted as the ICC;

Provided that in the latter case the HEI shall ensure that the constitution of such a Body is as required for ICC under these regulations. Provided further that such a Body shall be bound by the provisions of these regulations;

(j) "protected activity" includes reasonable opposition to a practice believed to violate sexual harassment laws on behalf of oneself or others such as participation in sexual harassment proceedings, cooperating with an internal investigation or alleged sexual harassment practices or acting as a witness in an investigation by an outside agency or in litigation;

(k) "sexual harassment" means-

(i) "An unwanted conduct with sexual undertones if it occurs or which is persistent and which demeans, humiliates or creates a hostile and intimidating environment or is calculated to induce submission by actual or threatened adverse consequences and includes any one or more or all of the following unwelcome acts or behaviour (whether directly or by implication), namely;-

(a) any unwelcome physical, verbal or non verbal conduct of sexual nature;
(b) demand or request for sexual favours;
(c) making sexually coloured remarks
(d) physical contact and advances; or
(e) showing pornography"

(ii) any one (or more than one or all) of the following circumstances, if it occurs or is present in relation or connected with any behaviour that has explicit or implicit sexual undertones-
(a) implied or explicit promise of preferential treatment as quid pro quo for sexual favours;
(b) implied or explicit threat of detrimental treatment in the conduct of work;
(c) implied or explicit threat about the present or future status of the person concerned;
(d) creating an intimidating offensive or hostile learning environment;
(e) humiliating treatment likely to affect the health, safety dignity or physical integrity of the person concerned;

(l) "student" means a person duly admitted and pursuing a programme of study either through regular mode or distance mode, including short-term training programmes in a HEI;
Provided that a student who is in the process of taking admission in HEIs campus, although not yet admitted, shall be treated, for the purposes of these regulations, as a student of that HEI, where any incident of sexual harassment takes place against such student;
Provided that a student who is a participant in any of the activities in a HEI other than the HEI where such student is enrolled shall be treated, for the purposes of these regulations, as a student of that HEI where any incident of sexual harassment takes place against such student;

(m) "third Party Harassment" refers to a situation where sexual harassment occurs as a result of an act or omission by any third party or outsider, who is not an employee or a student of the HEI, but a visitor to the HEI in some other capacity or for some other purpose orreason;

(n) "victimisation" means any unfavourable treatment meted out to a person with an implicit or explicit intention to obtain sexual favour;

(o) "workplace" means the campus of a HEI including-
(a) Any department, organisation, undertaking, establishment, enterprise, institution, office, branch or unit which is established, owned, controlled or wholly or substantially financed by funds provided directly or indirectly by the appropriate HEIs;
(b) Any sports institute, stadium, sports complex or competition or games venue, whether residential or not used for training, sports or other activities relating thereof in HEIs;
(c) Any place visited by the employee or student arising out of or during the course of employment or study including transportation provided by the Executive Authority for undertaking such journey for study in HEIs.'

3. **Responsibilities of the Higher Educational Institution- (1)** Every HEI shall,-

(a) Wherever required, appropriately subsume the spirit of the above definitions in its policy and regulations on prevention and prohibition of sexual harassment against the employees and the students, and modify its ordinances and rules in consonance with the requirements of the Regulations;

(b) publicly notify the provisions against sexual harassment and ensuretheir wide dissemination;

(c) organise training programmes or as the case may be, workshops for the officers, functionaries, faculty and students, as indicated in the SAKSHAM Report (Measures for Ensuring the Safety of Women and Programmes for Gender Sensitization on Campuses) of the Commission, to sensitize them and ensure knowledge and awareness of the rights, entitlements and responsibilities enshrined in the Act and under these regulations;

(d) act decisively against all gender based violence perpetrated against employees and students of all sexes recognising that primarily women employees and students and some male students and students of the third gender are vulnerable to many forms of sexual harassment and humiliation and exploitation;

(e) publicly commit itself to a zero tolerance policy towards sexual harassment;

(f) reinforce its commitment to creating its campus free from discrimination, harassment, retaliation or sexual assault at all levels;

(g) create awareness about what constitutes sexual harassment including hostile environment harassment and quid pro quo harassment;

(h) include in its prospectus and display prominently at conspicuous places or Notice Boards the penalty and consequences of sexual harassment and make all sections of the institutional community aware of the information on the mechanism put in place for redressal of complaints pertaining to sexual

harassment, contact details of members of Internal Complaints Committee , complaints procedure and so on. Any existing body already functioning with the same objective (like the Gender Sensitization Committee Against Sexual Harassment (GSCASH)) should be reconstituted as the ICC;
Provided that in the latter case the HEI shall ensure that the constitution of such a Body is as required for ICC under these regulations. Provided further that such a Body shall be bound by the provisions of these regulations;

(i) inform employees and students of the recourse available to them if they are victims of sexual harassment;

(j) organise regular orientation or training programmes for the members of the ICC to deal with complaints, steer the process of settlement or conciliation, etc., with sensitivity;

(k) proactively move to curb all forms of harassment of employees and students whether it is from those in a dominant power or hierarchical relationship within HEIs or owing to intimate partner violence or from peers or from elements outside of the geographical limits of the HEI;

(l) be responsible to bring those guilty of sexual harassment against its employees and students to book and initiate all proceedings as required by law and also put in place mechanisms and redressal systems like the ICC to curb and prevent sexual harassment on its campus;

(m) treat sexual harassment as a misconduct under service rules and initiate action for misconduct if the perpetrator is an employee;

(n) treat sexual harassment as a violation of the disciplinary rules (leading up to rustication and expulsion) if the perpetrator is a student;

(o) ensure compliance with the provisions of these regulations, including appointment of ICC, within a period of sixty days from the date of publication of these regulations;

(p) monitor the timely submission of reports by the ICC;

(q) prepare an annual status report with details on the number of cases filed and their disposal and submit the same to the Commission.

3.2 **Supportive measures**.—(1) The rules, regulations or any such other instrument by which ICC shall function have to be updated and revised from time-to-time, as court judgments and other laws and rules will continue to revise the legal framework within which the Act is to be implemented.

(2) The Executive Authority of the HEIs must mandatorily extend full support to see that the recommendations of the ICC are implemented in a timely manner. All possible institutional resources must be given to the functioning of the ICC, including office and building infrastructure (computers, photocopiers, audio-video, equipment, etc.), staff (typists, counselling and legal services) as, well as a sufficient allocation of financial resources.

(3) Vulnerable groups are particularly prone to harassment and also find it more difficult to complain. Vulnerability can be socially compounded by region, class, caste, sexual orientation, minority identity and by being differently abled. Enabling committees must be sensitive to such vulnerabilities and special needs.

(4) Since research students and doctoral candidates are particularly vulnerable the HEIs must ensure that the guidelines for ethics for Research Supervision are put in place.

(5) All HEIs must conduct a regular and half yearly review of the efficacy and implementation of their anti-sexual harassment policy.

(6) All Academic Staff Colleges (now known asHuman Resource Development Centres (HRDCs) and Regional Centres for Capacity Building (RCCBs) must incorporate sessions on gender in their orientation and refresher courses. This should be across disciplines, and preferably mainstreamed using the UGC SAKSHAM Report which provides indicative modules in this regard.

(7) Orientation courses for administrators conducted in HEIs must have a module on gender sensitization and sexual harassment issues. Regular workshops are to be conducted for all sections of the HEI community.

(8) Counselling services must be institutionalised in all HEIs and must have well trained full-time counsellors.

(9) Many HEIs having large campuses have a deficit in lighting and are experienced as unsafe places by the institutional community. Adequate lighting is a necessary aspect of infrastructure and maintenance.

(10) Adequate and well trained security including a good proportion or balance of women security staff is necessary. Security staff must receive gender sensitization training as a part of conditions of appointment.

(11) HEIs must ensure reliable public transport, especially within large campuses between different sections of the HEI, hostels, libraries, laboratories and main buildings, and especially those that do not have good access for day scholars. Lack of safety as well as harassment is exacerbated when employees and students cannot depend on safe public transport. Reliable transport may be considered by HEIs to enable employees and students to work late in libraries, laboratories and to attend programmes in the evenings.

(12) Residential HEIs should accord priority to construction of women's hostels. For the growing population of young women wishing to access higher education, hostel accommodation is desirable in both urban and rural areas and at all levels of higher education which provides a modicum of protection from harassment of all kinds.

(13) Concern for the safety of women students must not be cited to impose discriminatory rules for women in the hostels as compared to male students. Campus safety policies should not result in securitization, such as over monitoring or policing or curtailing the freedom of movement, especially for women employees and students.

(14) Adequate health facilities are equally mandatory for all HEIs. In the case of women this must include gender sensitive doctors and nurses, as well as the services of a gynaecologist.

(15) The Women's Development Cells in colleges shall be revived and funded to be able to carry out the range of activities required for gender sensitizationand remain autonomous of the functioning of anti sexual harassment committees and ICCs. At the same time they shall extend their activities to include gender sensitization programmes in consultation with ICCs and help to disseminate anti-sexual harassment policies on campuses on a regular basis. The 'cultural' space and the 'formal academic space' need to collaborate to render these workshops innovative, engaging and non-mechanical.

(16) Hostel Wardens, Provosts, Principals, Vice Chancellors, Legal Officers and other functionaries must be brought within the domain of accountability through amendmentsin the rules or Ordinances where necessary.

4. **Grievance redressal mechanism.**—(1) Every Executive Authority shall constitute an Internal Complaints Committee (ICC) with an inbuilt mechanism for gender sensitization against sexual harassment. The ICC shall have the following composition:-

(a) A Presiding Officer who shall be a woman faculty member employed at a senior level (not below a Professor in case of a university, and not below an Associate Professor or Reader in case of a college) at the educational institution, nominated by the Executive Authority;

Provided that in case a senior level woman employee is not available, the Presiding Officer shall be nominated from other offices or administrative units of the workplace referred to in sub-section 2(o);

Provided further that in case the other offices or administrative units of the workplace do not have a senior level woman employee, the Presiding Officer shall be nominated from any other workplace of the same employer or other department or organization;"

(b) two faculty members and two non-teaching employees, preferably committed to the cause of women or who have had experience in social work or have legal knowledge, nominated by the Executive Authority;

(c) Three students, **if the matter involves students**, who shall be enrolled at the undergraduate, master's, and research scholar levels respectively, elected through transparent democratic procedure;

(d) one member from amongst non-government organisations or associations committed to the cause of women or a person familiar with the issues relating to sexual harassment, nominated by the Executive Authority.

(2) At least one-half of the total members of the ICC shall be women.

(3) Persons in senior administrative positions in the HEI, such as Vice- Chancellor, Pro Vice-Chancellors, Rectors, Registrar, Deans, Heads of Departments, etc., shall not be members of ICCs in order to ensure autonomy of their functioning.

(4) The term of office of the members of the ICC shall be for a period of three years. HEIs may also employ a system whereby one –third of the members of the ICC may change every year.

(5) The Member appointed form amongst the non-governmental organizations or associations shall be paid such fees or allowances for holding the proceedings of the Internal Committee, by the Executive Authority as may be prescribed.

(6) Where the Presiding Officer or any member of the Internal Committee:

(a) contravenes the provisions of section 16 of the Act; or
(b) has been convicted for an offence or an inquiry into an offence under any law for the time being in force is pending against him; or
(c) he has been found guilty in any disciplinary proceedings or a disciplinary proceeding is pending against him; or
(d) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest,

such Presiding Officer or Member, as the case may be, shall be removed from the Committee and the vacancy so created or any casual vacancy shall be filled by fresh nomination in accordance with the provisions of this section."

5. **Responsibilities of Internal Complaints Committee (ICC) -** The Internal Complaints Committee shall:

(a) provide assistance if an employee or a student chooses to file a complaint with the police;

(b) provide mechanisms of dispute redressal and dialogue to anticipate and address issues through just and fair conciliation without undermining complainant's rights, and minimize the need for purely punitive approaches that lead to further resentment, alienation or violence;

(c) protect the safety of the complainant by not divulging the person's identity, and provide the mandatory relief by way of sanctioned leave or relaxation of attendance requirement or transfer to another department or supervisor as required during the pendency of the complaint, or also provide for the transfer of the offender;

(d) ensure that victims or witnesses are not victimised or discriminated against while dealing with complaints of sexual harassment; and

(e) ensure prohibition of retaliation or adverse action against a covered individual because the employee or the student is engaged in protected activity.

**6. The process for making complaint and conducting Inquiry** – The ICC shall comply with the procedure prescribed in these Regulations and the Act, for making a complaint and inquiring into the complaint in a time bound manner. The HEI shall provide all necessary facilities to the ICC to conduct the inquiry expeditiously and with required privacy

**7. Process of making complaint of sexual harassment -** An aggrieved person is required to submit a written complaint to the ICC within three months from the date of the incident and in case of a series of incidents within a period of three months from the date of the last incident.

Provided that where such complaint cannot be made in writing, the Presiding Officer or any Member of the Internal Committee shall render all reasonable assistance to the person for making the complaint in writing;

Provided further that the ICC may, for the reasons to be accorded in the writing, extend the time limit not exceeding three months, if it is satisfied that the circumstances were such which prevented the person from filing a complaint within the said period."

Friends, relatives, Colleagues, Co-students, Psychologist, or any other associate of the victim may file the complaint in situations where the aggrieved person is unable to make a complaint on account of physical or mental in capacity or death.

**8. Process of conducting Inquiry**- (1) The ICC shall, upon receipt of the complaint, send one copy of the complaint to the respondent within a period of seven days of such receipt.

(2) Upon receipt of the copy of the complaint, the respondent shall file his or her reply to the complaint along with the list of documents, and names and addresses of witnesses within a period of ten days.

(3) The inquiry has to be completed within a period of ninety days from the receipt of the complaint. The inquiry report, with recommendations, if any, has to be submitted within ten days from the completion of the inquiry to the Executive Authority of the HEI. Copy of the findings or recommendations shall also be served on both parties to the complaint.

(4) The Executive Authority of the HEI shall act on the recommendations of the committee within a period of thirty days from the receipt of the inquiry report, unless an appeal against the findings is filed within that time by either party.

(5) An appeal against the findings or /recommendations of the ICC may be filed by either party before the Executive Authority of the HEI within a period of thirty days from the date of the recommendations.

(6) If the Executive Authority of the HEI decides not to act as per the recommendations of the ICC, then it shall record written reasons for the same to be conveyed to ICC and both the parties to the proceedings. If on the other hand it is decided to act as per the recommendations of the ICC, then a show cause notice, answerable within ten days, shall be served on the party against whom action is decided to be taken. The Executive Authority of the HEI shall proceed only after considering the reply or hearing the aggrieved person.

(7) The aggrieved party may seek conciliation in order to settle the matter. No monetary settlement should be made as a basis of conciliation. The HEI shall facilitate a conciliation process through ICC, as the

case may be, once it is sought. The resolution of the conflict to the full satisfaction of the aggrieved party wherever possible, is preferred to purely punitive intervention.

(8) The identities of the aggrieved party or victim or the witness or the offender shall not be made public or kept in the public domain especially during the process of the inquiry.

9. **Interim redressal**-The HEI may,

(a) transfer the complainant or the respondent to another section or department to minimise the risks involved in contact or interaction, if such a recommendation is made by the ICC;

(b) grant leave to the aggrieved with full protection of status and benefits for a period up to three months;

(c) restrain the respondent from reporting on or evaluating the work or performance or tests or examinations of the complainant;

(d) ensure that offenders are warned to keep a distance from the aggrieved, and wherever necessary, if there is a definite threat, restrain their entry into the campus;

(e) take strict measures to provide a conducive environment of safety and protection to the complainant against retaliation and victimisation as a consequence of making a complaint of sexual harassment.

**10. Punishment and compensation-** (1) Anyone found guilty of sexual harassment shall be punished in accordance with the service rules of the HEI, if the offender is an employee.

(2) Where the respondent is a student, depending upon the severity of the offence, the HEI may,-

(a) withhold privileges of the student such as access to the library, auditoria, halls of residence, transportation, scholarships, allowances, and identity card;

(b) suspend or restrict entry into the campus for a specific period;

(c) expel and strike off name from the rolls of the institution, including denial of readmission, if the offence so warrants;

(d) award reformative punishments like mandatory counselling and, or, performance of community services.

(3) The aggrieved person is entitled to the payment of compensation. The HEI shall issue direction for payment of the compensation recommended by the ICC and accepted by the Executive Authority, which shall be recovered from the offender. The compensation payable shall be determined on the basis of-

(a) mental trauma, pain, suffering and distress caused to the aggrieved person;

(b) the loss of career opportunity due to the incident of sexual harassment;

(c) the medical expenses incurred by the victim for physical, psychiatric treatment;

(d) the income and status of the alleged perpetrator and victim; and
(e) the feasibility of such payment in lump sum or in instalments.

11. **Action against frivolous complaint.—**To ensure that the provisions for the protection of employees and students from sexual harassment do not get misused, provisions against false or malicious complaints have to be made and publicised within all HEIs. If the ICC concludes that the allegations made were false, malicious or the complaint was made knowing it to be untrue, or forged or misleading information has been provided during the inquiry, the complainant shall be liable to be punished as per the provisions of sub-regulations (1) of regulations 10, if the complainant happens to be an employee and as per sub-regulation (2)

of that regulation, if the complainant happens to be a student. However, the mere inability to substantiate a complaint or provide adequate proof will not attract attention against the complainant. Malicious intent on the part of the complainant shall not be established without an inquiry, in accordance with the procedure prescribed, conducted before any action is recommended.

12. **Consequences of non-compliance.**—(1) The Commission shall, in respect of any institution that will fully contravenes or repeatedly fails to comply with the obligations and duties laid out for the prevention, prohibition and redressal of sexual harassment of employees and students, take one or more of the following actions after providing due notice: -

(a) withdrawal of declaration of fitness to receive grants under section 12B of the University Grants Commission Act, 1956.

(b) removing the name of the university or college from the list maintained by the Commission under clause (f) of section 2 of said Act, 1956;

(c) withholding any grant allocated to the institution;

(d) declaring the institution ineligible for consideration for any assistance under any of the general or special assistance programmes of the Commission;

(e) informing the general public, including potential candidates for employment or admission, through a notice displayed prominently in the newspapers or other suitable media and posted on the website of the Commission, declaring that the institution does not provide for a zero tolerance policy against sexual harassment;

(f) recommending the affiliating university for withdrawal of affiliation, in case of a college;

(g) recommending the Central Government for withdrawal of declaration as an institution deemed to be university, in case of an institution deemed to be university;

(h) recommending the appropriate State Government for withdrawal of status as university in case of a university established or incorporated under a State Act.

(i) taking such other action within its powers as it may deem fit and impose such other penalties as may be provided in the University Grants Commission Act, 1956 for such duration of time till the institution complies with the provisions of these regulations.

(2) No action shall be taken by the Commission under these regulations unless the Institution has been given an opportunity to explain its position and an opportunity of being heard has been provided to it.

[Advt.-III/4/Exty./53]

JASPAL S. SANDHU, Secy. UGC

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.